खण्ड-229, अंक-3
बुधवार, 28 चैत्र, शक संवत् 1884
(18 अप्रैल, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 229 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	१८७–१९१
प्रश्नोत्तर	..	..	..	१९१–१९७
गणेश शुगर मिल, फरेंदा, जिला गोरखपुर द्वारा गन्ना सस्ते दर पर खरीदने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना			..	१९७–१९८
उत्तर प्रदेश राज्य गोदाम निगम नियमावली, १९५८ (उपस्थापित की गयी)	..	..	..	१९८
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित कठिनाइयों को दूर करने की आज्ञा, १९६२ (उपस्थापित की गयी)	..		..	१९८
शनिवार, ५ मई तथा २ जून, १९६२ को सदन की बैठक बुलाने के संबंध में सूचना	..	..	..	१९८–१९९
१९६२–६३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)			..	१९९–२५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १८ अप्रैल, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९२

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली , श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप राजा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद श्री, (वाराणसी)

गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथसिंह, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री (बलिया)
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुरर्हमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री

नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितई, श्री
पातीराम, श्री
पीतमसिंह, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भगवानदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री

मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लनजी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेई, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राना
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्री
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री

शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीपाल, श्री कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह युसूफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १८ अप्रैल, १९६२

तारांकित प्रश्न

जिला गन्ना अधिकारी, पडरौना द्वारा ट्यूब पाइप की खरीद

*१—**श्री रामसुन्दर** (जिला आजमगढ़)—क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी, पडरौना, जिला देवरिया ने बिना टेंडर निकाले ही तथा बिना विकास संघों की मांग पर ही हजारों रुपये का ट्यूब पाइप खरीदा है जो बेकार पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—जिला गन्ना अधिकारी, पडरौना, जिला देवरिया ने उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी समिति संघ से जो कि इलाहाबाद स्पन पाइप फैक्टरी के एजेंट है, पाइप खरीदे थे। इसलिये टेंडर नहीं मांगे गये। यह पाइप विकास परिषदों के मंत्रियों के मांग-पत्रों के आधार पर खरीदे गये थे। यह सत्य नहीं है कि यह पाइप बेकार पड़े हैं क्योंकि कुल ७९५ पाइपों में से १०-१२-६१ तक ४८६ पाइप काम आ चुके हैं और शेष ३०९ पाइप योजना के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र काम में लग जायंगे।

श्री रामसुन्दर—क्या गन्ना विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब और किन-किन विकास परिषदों के मंत्रियों ने कितने-कितने रुपये का पाइप खरीदने के लिए अधिकारी के पास प्रस्ताव दिया था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—मैं इतना बता सकूंगा कि किन-किन यूनियन ने कितने-कितने पाइप खरीदे। अगर आपकी आज्ञा हो तो बता दूं। छितौनी केन यूनियन ने ६ इंच के ३० पाइप, १५ इंच के २२ पाइप और ३० इंच के ७ पाइप खरीदे। खड्डा यूनियन ने ६ इंच के ३० पाइप, १५ इंच के ३० पाइप और ३० इंच के ७ पाइप खरीदे। कप्तानगंज यूनियन ने ६ इंच के २० पाइप, १५ इंच के २१ पाइप तथा ३० इंच के ७ पाइप खरीदे। लक्ष्मीगंज गन्ना यूनियन ने ६ इंच के २० पाइप, १५ इंच के २९ पाइप, और ३० इंच के ९ पाइप खरीदे। रामकोला ने ६ इंच के २० पाइप, १५ इंच के २९ पाइप तथा ३० इंच के ६ पाइप खरीदे। रामकोला (बी) ने ६ इंच के ५० पाइप, १५ इंच के ५० पाइप तथा ३० इंच के १४ पाइप खरीदे। पडरौना ने ६ इंच के ५० पाइप, १८ इंच के ५४ पाइप और ३० इंच के १५ पाइप खरीदे। कटकुइयां ने ६ इंच के ८० पाइप, १५ इंच के ५६ पाइप और ३० इंच के १८ पाइप खरीदे। सिवरही ने ६ इंच के ५०, १५ इंच के ५४ तथा ३० इंच के १४ पाइप खरीदे। दरिया सुजान ने ३० इंच के ९ पाइप खरीदे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर टेंडर नहीं काल किये थे तो क्या दो, चार स्थानों से कोटेशन मांगे थे कि किस-किस मूल्य पर वह मिल सकते हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति संघ ने तमाम यूनियन्स को एक सर्कुलर लेटर भेज दिया था कि वह इस इलाहाबाद स्पन पाइप फैक्टरी के एजेंट हैं और उनसे रेट तय हो गये हैं। जिन-जिन यूनियन्स को अपनी जरूरियात के लिए पाइप मंगाना हो वह उनके द्वारा मंगायें। इसलिए टेंडर मंगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यह रेट्स जो संघ ने सर्कुलर के जरिये से भेजे थे यह सबसे कम थे।

श्री रामसुन्दर—क्या गन्ना विकास मंत्री जी इसकी जानकारी करने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गन्ना विकास परिषदों ने पाइप खरीदने के लिए कोई प्रस्ताव पास नहीं किया और गन्ना अधिकारी ने अपने मन से पाइप मंगाकर के फिर सब मंत्रियों से इस प्रकार का प्रस्ताव बाद में स्वीकार करा लिया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—यह मेरे इल्म में नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसके लिए मैं जानकारी हासिल करके बता सकूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन फैडरेशन में और उस कम्पनी में पाइप का क्या रेट तय हुआ और दूसरी कम्पनियों के रेट क्या थे ? क्या यह सही है कि दूसरी कम्पनियों के रेट से यह कम नहीं था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस सम्बन्ध में जो फैडरेशन ने सर्कुलर भेजा था उसके साथ रट की भी लिस्ट भेजी थी कि किन-किन रेट पर कौन पाइप खरीदना है। अगर माननी सदस्य चाहते हैं तो नोटिस मिलने पर मैं डिटेल उनके सामने पेश कर दूंगा।

श्री रामसुन्दर—क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्पन पाइप फैक्टरी के एजेन्ट ने कब पाइप फैडरेशन के अधिकारियों को दिया था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—नोटिस मिलने पर तारीख बता सकता हूं लेकिन सन् १९५९ में उसने दिया था ?

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—मन्त्री जी ने बतलाया कि टेंडर काल करने की जरूरत नहीं थी और बाजार से भी कोटेशन की जरूरत नहीं थी तो फिर यह जो मूल्य निर्धारित किया गया वह सब से कम था, यह कैसे मालूम हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—फडरेशन ने जो सरकुलर भेजा था केन यूनियन्स को उसमें यह लिखा हुआ था कि यह रेट सबसे कम है। इसी आधार पर मैंने अर्ज किया।

श्री रामसुन्दर—क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सन् १९५९ में यह पाइप इलाहाबाद स्पन पाइप फैक्टरी के एजेन्ट ने दिया तो फिर १०-१२-६१ तक यह क्यों इस्तेमाल नहीं हुये ? दो साल तक क्यों पड़े रहे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जैसा मैंने अर्ज किया कि ४८६ पाइप काम में आ चुके थे। ३०९ पाइप बाकी थे। यह इसलिये इस्तेमाल नहीं हो सके कि जो पुलिया इत्यादि बननी थीं जिसमें पाइप लगते उसमें सीमेंट और ब्रिक की जरूरत थी, वह नहीं मिल सके। इसलिये विकास परिषदें पुलिया नहीं बना सकीं। इसलिये यह पाइप उस समय इस्तेमाल नहीं हो सके।

श्री नवरंगसिंह—यह जो सरकुलर भेजा गया था वह सर्कुलर किस बेसिस पर था ? क्या उन लोगों ने कहीं से कोटेशन मंगाकर मंत्री जी को दिया था? यह कैसे मालूम हुआ कि जो कोटेशन आये हैं वह सब से कम हैं यह किस आधार पर मन्त्री जी ने उत्तर दिया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—मैंने उस पत्र को पढ़कर यहां बतलाया कि जो फैडरेशन ने केन यूनियन को भेजा था। वह पत्र २०-६-५८ को भेजा था और उसमें रेट की दर भी लिखी हुई थी। उसी पत्र में यह भी लिखा हुआ था कि यह रेट्स की दर और जगह से कम है।

श्री अध्यक्ष—उनका प्रश्न यह है कि कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया गया जिससे यह मालूम हो कि जो कोटेशन उन्होंने दिये हैं वह सबसे कम हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जो कम्पनी के साथ रेट तय हुये थे, इलाहाबाद स्पन पाइप फैक्टरी और कलकत्ता की ह्यूम पाइप फैक्टरी के रेट से उनका मुकाबला करके ही इस नतीजे पर फैडरेशन पहुंचा कि यह रेट कम हैं।

*२-३—**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)—[२ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की सिफारिश

*४—**श्री रामसुन्दर तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के समकक्ष महंगाई भत्ता अपने कर्मकारियों को देने का विचार कर रही है ?

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—राज्य सरकार की महंगाई भत्ते की दरें केन्द्रीय सरकार की वर्तमान दरों से कहीं ऊंची हैं। अतः इस सरकार का केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के समकक्ष अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर—क्या वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता क्या है और केन्द्रीय सरकार का अलग-अलग क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का जो १५० रुपये से कम वेतन पाते हैं महंगाई भत्ता मासिक १० रुपये है और १५० से लेकर ३०० तक वेतन पाने वालों को २० रुपया मासिक भत्ता मिलता है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को ५० रुपये के वेतन तक ३३ रुपया, ५१ रुपये से १५० रुपये तक के वेतन पर ३५ रुपया और १५१ से ४५० तक ४० रुपया मासिक भत्ता मिलता है और ४५१ रुपये से ४९० रुपये तक मार्जिनल एजस्टमेंट से तय होता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि केंद्रीय सरकार जो भत्ता देती है उस हिसाब से प्रादेशिक सरकार को भत्ता देने में प्रत्येक वर्ष में कितना अन्तर पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष—जवाब तो यह है कि भत्ता ज्यादा है, कम नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो महंगाई भत्ता हमारे प्रदेश में मिल रहा है उसमें से कुछ पे स्केल में बढ़ा दिया जाय।

श्री जयराम वर्मा—इस वक्त ऐसा करने का कोई विचार नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्याख्या करेंगे कि जब वह कहते हैं कि १० रुपया महंगाई भत्ता केंद्र का है तो इस समय जो महंगाई भत्ता मिल चुका है वेतन में, उसकी बात को वे बता रहे हैं या पहले की दर को बता रहे हैं?

श्री जयराम वर्मा—मैं तो इस वक्त की बात बता रहा हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की दरें अधिक हैं वेतन की, क्या उस हद तक महंगाई भत्ता यहां बढ़ा दिया जायगा कि कम से कम उनके वेतन की दरों तक तनख्वाह पहुंच जायं?

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—पे कमीशन की जो सिफारिश हुई है उस के अनुसार गवर्नमेंट आफ इंडिया यह भत्ता दे रही है। इस के पहले उनका भत्ता कुछ दूसरा था। उस वक्त पे कमीशन की रेकमेंडेशन्स के पहले जो भत्ता था गवर्नमेंट आफ इंडिया का उस के मुताबिक अगर हम अपने यहां भत्ता दें तो करीब ९ करोड़ रुपये से ऊपर खर्च पड़ता है। उनकी जो आज भत्ते की दरें हैं उनसे हमारी दरें अच्छी हैं गवर्नमेंट आफ इंडिया की दरों से।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह आधी रकम देने के लिये तैयार हैं ?

श्री जयराम वर्मा—इस समय केंद्रीय सरकार कोई ऐसा हिस्सा देने के लिये तैयार नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार सन् १९३९ से १९४६ तक को आधार मान कर जिस क्रम में और जिस अंश तक महंगाई बढ़ी है उसी क्रम में और उसी अंश तक महंगाई देने पर विचार कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह बहुत बड़ा सवाल है। स्टेट की आर्थिक शक्ति के वह बहुत परे चला जायगा, यदि हम ऐसा करेंगे। इसलिये ऐसा अभी कोई विचार नहीं है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह खबर सही है कि सरकार यह प्रबन्ध करने जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों को बाजार में सामान उस रेट से मिले कि उनका काम इसी महंगाई भत्ते में चल जाय ?

श्री अध्यक्ष—गेंदासिंह जी, यह सवाल इससे उठता नहीं है। उत्तर तो यह दिया गया है कि उनसे अच्छा हमारा भत्ता है। अब यह सवाल पैदा नहीं होता।

सैनेटरी इंसपेक्टर प्रतियोगिता परीक्षा केन्द्र, इलाहाबाद

*५—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि अक्तूबर, १९६१ में सेनेटरी इंसपेक्टर के पद के लिये इलाहाबाद सेंटर पर लिखित परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कितने परीक्षार्थी बैठे थे और कितने लिये गये तथा पास हुये ?

चिकित्सा उप-मन्त्री (श्री धर्मसिंह)—सेनेटरी इन्सपेक्टर के पद के लिये कोई परीक्षा नहीं होती है परन्तु उनके प्रशिक्षण कक्षा में भरती करने हेतु प्रतियोगिता परीक्षा होती है। ऐसी एक प्रतियोगिता परीक्षा अक्तूबर, १९६१ में इलाहाबाद केंद्र पर भी ली गई थी। उसमें १६० परीक्षार्थी बैठे थे। उनमें से २८ अभ्यर्थी सब विषयों में पास हुये परन्तु दक्षता के क्रमानुसार केवल एक ही व्यक्ति लिया गया।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो १०७ विद्यार्थी परीक्षा में बैठे उसमें से केवल एक ही लिया जाने का क्या कारण है ? और जब एक ही लेना था तो इतने लोगों को क्यों बुलाया गया ?

श्री धर्मसिंह—मान्यवर, तमाम प्रदेश में यह परीक्षा हुई और तमाम प्रदेश में ५ सेंटर थे जिसमें इलाहाबाद भी एक था और एक मेरिट लिस्ट तैयार की गयी थी। ५ सेंटर थे। इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, आगरा, यह सभी सेंटर थे। जो क्वालीफाइंग मार्क्स रखे गये थे उसके हिसाब से २८ पास हुये थे, लेकिन मेरिट के हिसाब से एक ही विद्यार्थी आता था। इसलिये यह किया गया।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस सज्जन ने उक्त परीक्षा उस सेंटर से पास की वह उसके पूर्व उसी स्थान पर कार्य कर रहे थे ?

श्री धर्मसिंह—मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी कि एक व्यक्ति लिया जायगा वह कितने स्थानों के लिये विज्ञापित हुई थी और शेष स्थानों की पूर्ति सरकार ने फिर की या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—मैंने निवेदन किया था कि प्रदेश में एक परीक्षा हुई, ५ सेंटर्स थे, ५७ वैकेंसीज के लिये १६४१ विद्यार्थी बैठे थे। उसमें से जो मेरिट लिस्ट थी उस के अनुसार प्रदेश से ले लिये गये। मैरिट से केवल एक ही व्यक्ति इलाहाबाद से आया, इसलिये वह ही लिया गया।

केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश का राजकीय आय पर प्रभाव

*६—श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय वित्त कमीशन (केंद्रीय) के उत्तर प्रदेश के संबंध में वित्तीय प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हो गये ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां।

*७—**श्री कृष्णानन्दराय**—यदि हां, तो क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केंद्र द्वारा प्राप्त धनराशि में इस राज्य को आय-कर, मृत्यु-कर, आदि के हिस्सों में कमी होने का प्रस्ताव हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा—वित्त आयोग ने केंद्रीय कर और शुल्क में से राज्य सरकार को उसके हिस्से में प्रत्यक्ष रूप से कोई कमी करने का सुझाव नहीं दिया है। किन्तु केंद्रीय कर और शुल्क से प्राप्त धनराशि के विभाजन के लिये उसने जिन सिद्धांतों की सिफारिश की है उनके फलस्वरूप विगत वर्षों की तुलना में १९६२-६३ में इस राज्य को मिलने वाली कुल धनराशि की मात्रा घट गई है।

श्री कृष्णानन्दराय—क्या वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस हिस्से में कमी इसलिये आई है कि इस प्रदेश में कुछ करों की वसूली बहुत कम हुई है ?

श्री जयराम वर्मा—वित्त आयोग ने जिन सिद्धांतों के आधार पर आगे शुल्क और करों को वितरित करने का निश्चय किया है उसके कारण यह कमी हुई है।

श्री कृष्णानन्दराय—मेरा प्रश्न यह था कि इस राज्य में कुछ करों की जो वसूली हुई है उसमें बहुत कमी है, क्या इसलिये इस हिस्से में कमी आयी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो उत्तर में स्पष्ट है और इसका कुछ संकेत बजट की स्पीच में भी है कि फाइनेंस कमीशन ने जिन उसूलों के आधार पर रिकमेंडेशन की है कि इनके आधार पर प्रदेशों का हिस्सा बांटा जाय उनके कारण यह कमी हुई है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितना रुपया प्रदेशीय सरकार को केंद्र से मिलता था और इस तरह से जो नये सिद्धांत उन्होंने लागू किये हैं उनके लागू हो जाने से कितना रुपया मिलेगा ?

श्री जयराम वर्मा—१९६०-६१ में कुल ३३,७१,७७,००० मिला था। एस्टीमेट्स १९६१-६२ में ३४,२१,०५,९०० रुपया मिला और ६२-६३ में जो आया है उसके अनुसार ३३,५५,००,००० रुपया मिलेगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह मुख्य-मुख्य क्या नियम हैं जिनके ऊपर इतनी कमी हो गयी है ?

श्री जयराम वर्मा—एक तो इनकमटैक्स से जो धनराशि मिलती है उसमें से स्टेट्स का हिस्सा ६० प्रतिशत होता है, उसके बंटवारे के लिये अबतक सिद्धांत यह था कि उस कुल रकम का १० प्रतिशत वसूली के आधार पर बंटेगा और ९० प्रतिशत रुपया जन-संख्या के आधार पर बंटेगा।

लेकिन इस वर्ष से जो सिद्धांत उन्होंने अपनाया है उसके हिसाब से कुल रकम का २० फीसदी वसूली के आधार पर बटेगा और ८० फीसदी जन-संख्या के आधार पर बटेगा। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुल बटने वाली रकम में से जो १६.३६ फीसदी मिलता था उसके स्थान पर इस साल १४.४२ फीसदी मिलेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मंत्री जी ने जो सिद्धांत बनाये, एक तो आबादी का और दूसरा वसूली का तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस सूबे में आयकर की वसूली घट गई उसके कारण कमी हो गई या और सूबों के मुकाबले में यहां की आबादी घट गई इस कारण से कमी हो गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सेकेंड फाइनेंस कमीशन ने डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिस रखा था वह यह था कि वसूली के आधार पर १० परसेंट और पापुलेशन के आधार पर ९० परसेंट, यह हिस्सा ६० परसेंट में से स्टेट्स को मिलता था, लेकिन थर्ड फाइनेंस कमीशन ने यह राय दी कि वसूली के आधार पर २० परसेंट कर दो और पापुलेशन के आधार पर ८० परसेंट कर दो तो अब नतीजा यह हुआ कि जो १६.३६ परसेंट हमारा हिस्सा फिक्स होता था ६० परसेंट में से, वह अब १४.४२ परसेंट ही केवल रह गया, वह घट गया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जो नुक्सान हुआ मैं उसका कारण जानना चाहता हूं। मंत्री जी ने बताया कि रियलाइजेशन का २० परसेंट हो गया तो क्या रियलाइजेशन घट गया जिससे उस हिस्से में कमी आई या आबादी के हिसाब से ८० परसेंट जो मिलेगा, उसमें कमी आई ?

श्री अध्यक्ष—हमको जो रेशियो मिलता था उसमें कमी आ गई है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—यही मैं जानना चाहता हूं कि किस हिस्से में कमी आई है, आया रियलाइजेशन के हिस्से में कमी आई है या पापुलेशन के हिस्से में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बहुत साफ बात है। कलेक्शन का बेसिस रखने का अर्थ है कि ऐसे प्रदेश जहां इन्डस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है और आयकर में बड़ी रकम वसूल होती है वहां लाभ पहुंच जायगा। शायद उन्हीं का प्रेशर पड़ा हो जिससे फाइनेंस कमीशन ने यह सिफारिश की हो। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता (बंगाल) वगैरह जो प्रदेश हैं उनके अनुपात में हमारे यहां इनकमटैक्स की आमदनी कम है। कलेक्शन की बेसिस पर जब हो गया तो हमारा शेयर कम हो गया।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राज्य सरकार ने इस वित्त कमीशन के सामने जो अनुमान रखे थे उनसे कितनी रकम ज्यादा मिलने की आशा थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—फाइनेंस कमीशन से इस सरकार की जो यहां बातचीत हुई थी, और जो उनकी पत्रों में घोषणा भी हुई थी, उससे यह परिणाम निकलता था कि जो हमको मिलता है उसमें कमी नहीं आयेगी लेकिन जो उनकी सिफारिशें आईं डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में उनसे हमारे शेयर में कमी हो रही है। हमने इस मामले को टेक-अप किया है। हमारी गवर्नमेंट इस संबंध में गवर्नमेंट आफ इंडिया से लिखा-पढ़ी कर रही है।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी इस बात की सूचना देंगे कि जो कमी हो गई है उसकी पूर्ति के लिये प्रदेशीय सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो आप बजट में देख सकते हैं।

गणेश शुगर मिल, फरेंदा, जिला गोरखपुर, द्वारा गन्ना सस्ते दर पर खरीदने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास जो नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें आयीं हैं उनमें से मैंने श्री नरसिंहनारायण जी की सूचना को स्वीकार किया है। क्या माननीय गन्ना मंत्री इसके संबंध में कुछ कह सकेंगे ?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सूचना अभी मिली है। चूंकि इसकी इत्तला मुझे गोरखपुर से मंगानी पड़ेगी इसलिये उसके लिये मुझे समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जो सूचना मुझे मिली है, वह इस प्रकार से है :—

"गनेश शुगर मिल, फरेंदा, जिला गोरखपुर के मिल मालिकान अपने कांटे को बस्ती जिले के उत्तरी सरहद झंडे नगर में गाड़ लिये हैं। उस कांटे पर नैपाल तथा भारत का गन्ना गैरकानूनी ढंग से १० आने से १२ आने मन तक खरीद कर रहे हैं। इस ध्येय की प्राप्ति के लिये जो १६ डिब्बे बृजमनगंज स्टेशन सेंटर पर भेजे जाते थे, उनके स्थान पर अब केवल ६ डिब्बे दिये जा रहे हैं और बाकी डिब्बे बढ़नी स्टेशन सेंटर पर उपरोक्त गन्ने हेतु भेजे जा रहे हैं। इस परिस्थिति के कारण बृजमनगंज सोसाइटी के अन्तर्गत लाखों मन गन्ना किसानों के खेतों में सूख रहा है और विषम परिस्थिति पुर्जियां किसानों को न मिलने के कारण उत्पन्न है।"

माननीय मंत्री जी अब अपना वक्तव्य कब देंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—श्रीमन्, २३ तारीख को दे सकता हूं। २०,२१,२२ की छुट्टी है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, टिड्डी के बारे में मेरा प्रश्न है। करीब एक हजार ऐकड़ में टिड्डी अंडा दे रही हैं। श्रीमन्, टिड्डियों के अंडों से बड़ी जल्दी बच्चे होते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप उसको लिख कर दे दीजिये।

उत्तर प्रदेश राज्य गोदाम निगम नियमावली, १९५८†

न्याय मन्त्री के सभा-सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश, राज्य गोदाम निगम नियमावली, १९५८ को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट ऐंड वेअरर हाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, १९५६ की धारा ५२ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित कठिनाइयों को दूर करने की आज्ञा, १९६२†

माल मन्त्री के सभा-सचिव (श्री बृजबिहारी)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४२ के साथ पठित उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८३ के अधीन प्रख्यापित कठिनाइयों को दूर करने की आज्ञा, १९६२ को उक्त धारा ३४२ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

शनिवार, ५ मई तथा २ जून, १९६२ को सदन की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय सदन को एक सूचना और देना है। वह इस प्रकार है—

"५ मई तथा २ जून को शनिवार है। इस कारण साधारणतः प्रक्रिया, निवमावली के नियम १६ के खंड २ के अनुसार विधान सभा की बैठक नहीं होनी चाहिये, किन्तु मुझे सभी दलों के नेताओं की ओर से सूचित किया गया है कि १४ मई तथा २१ मई को बैठने में सदस्यों को

†छापी नहीं गयी।

असुविधा होगी, इसलिये सब नेताओं ने आपस में परामर्श करके यह निश्चय किया है कि १४ मई तथा २१ मई को बैठक न हो और उनके स्थान पर ५ मई तथा २ जून को सदन बैठे।"

मैं आशा करता हूं कि इसके संबंध में किसी को कोई आपत्ति न होगी और सदन इसको स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९६२-६३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद जारी होगा। कल श्री श्रीपत मिश्र जी बोल रहे थे, वे अपना भाषण जारी रखें।

श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं यह कह रहा था कि बजट की जितनी आलोचना हुई है, उसमें किसी भी व्यय के आइटम को यह नहीं कहा गया है कि कौन सा इसमें नहीं होना चाहिये या किसको इसमें से अलग किया जा सकता है। उसके संबंध में मैंने यह कहा था कि कुछ तनख्वाह जो आफिसरों की बढ़ायी गयी हैं, विशेषकर सप्लाई आफिसर वगैरह की, वह वास्तव में इतने दिनों तक काम करने के बाद अब उनको स्थायी रूप से रखने के लिये और सुचारुरूप से काम चलाने के लिये बढ़ना आवश्यक था। मैं अब अपने उन माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि इस बजट में जो आय की मदें हैं उनमें से भी वे ऐसा नहीं बतला सकते हैं, या उन्होंने बतलाया है, जो इसमें होनी नहीं चाहिये थी।

प्रश्न यह है कि तनख्वाह को बढ़ने या इसकी और भी व्यवस्था उसमें होने, इन सब से बजट में घाटा है या नये कार्यों से करीब १३ करोड़ रुपये का जो घाटा है, उसके संबंध में एक काल्पनिक दुख माननीय सदस्य भोग रहें हैं। उन्होंने यह कल्पना करके कि टैक्स लगेगा और दूसरी कल्पना करके कि मालगुजारी बढ़ायी जायेगी, उसके संबंध में यहां काफी विवाद किया। जब मालगुजारी में वृद्धि होगी या इस तरह की बात आयेगी तो वह अवसर होगा जिस समय हम इसकी आलोचना कर सकेंगे। लेकिन अभी तो एक काल्पनिक बात को सोच कर उस पर कार्य करना और उसकी आलोचना करना उतना मुनासिब नहीं था।

यह सत्य है कि किसी भी योजना को चलाने के लिये योजनाओं पर जितना व्यय इसमें दिखाया गया है उसके उचित व्यय के लिये यह आवश्यक है कि वे सुचारुरूप से चलायी जायं और सुचारुरूप से चलाने के लिये उसमें जो उनके चलाने वाले अधिकारी हैं उनका ठीक ढंग से काम करना, उनका ठीक ढंग से सुपरविजन करना, अपने नीचे के अधिकारियों का और उनके साथ ही साथ उनको ईमानदार होना अत्यन्त आवश्यक है तभी जनता का सहयोग और विश्वास इसमें हो सकता है कि जो भी कार्य सरकार कर रही है वह कार्य ठीक ढंग से होगा। मैं इस बात को नहीं मानता कि जिस उचित ढंग से कार्य चलना चाहिये वह नहीं चल सकता। इस कार्य को और योजना को सफल बनाने के लिये जहां तक जनता के त्याग करने वाली बात है, वह तो हम असानी से कर देते हैं कोई भी टैक्स लगा कर, मगर आफिसरों के द्वारा ठीक ढंग से कार्य हो और उचित ढंग से नीचे वाले लोगों के कार्य को देखा जाय ताकि एक अच्छी शुरूआत हो उन कार्यों की। प्रशासन को ठीक ढंग से देख पाते हैं या नहीं, यह एक विवाद का प्रश्न हो जाता है।

जब तक उसको ठीक ढंग से हम नहीं देखते हैं तब तक आप निश्चित जानिये कि हमारी योजना ठीक रूप से न चलकर हमें नुकसान ही पहुंचाती है और उन से हमें लाभ नहीं होता। यह तो वास्तविकता है जिस को सदन में रखा जा रहा है। भ्रष्टाचार है, मगर वह दूर कैसे हो और क्यों है? जबतक भ्रष्टाचार है तबतक योजनायें सफल नहीं हो सकतीं। इसमें भी कोई सन्देह नहीं है, यह सत्य है और निर्विवाद है। परन्तु वह दूर कैसे हो सकता है और

---

†१७ अप्रैल, १९६२ की कार्यवाही से।

[श्री श्रीपत मिश्र]

है क्यों ? होने की बात मैं आप से कहूंगा । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कल कहा था कि इस का बहुत कुछ संबंध चरित्र से है और इस के साथ-साथ एक बात आप को यह भी माननी होगी कि आज जनता ने पता नहीं क्यों, भ्रष्टाचार की अधिकता के कारण या समाज का नैतिक स्तर गिरने के कारण भ्रष्टाचार को स्वीकार सा कर लिया है । वह भ्रष्टाचार को उस निगाह से उस बुराई से और उस घृणा से आज नहीं देखती जिस से कि आज से १०–१५ साल पहले देखा करती थी । इस के साथ-साथ मैं आप से कहूंगा कि स्वतः हम लोग सदन के इधर के सदस्य और विरोधी दल के सदस्य अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें कि क्या कोई भी ऐसी बात जब कभी भी हमारे सामने आती है तो क्या हम उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, उस बुराई को मूलतः नष्ट करने की कोशिश करते हैं या उसको देखने के बाद यह तो नहीं सोचते कि इस भ्रष्टाचार से संबंधित व्यक्ति चाहे वह अफसर हो या जनता का कोई आदमी हो, उससे हमारा किसी तरह का लगाव या संबंध है ? क्या आप बिलकुल निष्पक्ष भाव से इस बात को न जानने का प्रयत्न करते हुये हैं कि यह आदमी कौन है और उसका पीछा अच्छी तरह से करते हैं? क्या आप अपने या जनता में यह बात पाते हैं कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसके विरोध में जो शिकायतें और मुकदमें जाते हैं उन में खड़े होकर उस आदमी के विरुद्ध भ्रष्टाचार साबित करने के लिये आते हैं ?

आलोचनायें हुई हैं, लेकिन एक दल ऐसा है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है और दूसरा दल समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है, लेकिन मैं आप से यह कहूं कि दोनों उस चीज में विश्वास रखते हैं, उस डिक्टेटरशिप की पद्धति में विश्वास रखते हैं जिनसे कि बहुत जल्द कोई कार्य कराया जा सकता है चाहे वह भलाई के पक्ष में हो या बुराई के पक्ष में हो। लेकिन हमारी जो व्वयस्था जनतांत्रिक प्रणाली के अन्तर्गत चल रही है, जिस रूल आफ ला के अन्दर हम चल रहें हैं उसमें जबतक कोई कानून की पकड़ में नहीं आता तब तक कुछ होना संभव नहीं है और कानून की पकड़ में आना ही कठिनाई की बात है । तो वह लोग जो डिक्टेटर-शिप के सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं यह संभव है कि वह किसी काम को जल्द कार्यान्वित करा सकते हों, लेकिन जब इस प्रकार के जनतांत्रिक प्रणाली के अन्तर्गत एक रूल आफ ला की सरकार होगी तो उस के बन्धन के अन्तर्गत आने के लिये जबतक वह सब बात ठीक नहीं हो जायेंगी जिन से कि वह कानूनन दंडित किया जा सके तब तक वह हो नहीं सकता । आज सरकार की सख्ती के बावजूद भी, सरकार के चाहने के बावजूद भी यह चीजें नहीं रुक पा रहीं है । और उस के लिये सरकारी दल और विरोधी दल के सभी सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है । मैं आप से यह कहूंगा कि इस तरह की जितनी भी बजट में बातें हैं उन में से सब का समर्थन नहीं भी किया जा सकता है । मगर इस तरह जब तक कोई विशेष बात उसके संबंध में न कही जाय और उसके स्थान पर उसकी तब्दीली क्या हो यह न बतलाया जाय तब तक जो वाद-विवाद हुआ और जो उसकी आलोचना हुई, मैं समझता हूं वह उचित नहीं है। यह बजट कल्याणकारी है और आम जनता के हित में है । यह संभव है इसी साल सारे प्रदेश के निवासियों का हित न हो, पर यह एक साथ हो भी नहीं सकता ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने १९६२–६३ का जो बजट पेश किया उसके संबोधन में २, १ वाक्य कहे । मैं एक वाक्य को पढ़ देना चाहता हूं । उन्होंन कहा "पहला लक्ष्य यह था कि हम अपने देश में असाम्प्रदायिक लोकतंत्रात्मक राजनैतिक व्यवस्था के आधार पर संसदीय शासन पद्धति की स्थापना करें जो जनता के द्वारा, जनता के हित की दृष्टि से परिचालित हो ।" यह तो संदीय पद्धति असांप्रदायिक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में कायम है उसके किताबों से उदाहरण बाद में दूंगा, पर एक बात अभी कह दूं कि इलाहाबाद की घटना जनता के हित की दृष्टि से, जनता के हित के लिये, और एक शब्द में अपनी तरफ से जोड़ दूं, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार द्वारा जो कांड इलाहाबाद में हुआ और मुख्य मंत्री के भाषण के बाद हुआ उससे तो कम से कम इस प्रदे-शीय सरकार को शर्म आनी चाहिये । प्रदेश की जनता को, देश तथा विदेश की जनता को

भली भांति विदित हो गया कि यह सरकार कुछ भी कह सकती है मगर यह नहीं कह सकती कि वह लोकतंत्रात्मक प्रथा और प्रणाली पर चलने वाली सरकार है ।

संसदीय प्रथा की बात आप करते हैं, समाजवादी समाज अभी माननीय सदस्य बोल रहें थे उन्होंने कहा कि हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य है, तो क्या इस तरह से निहत्थे आदमियों पर गोली चलायी जाय और मारने के बाद लाश न मिले, यह कहां तक जायज बात है ? हमारे देश और प्रदेश में आज बड़े और छोटे की आमदनी में कितना फर्क है इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। योरप के देशों में छोटे और बड़े पूंजी रखने वाले लोगों में ५ से ७ गुना तक अन्तर है । मगर हमारे यहां ५० से ३०० गुना तक अन्तर है । इसके संबंध में सोशलिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है उसकी दो लाइन आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं—

"गरीबी और अमीरी सभी जगह है पर इतनी असमानता नहीं है और कभी नहीं । इस गरीबी और अमीरी के साथ जुड़ गयी है जन्म की जातियों जो प्राय तीन चौथाई जनता को, या इससे भी ज्यादा शरीर, मन और दिमाग से अपाहिज और अधरे बनाये हुये है । इसी का परिणाम है कि हिन्दुस्तान दुनिया का वह अनोखा देश है जहां पिछले १५०० वर्ष में लोग एक बार भी अप ने देशी जालिमों और अत्याचारियों के खिलाफ नहीं उठे"

यहां पर खेत मजदूर ४, ८ आना या १ रुपया पाता है । भंगी १ रुपया पाता है और इसी मुल्क में टाटा और बिड़ला की आमदनी १ लाख रुपया रोज है । यहां का प्राइमरी स्कूल का अध्यापक ३० रुपया माहवार पाता है मगर अमरीका का अध्यापक १५०० से २००० रुपया के बीच में तनख्वाह पाता है। इतना बड़ा अन्तर दुनिया में कहीं नहीं है । हमारी राष्ट्रीय पूंजी प्रति व्यक्ति कितनी बढ़ती है । वह भी दुनिया में सबसे पीछे है । अमरीका में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय १८५७ डालर, कैनाडा में १२८४ डालर, स्विटजर लैन्ड में ९७२ डालर, ब्रिटेन में ७१५ डालर और भारत में ५ डालर है । यह १५ सालों के शासन के बाद सरकार आमदनी बढ़ा पायी है । श्रीमन्, आप देखे कि खर्चे का क्या हाल है । खर्चे का यह हाल है कि अमेरिका में एक आदमी की सालाना आमदनी १० हजार रुपये पड़ती है और वहां का राष्ट्रपति १२ हजार रुपया रोज खर्च करता है । लेकिन हिन्दूस्तान में एक व्यक्ति की आमदनी २८५ रुपया पड़ती है और हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री २० हजार से ले कर २५ हजार रुपये रोजाना खर्च करता है । यह अन्तर है । गरीबी कैसे मिटेगी ? लोकतन्त्रात्मक सरकार, जनता के लिये वेलफेयर समाज कैसे बन सकेगा ? इसे माननीय वित्त मंत्री कृपया बतलायेंगे ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की पुस्तिका बटी है । इसमें इस बात की चर्चा की गयी है कि चूंकि हमको केन्द्र की आय से कम मिला है इसलिये हमारी आमदनी का स्रोत कम हो गया, इसलिये हम उस आमदनी में वृद्धि नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है कि ग्राम में रहने वाली जनता की आमदनी १९ प्रतिशत कम हो गयी है ? आज इस देश के शहरों में क्या हो रहा है ? जमशेदपुर नगर बढ़ रहा है । बालचन्द नगर, डालमिया नगर और मोदीनगर बढ़ रहे हैं, लेकिन गांवों की इस शासन व्वयस्था में हालत दिन पर दिन गिर रही है । बापू ने कहा था सच्चा स्वराज्य वही है जो गांवों में स्थापित हो, किन्तु उस गांव राज्य की कल्पना करने वाली सरकार और बापू के पद चिन्हों पर चलने वाली सरकार आज गांवों को उजाड़ रही है और बड़े-बड़े नगर पूंजीपतियों के बना रही है । उनकी आमदनी बढ़ रही है और ग्रामीण जनता भुखमरी की ओर जा रही है । अगर मैं यह बतलाऊं कि हम लोग अपने क्षेत्र में क्या खाते हैं तो इस सदन के माननीय सदस्य समझ नहीं पायेंगे । माननीय गेंदासिंह जी के क्षेत्र में एक जहरीली जड़ गेंटी होती है । उसको जड़ से निकालते हैं । उसे सुखा कर, फिर कूट कर रोटी बनाकर खाते हैं । गोबर से अन्न निकाल कर खाते हैं । महुआ और आम की पत्ती उबाल कर खाते हैं । नदी में केकड़ा और गोहना छोटे-छोटे जनवर होते हैं उनको खाते हैं । आज इस देश में करोड़ों घरों में एक वक्त चूल्हा जलता है । माननीय वित्त मंत्री ने १९१ करोड़ रुपये का बजट रखा है और १५ वर्ष के शासन में सूखी रोटी नसींब नहीं होती, यह योजाओं का फल है ।

[श्री उग्रसेन]

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने यह कही है कि हमारी जो नीतियां हैं उन पर अपना मतदान करके जनता ने उनकी नीति और आदर्श के प्रति दृढ़ विश्वास प्रकट किया है । माननीय वित्त मंत्री जी को पता होना चाहिये कि कांग्रेस की सरकार ३६ फीसदी वोटों पर आई है । जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार ने चुनाव में धांधली की है उसके भी ज्वलंत उदाहरण हैं । स्वंय हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के क्षेत्र की बात मैं करता हूं । मतदान की जो तालिका रही हैं उसके बारे में मैं बतलाना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को एक पोलिंग स्टेशन पर १० वोट मिले और डाक्टर लोहिया को २७८ वोट मिले । दूसरे पोलिंग स्टेशन पर प्रधान मंत्री को २८ वोट और डाक्टर लोहिया को ४१८ वोट मिले । तीसरे पोलिंग स्टेशन पर प्रधान मंत्री को ६० वोट और डाक्टर लोहिया को ३०० वोट मिले । इस तरह से पचासियों पोलिंग स्टेशन्स पर प्रधान मंत्री को १०, २०, ५० और १०० वोट मिले हैं । क्या प्रधान मंत्री को इस बात का अहसास नहीं होता कि जिस क्षेत्र से चुन कर वह बार-बार दिल्ली की सरकार में जाते हैं और हिन्दूस्तान के प्रधान मंत्री बनते हैं उनके अधिकांश क्षेत्र की जनता उनको वोट नहीं करती है ? इसी तरह से मैं माननीय राजनारायण जी के क्षेत्र की बात करता हूं । माननीय वित्त मंत्री जी उसी जिले से आते हैं । प्रेसाइडिंग आफिसर को रात को उस कमरे में पाया गया जहां बैलेट बाक्सेज रखे हुये थे । पूछा गया क्यों पधारे हैं तो कहते हैं कि हम देखने आये हैं कि काउंटिंग कैसे होगी, जब कि काउंटिंग दूसरे या तीसरे दिन होने जा रही थी । एक पोलिंग स्टेशन पर तो प्रेसाइडिंग आफिसर पकड़े गये । इसलिये माननीय वित्त मंत्री को इस बात को कहने की जरूरत नहीं थी कि जनता ने हमारी नीतियों का समर्थन किया है । ३६ प्रतिशत मतदान से कांग्रेस सरकार चुनी गयी । मिल मालिकों के पैसे से तथा तमाम साजिशों के बाद उसने ३६ प्रतिशत वोटों का समर्थन प्राप्त किया है और उस पर माननीय मंत्री को नाज नहीं करना चाहिये था । समाजवादी समाज बनाने की बात माननीय सदस्यों ने की है । इसके दो नमूने मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । हिन्दुस्तान की जो बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं उनमें कितने प्रतिशत डिविडेन्ड मिलता है और मजदूरों की आमदनी कैसे कम होती जा रही है जरा इसको देखिये । लक्ष्मी में ७४, टेल्कों में ४५, टाटा आयल में ६९ और न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स में १६७ प्रतिशत डिविडेन्ड बंटा है । और इन्हीं कम्पनियों में मजदूरों की आमदनी जो १९५५ में १४४ रुपये थी वह १९५६ में १३४ रुपये रह गई, १९५७ में १४५.५ थी, १९५८ में १२५.६ और १९५९ में १२३.९ रह गयी । जब २२ अरब रुपया पहली योजना में खर्च हुआ और ४८ अरब रुपया दूसरी योजना में खर्च हुआ तो नतीजा उसका यह निकला कि मजदूरों की आमदनी तो १४४ से घट कर १२३ रह गयी और व्यक्तिगत आमदनी बढ़ रही है । टाटा की आमदनी १५ अगस्त, १९४७ के पहले ५० करोड़ थी जो आज ३०० और ४०० करोड़ के बीच है । यह रूपया कहां से आया । यह हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा है । यह आपके समाजवादी समाज की रचना का एक ज्वलन्त उदाहरण है ।

अब जरा बजट का मुलाहिजा फरमाइये । ४० करोड़ का घाटा है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किन किन चीजों पर टैक्स लगा कर इस ४० करोड़ के घाटे की पूर्ति करेंगे ? यह आशंका सही है कि आप टैक्स बढ़ायेंगे । मगर मैं कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी ने मांग की है कि ६ एकड़ की अलाभकर जोतों से मालगुजरी हटायी जाय ताकि ८५ फीसदी आलभकर जोत वाले किसान उससे लाभ उठा सकें । माननीय वित्त मंत्री जी ने इसी बजट भाषण के अन्त में यह निवेदन किया कि मैं जनता से निवेदन करता हूं कि वह जरा उदारतापूर्वक धन दे । हम कहां से उदारतापूर्वक दें । हमारे घर का सब सामान गिरवी हो गया, बच्चे भूखे मर रहें हैं, हमारी माताओं और बहनों के पास तन ढकने के लिये वस्त्र नहीं है । वित्त मंत्रीजी तो पूर्वी जिले से आते हैं और आज कहते हैं कि टैक्स दो । आप तो काशी के रहने वाले हैं पंचक्रोशी में मैं भी १२ वर्ष रहा । पाप नाशिनी, भारतीय संस्कृति का केन्द्र जिसका सारे संसार में प्रभुत्व है ऐसी काशी नगरी के रहने वाले वित्त मंत्री जी महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने पढ़ा था कि महर्षि दधीचि अपनी हड्डियां दे कर दानी कहलाये थे, लेकिन

हमारा दरिद्र किसान दधीचि क्या दे ? उसकी हड्डियां भी तो सूखी हुई हैं। पता नहीं इनको तरासाने के लिये आपके कारखानों ने तेज औजार बनाये हैं या नहीं। यह स्पष्ट है कि ५० फीसदी लगान आप बढ़ा रहे हैं। बार-बार सोशलिस्ट पार्टी की ओर से कहा गया कि खाद्यान्नों के दाम बांधों, कारखानों में बनी चीजों के दाम बांधों मगर आपकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आपका यह दावा कि यह समाजवादी बजट है कतई साबित नहीं होता।

मैं एक बात और निवेदन करता हूं, बजट बनाने के तरीके के बारे में। मैं बजट बनाने वालों से कहूंगा कि वे इस पर ध्यान दें। सन् १९६०-६१ में प्राप्ति का अनुमान था १३० करोड़ ९० लाख का और व्यय १३३ करोड़ २३ लाख का, २ करोड़ ३३ लाख का घाटा और वर्ष के अन्त में घाटा पूरा करके ४ करोड़ ४ लाख की बचत हुई। सन् १९६१-६२ में प्राप्ति का अनुमान था १४५ करोड़ ६३ लाख, व्यय १५४ करोड़ १३ लाख; ५ करोड़ ५० लाख का घाटा और साल के बाद ३ करोड़ २९ लाख घाटे की पूर्ति। और इस बजट में १३ करोड़ ३६ लाख रुपये का घाटा होगा। हमेशा घाटे का बजट बनाया जाता है। श्रीमन्, मैं एक अंग्रेजी की किताब से आपकी अनुमति से सदन के समक्ष कुछ पढ़ना चाहता हूं। इसमें बताया गया है कि बजटिंग किस तरह से होना चाहिये।

"The rule of 'penultimate year' was adopted. This required that revenues for the budget year must be forecast as identical with actual revenues for the fiscal year last ended."

यह फ्रांस का एक तरीका है कि पहले के बजट में जो खर्चा होता है उसी आमदनी के आधार पर दूसरा बजट बनाया जाता है। दूसरा तरीका औसत का है यानी औसत खर्चे और औसत आमदनी को देखकर बजट बनाया जाता है। तीसरा तरीका यह है कि वैल्एयेशन के आधार पर बजट बनाया जाता है। यह तरीका इंगलैंड में अपनाया जाता है। मैं नहीं मसमझ सकता हूं कि आपके बजट की व्यवस्था फ्रांस के बजट की तरह से है या औसत बजट की तरह से है या वैल्यूएशन की तरह से। बार-बार इस सदन में श्रीमन्, मांग की गई थी कि बजट मैनुअल में क्रान्तिकारी परिवर्तन होना चाहिये, लेकिन क्या परिवर्तन हुये इसकी कोई सूचना मुझे नहीं है। आपको बजट मैनुअल में उचित परिवर्तन करने होंगे। आपको अच्छे देशों के तरीकों को इस्तेमाल करना होगा।

श्रीमन्, हमारे लिये समय का ध्यान रखा जाय। एक बात मैं और कहना चाहता हूं हमारे माननीय मंत्री जी ने सिंचाई के बारे में बहुत सी बातें कहीं। हम लोग बाढ़ इलाके से आते हैं। सब से बड़ी खामी यह है कि हमारी सरकार के पास बाढ़ का इतिहास नहीं है। जब तक सरकार बाढ़ का इतिहास नहीं रखती, उसके मैप्स नहीं बना लेती, उसका सर्वेक्षण वगैरह नहीं कर लेती तब तक बाढ़ रोकने की कोई व्यवस्था या योजना सरकार नहीं बना सकती है। इसलिये जितनी योजनायें हमारी सरकार की हैं वे सब गलत हैं और अधूरी हैं। इसलिये बाढ़ नहीं रुक सकती है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जैसे हमारी सरकार ने १५ करोड़ रुपये कीजलकुंडी की योजना बनाई, नैपाल बांध बनाने की ३० लाख की योजना बनाई और घाघरा कट व की योजना बनाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अमरीका में स्कीम बनाई गई तो १०० वर्ष का बाढ़ का इतिहास बनाया गया। बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि पहले बाढ़ के मैप्स और सर्वेक्षण आदि तैयार कर लिये जायं। लेकिन यह नहीं किया गया। आज नदियां अनियंत्रित ढंग से चल रही हैं। सरकार की दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गई, लेकिन सरकार नहीं कह सकती है कि उसने बाढ़ें रोकने के लिये कोई ठोस कदम उठाया है। जहां कोसी प्रोजेक्ट बन सकता है वहां पर राप्ती गंडक योजना २०० करोड़ की भी बन सकती है। नैपाल की तराई में योजनायें बन सकती हैं। हमारे यहां अभी तो फर्टिलाइजर्स का कारखाना आने वाला था लेकिन अब वहां एरोड्रोम बनने वाला है। कारखाने की बात पहले होने को थी, लेकिन अब यह क्यों एरोड्रोम का मामला हो गया। बाढ़ को खत्म करने के लिये जरूरी है कि बाढ़ का इतिहास बनाया जाय और जो योजनायें ली जायं उनको निर्धारित समय में समाप्त किया जाय।

[श्री उग्रसेन]

चीन में सर्वेक्षण हुआ और जल्दी से जल्दी कार्यक्रम बना और उसको पूरा किया गया । इसी तरह से यहां काम होना चाहिये ।

कृषि के बारे में हमारी मांग है कि अलाभकर खेतों से मालगुजारी हटा ली जाय । इस तरह से मालगुजारी १,८८,४०,४७९ एकड़ से हट जायगी । श्री चरणसिंह जी ने इसको माना है कि सवा छै एकड़ या साढ़े छै एकड़ से ज्यादा जमीन लाभकर है और इससे नीचे की जमीन अलाभकर है यही नहीं, श्रीमन्, केन्द्र के एक मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि अलाभकर जोत वह हैं जिनसे आमदनी नहीं होती और उनसे लगान, मालगुजारी माफ की जाय । पंजाब में श्रीमन् जब इस बात पर विचार हो रहा था चुनाव के जमाने में तब यह था कि सवा ६ एकड़ तक मालगुजारी माफ कर दी जाय, लेकिन जब वोट मिल गये तब उन्होंने यह कह दिया कि अब सवा ६ एकड़ जोत तक लगान पंचायतें वसूल करेंगी बाकी राजस्व विभाग वसूल करेगा । हिन्दुस्तान में कोई सिद्धान्त नहीं है मालगुजारी के सम्बन्ध में । किसी समय टोडरमल के जमाने में उस पर विचार हुआ था और उस प्रथा को अकबर ने अपनाया था और जो आमदनी ३ वर्ष की वसूलयाबी के आधार पर होती थी उस पर मालगुजारी रखी गयी थी । जो गल्ला होता या उसी में से कुछ मालगुजारी के रूप में लिया जाता था । आज क्या है ? मैं कहता हूं कि बिना आमदनी के जमीन पर टैक्स करना वह बिलकुल अमानवीय चीज है और दुनिया के इतिहास में कहीं भी नहीं है । लेकिन यहां मंत्री जी की दो आंखें हैं । ग्रामीणों के लिये फुटही आंख है और शहरवालों के लिये दूसरी आंख है । शहरों में तो वह आमदनी पर टैक्स करेंगे, लेकिन हमारे यहां पैदा पर टैक्स करेंगे । सोशलिस्ट पार्टी ने इसीलिये इस बात का नोटिस दिया है कि लाखों किसान पहली जून को लखनऊ आयेंगे और मांग करेंगे कि १० बीघा तक घटे लगान और "सवा ६ एकड़ तक के जोतों पर से मालगुजारी हटायी जाय ।" मंत्री जी जिन किसानों का वोट लेकर आये हैं अगर उनके बोझ को उठाना चाहते हैं तो वह मेहरबानी करके उस लगान को खत्म करवा दें ।

आज समाजवादी समाज की बात करने वाली कांग्रेसी सरकार के जमाने में मजदूरों की क्या हालत है ? सूती मिल के मजदूरों की क्या हालत है ? रेशनलाइजेशन कमेटी बैठी । उसकी रपट आयी लेकिन उसकी रपट लागू नहीं की गयी । माननीय सम्पूर्णानन्द जी उसके बीच बचाव में पड़ गये, लेकिन आज तक उसका एवार्ड नहीं निकला । मैं मांग करता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द ऐवार्ड को शीघ्रतिशीघ्र लाया जाय और उस ऐवार्ड में रेशनलाइजेशन के साथ-साथ मिल में काम के घंटों, ग्रेचुटी इतवार को पूरा चले या न चले आदि सभी मामलों पर माननीय सम्पूर्णानन्द जी का ऐवार्ड है । वह जल्द से जल्द आना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि सूती वेज बोर्ड ने यह कहा है कि सूती मिल के मजदूरों को ६ रुपये की वृद्धि दी जाय । हिन्दुस्तान की सभी मिलों में यह वेज बोर्ड की सभी सिफारिशें लागू कर दी गयी हैं । लेकिन कानपुर की दो मिलें हैं एक तो अर्थटन वेस्ट और दूसरे एलगिन मिल नम्बर २, इन दोनों में अभी तक इसकी सिफारिशें लागू नहीं हैं । संराधन बने हुये हैं । लेकिन जितने मामले संराधन के लिये जाते हैं उनमें से ८५ फीसदी मामले तय नहीं होते । सरकार द्वारा पूंछा जाता है कि तुम इन्टक के हो और हम कहते हैं कि नहीं हम इन्टक के नहीं हैं तो हमारे मामले कहीं १० फीसदी ही लिये जाते हैं जब कि आई० एन० टी० यू० सी० के ९० फीसदी मामले रिफरेंस के लिये जाते हैं । गीताप्रेस मजदूर सभा में मैं लगभग दो तीन वर्ष से काम करता हूं । हमारे ५ मुकदमों में से अभी भी ३ मुकदमें सड़ रहे हैं रिफरेंस में नहीं गये हैं । ४ लेबर कोर्ट्स हैं, २ कानपुर में, १ लखनऊ और १ मेरठ में और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इलाहाबाद में है, एक शायद अभी-अभी लखनऊ आनेवाला है । इतने ट्रिब्यूनलस और इतने लेबर कोर्ट्स के होते हुये भी हमारे मुकदमें अभी फाइलों में सड़ रहे हैं और उनका रिफरेंस नहीं किया जा रहा है ।

बाजार कर्मचारियों का मामला है । वह आज तक एडजुडीकेशन को नहीं भेजा गया । मजदूरों की ओर से मांग है कि बाजार कर्मचारियों के सभी मामले एडजुडीकेशन में भेजे जायं ।

चाहे आप दो चार लेबर कोर्ट्स और बढ़ा दीजिये, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मजदूरों का मामला रिफरेंस में जाने से न रोका जाय। क्या हो रहा है? तीस-तीस और चालीस-चालीस वर्ष से मजदूर काम कर रहे हैं। कायदा है कि अगर छटनी हो जायगी तो १५ दिन का वेतन प्रतिमास का देकर तब प्ले आफ किया जायगा। लेकिन शुद्ध छटनी न करके चोर दरवाजे से छटनी शुरू हो गयी है। मिल मालिकों ने अब दूसरा हथकंडा छटनी का अपनाया है। कानपुर का पूंजीपति क्या करता है? मजदूर को डाक्टर के यहां ले जाता है और उससे उसको अनफिट करार दिलवा देता है और उसका कायदे से जो वेतन होता है दे कर कह देता है कि अब तुम घर जाओ। सैकड़ों और हजारों मामले ऐसे पड़े हुये हैं जहां चोरदरवाजे से डाक्टरों की मदद से उसकी छटनी हो जाती है और कोई तरीका उसके लिये नहीं है। आज इसी में जे० के० रेयन फैक्टरी का मजदूर भूखों मर रहा है।

साढ़े तीन लाख अराज्यपत्रित राजकर्मचारी बार बार मांग करते हैं कि वेतन कमेटी बैठाइये। १९४७ में वेतन कमेटी बैठी थी। क्यों नहीं वेतन कमेटी बैठाते हैं? अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमारा महंगाई भत्ता उनसे ज्यादा है। यह गोल जवाब है। इसमें ढोल में पोल है। बम्बई का बस कंडक्टर ९८, ९९ रुपये महंगाई पाता है और एक बी० ए० की बाजारी कीमत शायद ८० रुपये है। मैं कहता हूं कि राजकीय कर्मचारियों को भूखे मत मारिये। रोडवेज के २० हजार मजदूर आपके नाम पर रोते हैं। ५० हजार चपरासी हैं वह भी आपके नाम पर रो रहे हैं, लेकिन मंत्रियों की संख्या बढ़ रही है "जस जस सुरसा बदन बढ़ावा"—सुनता हूं कि छः और बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल गिरि जी ने सुझाव दिया था कि ५०, ५० आदमी बाई रोटेशन मंत्री बन जायं तो कोई ऐतराज नहीं है। मगर मैं कहता हूं कि पचास हजार चपरासियों को आप क्यों मार रहे हैं? ५ हजार राजकीय कर्मचारी एक महीने की नोटिस दे कर इस प्रदेश में निकाल दिये जाते हैं। गरीब भूखों मर रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। पचास हजार चपरासी भूखों मर रहे हैं। इस सेक्रेटरियेट में चिराग तले अंधेरा है। बिजली के बल्ब में ऊपर अंधेरा होता है और नीचे उजाला होता है मगर यहां बिजली लगने पर भी नीचे अंधेरा है। इसी सेक्रेटरियेट में दस दस साल के अस्थायी लोग हैं। डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी प्रोसीडिंग्स कमेटी बैठी थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदेश दिया कि जो तीन साल से ज्यादा काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी हैं यदि उनके विभाग स्थायी हों तो उन्हें उसी पद पर स्थायी कर दिया जाय। लेकिन इसी सेक्रेटरियेट में कितने ही कर्मचारी जो तीन तीन साल से काम कर रहे हैं अस्थायी हैं। लीबिया के मैदान में सुबह फौज खड़ी होती थी और शाम को काट दी जाती थी। यह लीबिया के मैदान में ५० हजार कर्मचारी सुबह खड़े होते हैं और शाम के वक्त काट दिये जाते हैं। मंत्री जी को उसका कोई गम नहीं है। कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य बन गया है। समाजवादी राज्य बना रहे हैं। आगे साम्यवादी राज्य भी होगा। सारे कार्य कलाप बन रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री चले गये। उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया था कि निजी और गवर्नमेंट स्कूल के अध्यापकों के डी० ए० में जो अन्तर है वह मिटाया जायगा। रोडवेज में दो तरह के कंडक्टर हैं, दोनों टिकिट देते हैं, लेकिन दोनों के वेतन में अन्तर है। सरकारी स्कूल के अध्यापक को महंगाई भत्ता दूसरा मिलेगा, और प्राइवेट स्कूल के अध्यापक को महंगाई भत्ता दूसरा मिलेगा। दरजा तीन से अंग्रेजी प्रारम्भ कर दी गयी है। जो अध्यापक अंग्रेजी नहीं जानते हैं वह निकाले जाने वाले हैं।

हरिजनों के बारे में बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करते? काका कालेलकर साहब की आत्मा आज रो रही होगी। उन्होंने बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट में कहा था कि सरकारी तथा स्थानीय निकायों में २५ फीसदी, दूसरे दर्जे की ३३-१/२ फीसदी और तीसरे तथा चौथे दरजे की ४० फीसदी जगहें हरिजनों को दी जायं मगर केवल १८ फीसदी भी नहीं देते हैं।

[श्री उग्रसेन]

में तीन विभाग लेता हूं । मैं हरिजन भाइयों से, और सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—आप सदन से कह रहे हैं या हरिजन भाइयों से कह रहे हैं ?

श्री उग्रसेन—सभी माननीय सदस्यों से कह रहा हूं । ट्रांन्सपोर्ट विभाग में टेक्निकल इंस्पेक्टर ४, हरिजन शून्य । रीजनल इंस्पेक्टर १०, हरिजन शून्य । सहायक रीजनल इंस्पेक्टर १०, हरिजन शून्य । यह ट्रांसपोर्ट में है ।

ए० पी० पी० ६, हरिजन शून्य। टी० एस० २९, हरिजन शून्य। हैडक्वार्टर के अपर डिवीजन क्लर्क ३१, हरिजन शून्य, लोअर डिवीजन क्लर्क ५३, हरिजन शून्य । सीनियर एकाउंटेंट ४, हरिजन शून्य । जूनियर एकाउन्टेन्ट ४, हरिजन शून्य, कहीं हरिजन का नामो-निशां तक नहीं है ।

सिंचाई विभाग ओवरसियर ८९३, हरिजन १ । कहां हैं सिंचाई मंत्री जी ? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सुपरवाइजर २८७, हरिजन १ । रिसर्च सुपरवाइजर २२५, हरिजन १ । मिनिस्टीरिअल स्टाफ २५९, हरिजन शून्य । जिलेदार २४४, हरिजन शून्य । जिलेदारों की क्या काबलियत होती है ? ट्यूबवेल आपरेटर्स ५,३३९, हरिजन शून्य।

श्री अध्यक्ष—आपका समय भी शून्य हो गया।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, जरा पुलिस विभाग का और सुन लें। सिपाही ४७,४१६, हरिजन १,३७२ । हेडकांस्टेबिल ८२५८, हरिजन ९८ । छोटे दरोगा ३२०९, हरिजन १११ । इंसपेक्टर ४२२, हरिजन शून्य । उप-पुलिस अधीक्षक २८५, हरिजन १२ । सहायक पुलिस अधीक्षक २३, हरिजन २ । पुलिस अधीक्षक ९६, हरिजन १ और उसकी भी बड़ी दुर्गति है । कोई बड़ा जिला उसे नहीं दिया जाता।

बड़ा नारा लगाया गया था कि हरिजनों, के लिये बापू के राज्य में गांव गांव कुयें बनवा दिये जायेंगे सब हरिजनों को मड़ैया बनवा दी जायगी। कहां है वह मड़ैया ? तो माननीय मंत्री जी मेरी इन बातों का तो कम से कम खयाल करें ।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया है । मैं दो दिन से इस ऐवान में अपने मोअ-ज्जिज मेम्बरान की सन् ६२–६३ के बजट के बारे में तकरीरें सुन रहा हूं और मैं यह समझ पाया कि जितने भी उधर से बोले उन्होंने इस बजट के समाजवादी होने से गुरेज किया और कहा कि य ह समाजवादी बजट नहीं है । मैं आपको इसके सिवाय और कुछ नहीं कह सकता, इतना ही कह सकता हूं कि कब्ल-अज-वक्त-बावैला । एक शायर का शेर है कि—

"कुछ हाल के बाशिन्दे बेहाल नजर आये ।
जब भेष में सियासत के नक्काल नजर आये ।।"

तो ऐसी वकालत करने वाले और इस समाजवाद के दावेदार बनने वालों पर इस शायर के शेर के मुताबिक यह चीज उन पर आयद होती है । न तो वह समाजवाद को समझने की कोशिश करेंगे और न उसे कभी समझेंगे । एक वह हमारे सोशलिस्ट भाई साहबान हैं जो कि समाजवाद का नारा बुलन्द करते हैं और अपने को सोशलिस्ट कहते हैं, लेकिन बात वही करेंगे जो अक्ल से खारिज होगी । इनका समाजवाद यह है कि अंग्रेजी हटा दो । अंग्रेजी हटा दो तो समाजवाद कायम हो जायगा ? यह इनका समाजवाद है, हालांकि यह अभी उस अंग्रेजी की किताब से हवाला दे रहे थे और मैं सुन रहा था । माननीय उग्रसेन जी ने अंग्रेजी के अल्फाज कई इस्तेमाल किये । अब आप देखिये कि जो लोग किसी बात का दावा करें और खुद उस पर अमल न करें तो उनकी क्या वकत रह जाती है ? शून्य । वह शून्य यहां आयद होता है ।

---

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे विरोधीदल के नेता इस वक्त हाजिर नहीं हैं और उनकी हाजिरी इस वक्त जरूरी है ताकि वे हमारे सब के खयालात को सुनें । वह तो इतना जानते हैं कि अगर कोई मंत्री महोदय यहां पर हाजिर न हों तो उनकी तरफ से फौरन एतराज होता है और खुद गायब हो जाते हैं तो अल्ला ही मालिक है । मैं उनसे आपके जरिये से मुखातिब होना चाहता था मगर वे गैरहाजिर हैं । आखिर उनको पता लग जायगा । मैं आपके जरिये से उधर के लोगों से मुखातिब होता हूं और वे मुझसे इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि इस दुनियां में कोई इन्सान या गवर्नमेन्ट कामिल नहीं है और यह अमर बिलइत्तफाक सरीह है । इसमें कोई इन्कार की गुंजायश नहीं है । यह ऐसी बात है कि जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है । जब इस बात पर कोई एतराज नहीं है तो यह लाजिमी है कि दुनियां में किसी भी सरकार का बजट, किसी भी हुकूमत का बजट कामिल नहीं हो सकता । जब वह कामिल नहीं हो सकता तो उसमें नकायस का होना लाजिमी हो जाता है । जब कोई चीज कामिल नहीं होगी तो नकायस का होना उसमें लाजिमी बात है । जब यह बात लाजिमी है तो इस तरह से नुक्ताचीनी करना कि यह समाजवादी बजट नहीं है खारिज अक्ल की बात है और सरासर धोखा देना है अपने आपको ।

मुझे अफसोस है कि विरोधी दल के नेता और मेम्बरान ने माननीय वित्त मंत्री जी की तकरीर को गौर से नहीं पढ़ा । कुछ हिस्सा ऐसा छोड़ गये हैं कि जहां पर उनको समाजवाद की झलक और रोशनी मिलेगी । तकरीर में जहां पर यह साबित होता है कि समाजवादी बजट है उसको तो नजरन्दाज कर जाते हैं और जहां पर अपने मतलब की बात की गुंजायश दिखाई देती है, मेरे भाई साहबान को, वहां पर वह खुद एतराज बगैर मुदल्लल तरीके से चस्पां करने लग जाते हैं कि यह समाजवादी बजट नहीं है । मैं इन साहबान की तवज्जह वित्त मंत्री जी की तकरीर के शुरू सफे के उन जुमलात की तरफ मबजूल करना चाहता हूं जिसमें वित्त मंत्री जी ने सरीह अलफाज में बयान फरमाया है । उसमें यह बतलाया है कि समाजवाद क्या है । सदियों की गुलामी के बाद आजादी हासिल हुई । इसको हासिल करने के बाद ही हमने महसूस किया कि हिन्दुस्तान की आजादी के मन्जिले मकसूद का अभी यह पहला ही कदम है । इसलिये इस मुल्क की कौमी जिन्दगी को तहम्मुल और तसकीन देने के लिये उन कदमों का उठाना जरूरी है जिससे समाजवाद के लहमों का इनहसार हो । अपनी तकरीर के पहले सफे पर ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया है । मुल्क का आईन, जिस पर बुनियादी जमहूरियत मबनी है, आज १२ साल का अरसा हुआ मुकम्मिल हो चुका है और उसके मुताबिक अपनी हुकूमत बनाकर अपनी जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिये हुकूमत काम कर रही है. . . .

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—मेरा वैधानिक प्रश्न है । माननीय सदस्य एक किताब को कोट कर रहे हैं और जो उसमें नहीं लिखा हुआ है उसको कोट कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—(श्री दत्त से) आप अपना भाषण जारी रक्खें । यह वैधानिक प्रश्न नहीं है ।

श्री एस० जी० दत्त—यह बात साफ है कि दुनियां में जिन मुल्कों ने समाजवाद निजाम को अपनाया है उन्होंने बिला इत्तफाक समाजवाद का एक ही नस्बुलऐन माना है कि एवाम की इक्तसादी और समाजवादी जिन्दगी में इंतशार न हो । बाकी समाजवादी निजाम को अपने-अपने ढंग से, अपने-अपने जराये के हिसाब से, अपने रस्मोरिवाज और आबोहवा के मुताबिक, अपने एवाम की जरूरियात जिन्दगी को मद्देनजर रख कर उन्होंने अपनाया है और यही समाजवाद की बुनियाद है । इसलिये हर समाजवादी मुल्क के तरीके एक दूसरे से अलग-अलग हैं और हर एक के समाजवाद में फर्क है और यही हर समाजवादी जमात में फर्क का बायस होगा और वह आज इस एवान में भी इसलिये है कि यहां हर सियासी पार्टी इस बजट को अपने समाजवादी खयालात के मातहत देखती है । लेकिन यह कहना सरासर गलत है कि यह समाजवादी बजट नहीं है । यह समाजवादी बजट है यह हमारा दावा है । और इसमें हमारी मुखालिफत करने की किसी को गुंजायश नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—बाकी भाषण पढ़ा हुआ समझा जाय तो क्या हर्ज है।

श्री अध्यक्ष—आपका एक मिनट रह गया है। अब खत्म कीजिये।

श्री एस० जी० दत्त—अध्यक्ष महोदय, अब हमने समाजवाद को असली जामा पहनाया है और उसके शिकार यहां बैठे हुये हैं। यह जो जमींदार और ताल्लुकेदार थे उनको हमारी सरकार ने इस हालत में ला दिया है कि वे अपने हाथ से काम करना सीख रहे हैं। जो किसानों की मेहनत और मजदूरी पर पलते थे उनको किसानों की हालत सुधारने के लिये, बेहतर बनाने के लिये, सरकार ने खत्म किया है। क्या यह समाजवाद नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं अपने भाइयों से ? अब आपके यहां कार नहीं रही, महल नहीं रहे और आपको अब मेहनत करनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान उन कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस के अन्दर किसी भी सरकार को आज की परिस्थिति में बजट बनाने की नौबत आ सकती है। मैं पांच मिनट उन कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। और १० मिनट में मैं अपने थोड़े से विनम्र सुझाव रखूंगा।

श्रीमन्, किसी भी बजट को तैयार करने में इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम किस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को आगे के वर्षों में रूप देना चाहते हैं। समाजवाद का हमारे देश में क्या रूप होगा उसका सही इन्टरप्रीटेशन अभी तक हमारे सामने नहीं आया। इसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारी समझ में नहीं आता है कि हम किस समाजवाद की रूपरेखा सामाजिक ढांचे के अन्दर रखना चाहते हैं। क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था होगी, क्या अर्थ तंत्र-होगा, और वह भी जनतंत्र के अन्दर, यह एक कठिन सवाल है।

मानव स्वभाव में दो विरोधी भावनायें होती हैं। एक तो स्वतंन्त्रता की भावना तथा दूसरी समाज में अधिक से अधिक सुविधायें पाने की इच्छा। जब कभी कोई किसी नाम पर धर्म द्वारा या संस्था के नाम पर व्यक्तियों की आजादी पर बहुत बड़ा कुठाराघात करता है तो उस आजादी को प्राप्त करने के लिये बड़ी-बड़ी क्रांतियां होती हैं, और जब कुछ व्यक्ति या वर्ग व्यक्तिवाद के नाम पर समाज में बहुमत पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं तो उस समय समाजवाद का नारा बुलन्द होना लाजमी हो जाता है। मनुष्य की यह दोनों उपयोगी चीजें हैं कि वह न तो बिना आजादी के रह सकता है और न बिना सुविधाओं के।

अनेक सदस्य—सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष—आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है, या तो जरा जोर से बोलें या माइक ठीक कर लें।

श्री महादेव—श्रीमन्, मैं कह रहा था कि यह दोनों भावनायें विरोधी हैं। जब हम अधिक सुविधाओं की बात करते हैं तो यह मानी हुई बात है कि उसमें अधिकारों को सौंपने की बात आती है और जब हम अधिक आजादी चाहते हैं तो यह मानी हुई बात है कि फिर समाजवादी समाज को दूर रखने की जरूरत पड़ती है। समाजवाद के दो रूप हैं। एक तो वह है जिसमें उत्पादन को केंद्रित करके उसके बटवारे की समस्या को हल किया जाता है। उसमें यह निश्चय है कि उत्पादन का काम एक केन्द्रित सत्ता के हाथ में होगा चाहे उसका रूप नौकरशाही का ही क्यों न हो। दूसरा रूप वह है जो पूज्य बापू जी ने बतलाया था और वह यह था कि हमें केन्द्रित ढंग से उत्पादन की तरफ नहीं जाना चाहिये जहां पर हम उसको विकेन्द्रित ढंग से ला सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों प्रश्नों का समाधान हो जाता है। एक तो उसमें काम का बटवारा

कर देते हैं और व्यक्तियों को किसी के अधीन होकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती और दूसरे उससे रोटी का सवाल भी हल हो जाता है। मेरा खयाल है कि हमारी सरकार की जो सबसे प्रमुख भूल पिछले वर्षों में रही है वह यह है कि हम समाजवाद की वह रूपरेखा, जो हमारे देश के लिये अच्छी हो या जिसे देश की जनता स्वीकार करने को तैयार हो, नहीं बना पाये और न ही हमने यह सोचा कि किस तरह से समाजवादी वातावरण की कल्पना हम आज से १०-१५ वर्ष बाद कर सकते हैं और वह भी प्रजातांत्रिक ढांचे के अन्दर।

श्रीमन्, यह प्रश्न आसान नहीं है। एक सत्ता के अन्दर नौकरशाही के द्वारा किसी व्यवस्था को लागू कर देना आसान है। और पूंजीवादी ढंग के सारे उपाय उतने मुश्किल नहीं हैं, लेकिन प्रजातंत्र और साथ-साथ समाजवाद की रचना, दोनों का सामंजस्यीकरण कोई आसान खेल नहीं है। बड़े गम्भीर चिन्तन की जरूरत है। इसलिये आज के बजट के सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि चूंकि भावी समाज की रूपरेखा का कोई स्पष्ट चित्र हमारे सामने नहीं है इसलिये जब भी कोई बजट तैयार करेंगे तो सारे झमेले आ जायेंगे, यह कठिनाई नम्बर एक है।

दूसरी कठिनाई यह है कि और देशों ने जहां पंचवर्षीय योजनायें चलाई वहां पर उनकी जनसत्ता सिमट कर कुछ व्यक्तियों या एक सत्ता के अधीन हो गयी। चाहे उसे नौकरशाही कहें उसका परिमार्जित रूप कहें, लेकिन प्रजातंत्र के अन्दर नियोजन चलाने का प्रयास स्तुत्य है, पर कठिन भी है। इसमें जन-सहयोग की आवश्यकता होती है, जन-भावनाओं की आवश्यकता होती है, जन-विश्वास की आवश्यकता है। अगर उसको हम तैयार नहीं कर सकते तो यह सम्भव नहीं है कि हम प्रजातंत्र भी चलायें और नियोजन के काम भी सुचारुरूप से चला सकें। इसलिये जरूरत है कि हम इस कठिनाई को भी पार करें कि हमारे बजट का रंग-ढंग ऐसा हो जिसमें हम जन-विश्वास पूरे तौर से अपने साथ पा सकें।

तीसरी बुनियादी कठिनाई, खैर, बुनियादी तो नहीं कहा सकता, लेकिन वह यह है कि मैं जब अपने यहां से चुनकर चला तो मैंने समझा था कि सदन के सामने जनता की परेशानियों की कहानी आयेगी और उसके निराकरण के उपाय आयेंगे, लेकिन यहां मैंने केवल जबानी कसरत देखी और उसका नतीजा यह है कि हम शायद इस तरह के वातावरण में जनता को कुछ दे नहीं सकेंगे।

अब मैं उन सुझावों की तरफ आता हूं जो मैं चाहता हूं कि इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी बजट के अन्दर हों। पहला सुझाव यह है कि किसी भी दशा में गांव की क्रयशक्ति को घटाने का प्रयास करना भयंकर भूल होगी, चाहे लगान के रूप में, चाहे सिंचाई की बढ़ोत्तरी के रूप में, चाहे किसी रूप में। देश के औद्योगीकरण की बात कही जाती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम किसके बल पर औद्योगीकरण की बात करते हैं। एक मिसाल देता हूं कि एक गांव में अगर एक रुपये का साबुन फी व्यक्ति इस्तेमाल करे महीने में, तो १,००० रुपये के साबुन का इस्तेमाल हो सकता है जोकि सफाई के लिये बहुत अधिक नहीं है। इस तरह से साल में १२,००० रुपये के साबुन की खपत होगी और ५-६ गांवों के लिये १ लाख का साबुन चाहिये। इस प्रकार से काफी बड़ी इंडस्ट्री कायम हो सकती है। २-३ सौ कारखाने तो हमारे जिले में ही चल सकते हैं। आप अन्दाज नहीं कर सकते कि कितने कपड़े की जरूरत है और कितने सामान की जरूरत है। आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपकी मशीनें फेल हो सकती हैं।

प्रश्न यह है कि उनके खरीदने की शक्ति हमारे गांव के अन्दर है? हम खेती पर से भार हटाना चाहते हैं, लेकिन किसके बल पर? यह तभी हो सकता है कि जब हम भूमिहीनों को, कम खेती वालों को ज्यादा रोजगार दे और गांव में उनको ऐसा अवसर दे सकें कि वह वहां अपनी रोजी कमायें और मेहनत के साथ कमा सकें। इसलिये हमारे बजट में अगर इसका प्रावीजन नहीं है तो हम गांव की इस क्रय शक्ति को बढ़ाने में कुछ प्रोत्साहन दे सकें, यानी उनकी हालत सुधार सकें। इसमें शक है। यह तो बड़ी मुश्किल हो जायगी कि हम उनपर ऐसी

[श्री महादेव]

हालत में टैक्स लगा दें, जैसे किसी किसान के पास १ सेर आलू का बीज है और कातिक के महीने में कोई उसे हड़प ले जाय तो बड़ी भूल होगी। वह उसको कातिक में बो सकता है, चैत में उस १ सेर आलू से १ मन आलू हो सकता है। उस समय आप उससे १ सेर के बजाय डेढ़ सेर ले लीजिये तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन १ सेर बीज ही हड़प कर गये तो वह तो वही मसल होगी कि मुर्गी के कुल अंडे लेने के लिये उसका पेट ही चीर दिया। किसान इसको बरदाश्त नहीं कर सकता, गांव का गरीब इसको बरदाश्त नहीं कर सकता। इसलिये किसी भी हालत में उसकी क्रयशक्ति को ह्रास पहुंचाने के लिये किसी भी तरह की बढोत्तरी या टैक्स लगाना उचित न होगा, यह उसके बूते की बात नहीं है। सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस तरह के भयानक रास्ते पर कदम उठाने की कोशिश न करे।

दूसरी चीज यह है कि गांवों के उत्थान की बातें की जाती हैं। पांच-छः साल पहले हमारे यहां आचार्य बिनोबा जी आये थे तो मैंने उनसे प्रश्न किया था कि आप सर्वोदय के द्वारा जो स्वर्ग की कल्पना करते हैं उसको पूरा करने के लिये कौन से व्यक्ति इस धरती पर उतरेंगे, क्या आपके आश्रम के लोग इस काम को पूरा कर सकेंगे? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने पूछा कि क्या सरकारी कर्मचारियों से यह सम्भव है? जवाब मिला, नहीं। मैंने फिर पूछा कि क्या आप समझते हैं कि आपका शिक्षित समुदाय इसको पूरा करेगा? वह नाराज हो गये और उन्होंने कहा कि अगर मेरा बस चले तो आज के स्कूल कालेजों में ताला लगा दूं, यह तालीम देश के लिये खतरनाक है। मैंने कहा कि जब न तो सरकारी कर्मचारी, न शिक्षित समुदाय और न आपके आश्रम के कर्मचारी इसको कर सकते हैं तो क्या आप समझते हैं कि राजनीतिक पार्टियों से यह सम्भव होगा? उन्होंने कहा कि "नहीं", वह तो राजनीति की चपेट में है, उनके सामने प्रजातंत्र का रास्ता ही नहीं है। मैंने कहा कि फिर क्या आप गांव के फटेहाल, अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा इसकी कल्पना करते हैं, अगर ऐसा संभव होता तो उसने अपनी सारी मेहनत लगादी, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, लेकिन कुछ नहीं कर सका, तो फिर वह व्यक्ति कौन हैं जिनके ऊपर आप से गांव के स्वराज्य की कल्पना करते हैं?

दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता देश और समाज के लिये यह है कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था, जिसकी आप कल्पना भी करते हैं, उसको चलाने के लिये आपको आदमी चाहिये, पैसा दूसरे नम्बर पर आता है। पैसे का स्थान पहला नहीं है। देश के कल्याण का काम आदमी करता है, पैसा नहीं। आपकी इस प्लानिंग में १५ सालों से सबसे बड़ी त्रुटि यह रही है कि इसमें आदमी नहीं बनाये जा रहे हैं, केवल नौकरों के बल पर चलाने की कोशिश की जा रही है। इस बजट में हमारे गांवों के लिये विशेष तौर से आदमियों को देने की कोशिश नहीं है। एक ग्रेजुएट क्या गांव में खेती कर सकता है? अगर जवाब है "हां" तब तो ठीक है और अगर जवाब "नहीं" है तब फिर आप २५ अरब रुपया भी खर्च करके कुछ नहीं कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा शायद अब ४–५ मिनट का समय रह गया होगा, मेरी प्रार्थना है कि इसके अतिरिक्त मुझे ५ मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपके ३ मिनट रह गये हैं, इसके अलावा दो मिनट और मिल जायंगे।

श्री महादेव—मैं गांव के रचनात्मक नेतृत्व का छोटा सा नक्शा रखना चाहता हूं। मैंने एक ग्रेजुएट से खेती करानी शुरू की ४ एकड़ खेत में। पिछले ६ साल के अन्दर जो तजुर्बा हुआ है वह यह है कि वह साल में दो ढाई हजार खर्च करता है, साल में ४–५ हजार की आमदनी होती है। यह कोई असंभव नहीं है। खेती और पशुपालन हमारे देश के महान उद्योग हैं जिसके द्वारा हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसी की क्रयशक्ति के ऊपर हम औद्योगीकरण की बात भी सोच सकते हैं और वह असम्भव बात नहीं है। शर्त यह है कि हम शिक्षित समाज को गांव के अन्दर बिठा सकें और १० एकड़ के काश्तकार को एक तहसीलदार एस०डी०ओ० का दर्जा आमदनी और शिक्षा में दे सकें। तभी हमारे देश का कल्याण सम्भव

हो सकता है। यदि इस तरह के आदमी पैदा करने की योजना आपके बजट में नहीं है तो केवल पानी की तरह रुपया बहाकर आप देश का उत्थान नहीं कर सकेंगे।

तीसरी चीज यह है कि विकास कार्य पर लगी हुई सरकारी मशीनरी को सिम्प्लीफाई किया जाय, कम किया जाय और यह हो भी सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक गांव में एक दर्जन आदमी रखे जायं। ये लोग गांव को बनाने के लिये होने चाहिये न कि शोषण करने के लिये। लेखपाल, वी०एल०डब्लू या सेक्रेटरी गांव के उत्थान की बात नहीं सोचते हैं। गांवों का नेतृत्व वही कर सकते हैं जिनकी रुचि गांवों में होगी। आप केवल उनको सुपरवाइज कीजिये। लेकिन आप यह चाहें कि केवल नौकरों के बल पर ही सारे काम को कर डालेंगे, यह मुमकिन नहीं है। अगर आपके बजट में रुपये की कमी है तो नौकरों की संख्या को कम करके उसको पूरा कीजिये।

चौथी चीज यह है कि जब तक आप शिक्षा को केन्द्रित करके उसकी सारी व्यवस्था को नहीं चलायेंगे तब तक आप शिक्षा के क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन आज जिस प्रकार से उसकी उपेक्षा हो रही है उसके बारे में शिक्षा के बजट के समय विस्तार में कहूंगा, लेकिन इस समय केवल इतना बता देना चाहता हूं कि शिक्षा की उपेक्षा का प्रमाण यह है कि माध्यमिक स्तर पर आप जो शिक्षा दे रहे हैं उसकी ९० प्रतिशत आप सहायता प्राप्त स्कूलों के द्वारा देते हैं। लेकिन उनको आप जो अनुदान देते हैं वह मनमाने रूप से देते हैं। इसके अलावा वहां के अध्यापकों की एक न्यायपूर्ण मांग यह रही है चूंकि सरकारी स्कूल और सहायता प्राप्त स्कूलों, दोनों के कार्य एक ही प्रकार के हैं, इसलिये दोनों का वेतन एक समान ही होना चाहिये। लेकिन सरकार ने उसके साथ आजतक न्याय नहीं किया। यह इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा की ओर हमारा कितना ध्यान है और हम शिक्षा की कितनी अवहेलना कर रहे हैं। इसके होते हुये यदि हम शिक्षा का नवीनीकरण चाहते हैं तो वह एक असम्भव-सी बात है।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है आप एक भ्रष्टाचारी नौकर से दूसरे भ्रष्टाचारी नौकर का सुधार करना चाहते हैं। यह परस्पर कितनी विरोधी बात है। हमें इसके लिये ऐसी एजेंसी की आवश्यकता होगी जो इसको रोक सके। क्या आपने उस ऐजेंसी का निर्माण किया है ? मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि किस प्रकार से उसको दूर किया जा सकता है। अतः हमें आवश्यकता है कि हम ऐसी एक एजेंसी का निर्माण करें।

*श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किन-किन बाधाओं के फलस्वरूप हमें कौन-कौन असफलताओं का सामना करना पड़ा और कौन-सी सफलतायें उनके बावजूद भी हमने प्राप्त कीं। मैं वास्तव में सदन का और विशेषकर माननीय अध्यक्ष महोदय का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इसके विषय में अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया।

हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने आलोचना की, लेकिन उनकी वह आलोचना न्यायसंगत नहीं थी, सही नहीं थी। सरकार की जो भी बुराइयां हो सकती थीं अथवा नहीं हो सकती थीं, वह उन्होंने इस सदन के समक्ष रखीं। उनको इस बजट में कोई भी खूबी नहीं दिखाई दी। बहुत से माननीय सदस्यों ने तो इस बजट की तुलना अमेरिका और दूसरे विदेशी देशों से की। लेकिन क्या उन्हें नहीं मालूम है कि हमारा देश और प्रदेश दूसरे मुल्कों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है तथा अर्द्धविकसित है। किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिये बहुत बड़े त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है और सैकड़ों वर्षों तक उसको अपने बलिदानों से सींचना पड़ता है। इस थोड़े दिन पूर्व ही आजाद हुये मुल्क की तुलना उन्नतिशील देशों की आमदनी से करना न्याय-संगत नहीं है।

विषय जो कि इस सामान्य बजट में सम्मिलित है मैंने उसका अध्ययन किया और यहां पर माननीय सदस्यों के वक्तव्यों को भी भलीभांति सुना। उसके बाद भी मैं समझता हूं कि बजट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सूबेदारसिंह]

कल्याणकारी है। यह हो सकता है कि बजट में कुछ खामियां भी हों। देयर इज नो रोज विदाउट ए थार्न (There is no rose without a thorn)। लेकिन अधिकांशतः जहां तक मैंने देखा है, बजट जनता के हित के लिये बिलकुल ही सम्यक और समुचित है हम जानते ह कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर लोगों का मुख्य पेशा खेती है। बजट में मुझे यह देखने को मिला कि कृषि विषय को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। ७१० सक्रिय विकास क्षेत्र खेती की उन्नति के लिये बराबर कार्य कर रहे हैं। अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत ४ करोड़ २० लाख रुपये की अग्रिम धनराशि लोन के रूप में जनता को बांटी गयी। साथ ही छोटी सिचाई योजना के अन्तर्गत इन्हीं विकास खंडों के द्वारा २ करोड़ २० लाख रुपये की धनराशि दी गयी। साथ ही सहकारी समितियों को खेती की उन्नति के लिये एक विशेष प्रोत्साहन दिया गया। ऐसी अवस्था में जब कि हमारी सरकार खेती के विषय को इतना महत्वपूर्ण समझती है और उस पर अपना सम्यक ध्यान देती है तो मैं समझता हूं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारा बजट जनकल्याणकारी नहीं है।

जहां तक खेती के सुधारों का प्रश्न है, उसके लिये भी हमारी सरकार ठोस और सही कदम उठा रही है। इस संबंध में सहकारी खेती का प्रश्न आया और हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने उसकी बड़ी आलोचना की। मैं सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि सरकार कोई भी योजना जनता पर लादना नहीं चाहती और जो सहकारी खेती की योजना है वह भी जनता पर लादने वाली बात नहीं है। वह तो कांग्रेस अपने प्रयास से केवल एक नया वातावरण उत्पन्न कर रही है कि अगर जनता उसे ठीक समझेगी तो उसे अपनावेगी। आज हम देखते हैं कि कृषि की स्थिति देश में इतनी अच्छी नहीं है। ४०–५० बीघे खेती का करने वाला खेती के सभी साधनों को पर्याप्त रूप से नहीं जुटा सकता। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि १०, २०, ५० कृषक मिल कर अपनी खेती के साधनों को पर्याप्त रूप से जुटाने का प्रयास करें और खेती की पैदावार को बढ़ावें।

विरोधी पक्ष के लोगों के द्वारा भूमि के रिडिस्ट्रब्यूशन की बात कही जाती है और सहकारी खेती की आलोचना के संबंध में बहुत सी बातें कही जाती है, वे सब निरर्थक हैं। कांग्रेस का यह पूरा विश्वास है कि सहकारी खेती की योजना जनता के लिये लाभकारी होगी और इससे देश का कल्याण होगा, हमारा प्रदेश भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा।

चकबन्दी वाली जो बात कही गयी, वास्तव में प्रदेश के लिये वह बड़े सौभाग्य का विषय था कि चकबन्दी जैसी एक प्रमुख योजना इस प्रदेश में लागू की गयी है। लेकिन मैं एक फील्ड वर्कर होने के नाते यह मानता हूं कि चकबन्दी योजना अच्छी होते हुये भी अधिकारियों और जनता में प्रलोभन होने के कारण उसमें बहुत सी बुराइयां देखने को मिलती हैं। इस में अगर विरोधी पक्ष के सदस्य यह कहते हैं कि यह सरकारी पक्ष के लोगों का दोष है मैं इसे मानने को कदापि तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में अभी एक विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता से मिला था, मैं उस पार्टी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन यह आप को और सदन को बताना चाहता हूं कि वह मुझ से कहने लगे कि मैं १ हजार और २ हजार रुपये तक रिश्वत देने के लिये तैयार हूं केवल इसलिये कि मुझे भूड़ के एवज में उपजाऊ जमीन मिल जाये। यदि हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य सदन में कुछ कहें और बाहर फील्ड में जाकर दूसरी बात करें तो इससे भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। चाहे इस पक्ष के सदस्य हों या उस पक्ष के सदस्य हों, मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार के लिये हम सभी जिम्मेदार हैं। जबतक हम सब मिलकर योजना बना कर भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे तबतक वह दूर नहीं हो सकता।

सिचाई तथा कृषि संबंधी माध्यमों के बढ़ाने के संबंध में मैं अर्ज करूंगा कि सिचाई के लघु, माध्यम और बड़े साधनों को जुटाने के लिये सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। पिछले बजट में लगभग ८ करोड़ रुपया इस कार्य के लिये रखा गया था। इस वर्ष भी हमें यह जानकर खुशी

हुई कि बजट में इस कार्य के लिये लगभग १३ करोड़ की धनराशि रखी गई है। इसके लिये वास्तव में वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

इस संबंध में मैं इतना जिक्र करना चाहूंगा कि सरकार ने तमाम साधन तमाम क्षेत्रों में जुटाये हैं और उस के लिये वह बधाई की पात्र है, लेकिन अभी भी जितने साधनों की आवश्यकता है वह उपलब्ध नहीं हो सके हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उन क्षेत्रों की तरफ अधिक ध्यान दे जहां पर कि अभी तक सिंचाई की योजनाएं कम हैं।

दूसरी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे विरोधी दल के साथियों ने कटु आलोचनायें की हैं। मैं भी समझता हूं कि कुछ कमियां अवश्य हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों को बढ़ा-चढ़ा कर कहना माननीय सदस्यों के लिये उचित न होगा।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, ३-४ मिनट और दे दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—अभी आप के २ मिनट बाकी हैं।

श्री सुबेदार सिंह—यह बिल्कुल सही बात है कि हमारा प्रदेश शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने प्रयत्न नहीं किया। विश्व विद्यालयों में वृद्धि हुई, माध्यमिक विद्यालय अधिक संख्या में खोले गये, जूनियर और, प्राइमरी स्कूलों की संख्या में भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ प्राविधिक शिक्षण संस्थायें और औषधि विज्ञान संबंधी शिक्षा संस्थायें भी सूबे में बहुत बड़ी संख्या में खोली गई हैं। लेकिन यह भी सही बात है दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इसका पूरा दोष हम सरकार पर नहीं डाल सकते। इसके लिये हमें जनता की भावनाओं को परिवर्तित करना होगा। जब जनता की भावनायें बदलेंगी, जब वह शिक्षा के उद्देश्य को सही माने में समझने लगेगी, तब हमारे यहां शिक्षा का स्तर, साथ-साथ पढ़े लिखे लोगों की संख्या में वृद्धि होगी।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। अभी तक जो भी प्राविधिक और औषधि तथा विज्ञान संबंधी शिक्षण संस्थायें खोली गई हैं वे अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों में हैं। इस बात की कमी महसूस की जा रही है कि हमारे देहात में रहने वाले बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं और इससे सरकार को भी घाटा है। आज अगर कोई अस्पताल देहात में खोला जाता है तो सरकार के सामने एक समस्या आती है वहां डाक्टर और कम्पाउन्डर की। अगर इस तरह की शिक्षा संस्थायें देहातों में हों तो देहाती वातावरण में पले हुये और वहां पर शिक्षा प्राप्त किये हुये नवयुवक यह जरूर चाहेंगे कि हम देहात में रह कर देहात के लोगों की सेवा करें। हमारे नवयुवकों को शहरों में आकर एक तो एडमिशन की कठिनाई होती है, रहने की कठिनाई होती है, अपने को शहरी वातावरण के अनुकूल बनाने में कठनाई होती है, यह भी कठिनाई होती है कि इतना बड़ा खर्चा शहर का उठा सकें। अगर इस प्रकार की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार विचार करेगी कि देहातों की उन्नति के लिये वह इस प्रकार की संस्थायें देहात में खोले तो प्रदेश का अधिक कल्याण होगा और यह एक न्याय भी होगा जनता के साथ, क्योंकि अधिकांश जनता देहातों की है और जब तक देहातों की जनता का आर्थिक और नैतिक स्तर ऊंचा नहीं उठता तब तक प्रदेश की सच्ची तरक्की संदेह से परे है।

श्री नाथूराम (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम में आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं जो आपने मुझे इस बजट पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। यह समेट बाट का बजट है। अपने विचार में इस तरह का रख रहा हूं कि यह बजट उस कहावत से परिपूर्ण है कि "मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की"। इस बजट के दो हिस्से हैं, एक तरफ से इसका समर्थन हो रहा है कि हमने जो बजट पेश किया उसकी आमदनी और खर्च का हिसाब सही निकला। दूसरी तरफ से यह कहा जा रहा है कि आमदनी गलत है और खर्च व्यर्थ है।

[श्री नाथूराम]

मैं उस क्षेत्र से आया हूं जहां बजट की जितनी भी मदें हैं, या सरकारी जितनी भी कार्य चलाने की सीढ़ियां हैं वे उस क्षेत्र के लिये कुछ भी नहीं हैं। मैं १४ वर्षों के अन्दर की यह बात आपके सामने रख रहा हूं। किसी प्रकार का कार्य उस क्षेत्र में नहीं हुआ। अब अगर कोई दावा करता है तो ठीक है, वर्ना जो ब्लाक कमेटियां हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। सरसवां ब्लाक में क्या हो रहा है आप जरा देखें। ५० हजार रुपये की रकम आज तक खर्च नहीं हुई और शायद वह सरकार के खजाने में वापस पहुंच गयी होगी। उसी तहसील मंझनपुर ब्लाक में ४० हजार रुपया गरीबों की मदद के लिये गया, वह वहां न खर्च हो कर मेजा भेज दिया गया। मैं कैसे मानूं कि यह समेटवाद बजट देश के कल्याण के लिये आ रहा है। यह आप कह सकते हैं कि हम समाजवाद से देश का कल्याण करेंगे लेकिन यह कल्याणकारी बजट नहीं है। यह तो समेटवाद बजट है। यहां सरकार ऊपर से नीचे की ओर आ रही है जब कि प्रकृति का नियम है कि हर चीज नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जिस नींव पर समाज खड़ा किया गया है उस नींव को छू सकने में यह सरकार कभी सफल नहीं हो सकेगी, भले ही इस बजट में तनख्वाहें और भत्ते बढ़ा दिये गये हों सरकारी कर्मचारियों के।

मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस किसान से देश को जनोपयोगी चीजें मिलती हैं, जब किसान के घर में फसल तैयार होती है उस वक्त ५,६ सेर का भाव रहता है, लेकिन वह गल्ला जब वहां से निकल कर बाजार में आ जाता है तो वह सवा सेर, डेढ़ सेर और तीन पाव का जनता को खरीदने को मिलता है। उस समय सरकार कह सकती है कि सवा सेर का गल्ला बिक रहा है मंहगाई हमने बढ़ा दी, लेकिन जहां से गल्ला निकल कर बाजार में आता है वह तो खाली हाथ हो गया। उसकी ओर सरकार की निगाहें कतई नहीं जाती है। हम कैसे मान लें कि यह समाजवाद है। तो समाजवाद को हमने अपनी जो संज्ञा दी "समेटवाद", यह ठीक है। इसलिये सरकार को चाहिये कि गल्ले की फसल में बाजार का भाव नियत कर दें, अगर चार सेर का भाव है तो वर्ष भर साढ़े तीन सेर से नीचे नहीं बिकना चाहिये।

मैं अपना अनुभव सरकार के सामने रख रहा हूं। नदी के किनारे के गांव हैं। जिस वक्त बाढ़ आती है उनमें, फसल को क्षति होती है, या गांव को क्षति होती है तो सरकार की ओर से आधे-तिहाई-चौथाई पर जो भी तकावी बांटी जाती है उसमें अधिक से अधिक तकावी उनको दी जाती है जिनके पास अधिक से अधिक स्थायी सम्पत्ति होती है। उसके बाद छोटे वालों का नम्बर आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जिनके पास स्थायी सम्पत्ति बिलकुल नहीं होती उनको सरकार की तरफ से सहायता करने का कोई भी प्राविजन नहीं है। बजट में तब मजबूरी होती है उस मजदूर और किसान की मदद करने में। तब वह मजदूर मजबूर होता है आध पाव, पाव और डेढ़ पाव गल्ले पर अपना जीवन दिन भर बिताने के लिये। तो मैं इस बजट को समाजवादी बजट नहीं कह सकता, समेटवादी कहने का दावा जरूर करता हूं। अगर गांव की बात करने को यह मान लिया जाता है कि यह असंगत बात है और सदन के समय को नष्ट करना है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मंत्रियों को चाहिये कि वे गांवों को देखें। लेकिन दिक्कत यह आती है कि उनके पास कोई पहुंचता है तो सफेद पोश पहुंचता है और जो गांव के नीचे के स्तर के लोग हैं उनकी पहुंच न उन सफेदपोश तक है और न मंत्री महोदय तक है। हम कैसे मान लें कि समाजवाद ठीक चल रहा है। यह समाजवाद दूसरे देशों का निकाला है। भारतीय समाजवाद को तोड़-मरोड़ देने से इन १४ वर्षों के अन्दर जो भी दुर्गति समाज की हुई है वह कहने की चीज नहीं है, देखने की चीज है और गांवों में जा कर देखिये कि समाजवाद का नक्शा है क्या ? गांधी जी ने कहा था कि पहले गांव को मजबूत करो मगर सरकार आज भारत के बाहर की दौलत, भारत के बाहर की अक्ल, भारत के बाहर के प्लान लाकर लादती जा रही है और कहती यह है कि हम जनता के मन की बात रख रहें हैं। जनता छटपटाई हुई है, परेशान है। उसका सबूत यह है कि आज हुकूमत के खिलाफ इतनी सीटें उसने दूसरों को दिलायी हैं। मान लेना चाहिये पार्टी इन पावर को कि जनता उनके विरुद्ध

है । मैंने एक भाषण में देश के रत्न के मुंह से सुना था कि हम कैसे मानें कि जनता परेशान है । जब हम वोट मांगते हैं तो जनता भर पेट देती है, टैक्स हमारे खजानों में वसूल हो कर आ रहा है, लेकिन आज जो इतनी सीटें उनके विरोधी लोगों को मिली हैं इससे उनको मान लेना चाहिये कि आज जनता उनके विरुद्ध है ।

टैक्स आप जितना लगायेंगे वह कहां पहुंचेगा ? सरकार के कहने के लिये उसके पास आंकड़े मौजूद हैं । लेकिन आप जाइये गांव की ओर । वहां आप सूखी हुई जड़ पायेंगे । हां, पत्तों और तने में जरूर चिकनाहट आयी हुई है इन १४ वर्षों में । लेकिन जिस राज्य की जड़ सूखती जा रही हो उसका तना और पत्ते कितने दिन तक टिक सकते हैं ? आज जनता सरकार के सम्मुख आना चाहती है, लेकिन उनके दलाल गांवों में घुसे हुये हैं जो दबाये रहते हैं जनता की आवाज को ।

पुलिस का क्या कहना है । सरकार ने इतने अधिकार दे दिये हैं पुलिस को कि बिला किसी सूचना के, बिला किसी अधिकर के जब जिसके घर में चाहे घुसे, उनको पकड़े और पहुंचते ही पीटना शुरू कर दे । इसका असर यह हुआ कि जनता पुलिस के खिलाफ टक्कर लेने लगी है । मैं मिसाल दे रहा हूं, थाना पूरा मुक्ती में चरवा ग्राम की और थाना पश्चिम सरीरा में डक्सरिया ग्राम की । वहां जनता और पुलिस में संघर्ष हुआ क्योंकि पुलिस ने गलत तरीके से जनता को परेशान किया था । इसी तरह से थाना मंझनपुर खास में मेला ग्राम में भी जनता और पुलिस में संघर्ष हुआ, क्योंकि पुलिस ने दफा १०७ और ११० में लोगों को पकड़ कर उन पर मुकदमें चलाये थे । आज गावों में कोई सुरक्षा नहीं है । गांव के लोग शहर आ रहें हैं । गांव के गुन्डे पुलिस वालों के दलाल हैं और वे मंत्रियों के भी दलाल हैं । मैं दावा करता हूं इस बात का कि वे मंत्रियों से सीधे संबंध रखते हैं जिसकी वजह से कोई मामला उठने नहीं पाता । जनता चाहती है कि मामले की जांच हो, लेकिन कोई जांच नहीं होती । तरीका इतना बढ़िया निकाला है कि अगर आपको दूध पीना है तो बाजार में पाऊडर खरीद लीजिये, घी खाना है तो डालडा बह रहा है, खा लीजिये, किसी चीज की कमी नहीं है। यह आपका कहां का समाजवाद है कि अमरीका की भैंसों का दूध यहां आ रहा है । वहां की भैंस बहुत दुधारू हैं. इसमें कोई शक नहीं है । इसलिये हमारा कहना है कि भारतीय जनसंघ की आंखों से भारत को देखिये । आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती है । इसलिये आज देश का सत्यानाश हो रहा है । इससे आपका कल्याण नहीं हो रहा है, समाज का कल्याण नहीं हो रहा है और देश का कल्याण नहीं हो रहा है । आज खुले आम जनता कह रही है कि इससे तो अंग्रेजी राज्य अच्छा था ।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य का समय समाप्त ।

श्री शौकत हमीद खां (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, १९६२-६३ के बजट पर इस सदन में बहस हो रही है । हमारे फायनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर फरमाई है उसमें दो बातें खास हैं और वे ही बजट के आधार हैं । पहली बात तो उन्होंने यह फरमाई कि सैक्यूलर डेमोक्रेटिक पोलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना दरअसल हमारे कांस्ट्टीयूशन का सब से बड़ा मकसद था और इस मकसद को जब हमने कांस्ट्टीयूशन को बनाकर पूरा कर लिया है तो दूसरा मकसद यह था कि "Progressive economy calculated to hasten the advent of socialistic pattern of society". यानी सोशलिस्टिक तरीके पर किस तरह से मुफलिसी से आजादी हासिल करें और अपने देश को उन्नति के रास्ते पर ले जायं । इन दोनों बातों को पूरा करने के लिये एक ही तरीका था और वह यह था कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से योजनाएं अपने देश में चालू करें ।

दो योजनायें हमारी खत्म हो गयी हैं और तीसरी योजना हमारे सामने है और आज इसको पूरा करने के लिये किस तरह से रुपया फराहम किया जाय यह बात काबिले गौर है । लेकिन इस तीसरी योजना को चलाने के लिए हम यह महसूस करते हैं कि करीब-करीब साढ़े तेरह करोड़

[श्री शौकत हमीद खां]

रुपया हमें टैक्सेज के जरिये फराहम करना होगा । अब क्या यह मुनासिब होगा कि यह रुपया जो टैक्स की शक्ल में योजना को पूरा करने के लिये चाहिये, उसके लिये नये टैक्स लगायें ?

(इस समय १ बजकर १९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल, पीठासीन हुये ।)

इस सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमेशा किसी न किसी जरूरत से ही टैक्स लगा करते हैं । लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि वे बजट का मुस्तकिल हिस्सा बन जाते हैं और हमेशा के लिये कायम रहते हैं । मुझे इस सिलसिले में यह अर्ज करना है कि यह नामुनासिब होगा कि आज हर शख्स के दिमाग पर यह चीज हावी है कि लगान में इजाफा होगा, आबपाशी में इजाफा होगा । अगर यही तरीका अख्तियार किया गया तो हमारे वायदे जो हमने जनता से किये हैं उनकी क्या कीमत रह जायगी और हमारे मैनीफेस्टो की क्या बात रह जायगी जिसके जरिये हमने आवाम से वोट मांगे हैं । अगर यह रुपया चाहिये ही तो प्लान के नाम पर हर टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगा दिया जाय और रुपया पूरा किया जाय ताकि फाइनेन्स मिनिस्टर का यह वायदा कि एक एक पैसा जो वह इस तरह से वसूल करेंगे कि वह सिर्फ योजना के लिये ही सर्फ किया जायगा, वह भी पूरा हो जायगा । कहीं यह रुपया हमारे अफसरों की तनख्वाह का हिस्सा बनकर न रह जाय । अब यह भी देखना है कि १७८ करोड़ में से जिसका बजट आपके सामने पेश किया गया है १५३.७१ करोड़ रुपया हमारा ऐडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के ऊपर सर्फ किया गया है । क्या इसमें मुमकिन है कि हम कुछ बचत कर सकें ? क्या यहां कोई इकानामी की जा सकती है ? इस मसले को बराबर सोचा गया है कि किस तरह से कमी की जाय, लेकिन मेरे खयाल से तख-फीफ करने का जाबिये निगाह जरा मुख्तलिफ रहा है । बजाय इसके कि हम नीचे के कर्मचारियों को अलग करें असल बात यह है कि there is always room on the top. ऊपर इसका इमकान ज्यादा है क्या यह मुमकिन है कि ऊपर हम कुछ कमी कर सके हैं । कोई वजह नहीं मालूम होती कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इरीगेशन का चीफ इंजीनियर अलग हो, पी० डब्ल्यू० डी० का चीफ इंजीनियर अलग हो, Project का चीफ इंजीनियर अलहिदा हो । एक ही चीफ इंजीनियर से काम चल सकता है जो तमाम डिपार्टमेंट्स को देख सकता है और यकी-नन इतनी बड़ी-बड़ी तनख्वाहों के अफसरों को कम किया जा सकता है । इसी तरह से हर डिपार्टमेंट में हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर के बड़े-बड़े अफसरों में कमी की जा सकती है । जब कभी कोई बचत की जाती है या कोई इकानामी ड्राइव किया जाता है तो वह हमेशा नीचे के मुलाजिमान पर होता है जैसा पिछली दफा किया गया, जिससे कोई खास लाभ नहीं होता ।

इसके अलावा क्या हमारी सरकार ने यह मालूम करने की कोशिश की कि आखिर वह क्या स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर हिन्दुस्तान के लोग रहें । यह मसला बहुत दिनों से मारिजे बहस रहा है कि एकानामिक होल्डिंग क्या हो । आखिरकार यह तय हुआ कि १२ १/२ एकड़ एकानामिक होल्डिंग है । लेकिन जिस वक्त आप एकानामिक होल्डिंग की तलाश करते हैं तो क्या यह मुनासिब नहीं है कि हम डीसेंट लिविंग स्टैंडर्ड की तलाश भी करें कि उसके लिये कितनी तनख्वाह काफी है ? मेरे खयाल से पे कमीशन आप जरूर मुकर्रर करें, लेकिन उसका सिर्फ एक वाहिद टर्म आफ रिफरेंस हो और वह यह हो कि एक आदमी की डीसेंट लिविंग के लिये कितनी तनख्वाह काफी हो सकती है और फिर उसके ऊपर हिसाब लगाकर तनख्वाहों को अजसरे नौ तय किया जाय । गौतम पल्ली, क्ले स्क्वायर और उनके आउटहाउसेज में जो हम देखते हैं फर्क है वह बाकी न रहे और सब लोग ज्यादा करीबतर आ सकें । एकानामिक होल्डिंग गवर्नमेंट ने साढ़े १२ एकड़ तय कर दिया, लेकिन मैं यह यकीन से कह सकता हूं कि चाहे जापानीज मेथड से पैडी ग्रोइंग शुरू की जाय या यू० पी० के तरीके से गेहूं बोवाइये, कोई शख्स इस थोड़े से रकबे में इतना नहीं कमा सकता है कि वह अपने बच्चों को सही तरीके से तालीम दे सके । मेरे खयाल से तीन चार नस्लों के बाद महसूस होगा कि जो शख्स जरायतपेशा है वे कम से कम अपनी औलाद को तालीम दिलाने में हमेशा कासिर रहेंगे और उनके बच्चे तालीम की कमी की वजह से

आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और मेरा खयाल है कि उन लोगों पर हमेशा के लिये उनका असर कायम हो जायगा जो जरायत पेशा नहीं हैं बल्कि सनअत और हिफरत का काम करते हैं। इसीलिये यह जरूरी है कि आप वे कमीशन मुकर्रर कीजिये, इस बात को तय करने के लिये आखिर डीसेंट लिविंग क्या हो और उसके लिये एक व्यक्ति को कितनी ज्यादा से ज्यादा और कितनी कम से कम तनख्वाह मिले ।

मैं यह महसूस करता हूं कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी अगर वाकई में कायम करना है तो आप जनता में एक नमूना पेश करके कर सकते हैं। आखिर वह कौन-सा मेआर है जिस पर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी को लाना चाहते हैं यह जनता को मालूम होना चाहिये। मैं निहायत अदब से अर्ज करता हूं कि उसका मिआर सदन के सदस्यों के स्टैंडर्ड आफ लिविंग से कायम नहीं होता है बल्कि वह अफसरान कायम करते हैं। हमेशा से हम लोग अफसरान को अपना नमूना समझने के आदी रहे हैं और उन्हीं को देख कर अपना चलन और अपना ढंग बनाने के आदी रहते चले आये हैं।

यहां और बहुत-सी बातें कही गयीं। कर्मचारियों की तनख्वाह के सिलसिले में कहा गया, पुलिस की बुराई की गयी। जनरल एलेक्शन का जिक्र किया गया। सेल्स टैक्स का भी मसला उठाया गया।

सेल्स टैक्स का मसला वाकई सबसे ज्यादा दिक्कत तलब है और हममें से हर एक, चाहे इस तरफ बैठा हो या उस तरफ, यह महसूस करता है कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कम से कम तकलीफ के साथ सही तरीके पर टैक्स वसूल किया जा सके। लेकिन वह तरीका क्या हो ? क्या वह तरीका यह हो कि टैक्स सोर्स (Source) के ऊपर लगा दिया जाय या मैन्युफैक्चरर (manufacturer) के ऊपर टैक्स कायम कर दिया जाय। अगर हमारा प्रदेश बम्बई प्रदेश की तरह होता जहां पर ज्यादातर कारखाने हैं, तो यह निहायत मुनासिब होता। लेकिन यहां तो हम चीजों को इम्पोर्ट करते हैं तो मैनुफैक्चर पर टैक्स लगा कर हम अपने प्रदेश को क्या फायदा पहुंचायेंगे ? यह भी कहा जा सकता है कि इम्पोर्टेड कमोडिटी के ऊपर टैक्स लगा दिया जाय। लेकिन सवाल यह है कि उसकी टैक्सेबिल लिमिट क्या हो ? इन सब बातों पर गौर करना होगा लेकिन यह वाकया है कि हम परेशानी जरूर महसूस करते हैं और मेरा खयाल है कि हमारे अफसरान और मंत्री सब को एहसास है। शायद दुनिया का सबसे पहला देश जिसने बिक्री कर लगाया था वह फ्रांस है। वहां भी अभी यह नहीं तय कर पाये हैं कि कौन-सा तरीका अख्तियार किया जाय जिससे कम से कम तकलीफ के साथ पूरा का पूरा टैक्स वसूल किया जा सकता हो।

इसके साथ ही साथ एलेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहा गया। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि विरोधी दल ने जो कुछ भी कहा वह उन जगहों के बारे में कहा, जहां किसी न किसी वजह से उन्हें जहमत हुई। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने जो कुछ फर्माया वह गलत है। यकीनन सही होगा। लेकिन जहां उनको कर्मचारियों से तकलीफ हुई, जहमत हुई, वहां का हाल उन्होंने बताया। ईमानदारी की बात और सही बात यह थी कि और जगहों का भी जिक्र करते जहां पर शायद उनके अलावा दूसरे फरीक को कर्मचारियों से तकलीफ पहुंची हो।

असल में कर्मचारियों के रवैये की बात नहीं है। बात तो यह है कि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। कर्मचारी भी इंसान है। यह नामुमकिन है कि वे अपने वातावरण से बेअसर होकर रहें। जब हम मजहब और बिरादरी के नाम पर सब कुछ कहते हैं, तो बेचारा कर्मचारी उससे बेअसर कैसे रहेगा ? कहा जाता है कि कर्मचारी अपने को हमसे अलहदा न समझें। दूसरी तरफ कर्मचारी से यह उम्मीद की जाती है कि वह किसी भी पार्टी का असर न ले, यह कैसे मुमकिन है कि आपके साथ भी रहे और आप के खयालात से अलहदा भी ? जो सबसे बड़ी दिक्कत हम को महसूस हो रही है वह यह है कि शायद यह पहली कोशिश हो रही है कि डेमोक्रैटिक तरीके पर यहां उन्नति की जा रही है। अब तक जो तरक्कियां हुई हैं वह दूसरे तरीके से हुई हैं। एक आदमी ने जो चाहा किया, लेकिन डेमोक्रैटिक तरीके पर शायद पहली दफा कोशिश की जा रही है। इसी वास्ते दिक्कत

[श्री शौकत हमीद खां]

ज्यादा है। लेकिन अब हमारा फर्ज भी हो जाता है कि जो तरीका डेवलपमेंट का हम देश में अख्तियार कर रहे हैं यह मौका शायद किसी देश को इससे पहले हासिल न हुआ हो इसलिए इसकी कामयाबी हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि अधिष्ठाता महोदय ने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—अधिष्ठाता महोदय, जो बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसको समाजवादी और कल्याणकारी बजट कहा गया है। अगर उस बजट को शुरू से आखिर तक देखा जाय तो यह मालूम होगा कि वह एक नौकरशाही का बजट है जिसको किसी तरीके पर हम समाजवादी बजट नहीं कह सकते।

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह आग्रह किया जाता है कि विरोधी दल की ओर से और मुनासिब आग्रह किया जाता है कि जब बजट पर बहस हो रही तो यहां किसी न किसी मंत्री का, वित्त मंत्री का या कम से कम मंत्रि-मंडल के किसी मंत्री का रहना मुनासिब है। तो क्या यह नामुनासिब नहीं मालूम होता कि हमारे अपोजीशन के तमाम लीडर्स एक ओर से सब गायब हैं? इस विषय में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय वित्त मंत्री जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया उसके बारे में मुझे इतना कहना है कि जिस तरह से संसदीय परम्परा इस बात का आवाहन करती है कि वित्त मंत्री या और किसी मंत्री का यहां रहना आवश्यक है उसी तरह से विरोधी दल के भी अधिकांश नेताओं का रहना या जो रह सकें उनका रहना अनिवार्य है विशेषतया विरोधी दल के मुख्य नेता का।

श्री कमलासिंह यादव—अधिष्ठाता महोदय, यह देखा गया है कि हर प्रदेश में जब...

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है कि श्रीमन् आप इस पर व्यवस्था दें, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी कहा कि विरोधी दल के नेता नहीं हैं, लेकिन वह स्वयं चले गये। वह अभी अभी उधर से फिर आ गये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक आज्ञा चाहता था। तीन बजे तक वोट का टाइम है। अगर पांच मिनट का अवसर आप दें तो मैं वोट दे आऊं। मेरे एक सहयोगी यहां बैठे हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप जाइए। मैं इस विषय में एक बात कह देना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी रहें यह जरूर उचित है, लेकिन अनिवार्य रूप से वह रहें ऐसा आवश्यक नहीं जब तक कि कोई और मंत्री यहां रहें। यह उचित है, माननीय वित्त मंत्री जी का यहां रहना अच्छा है, लेकिन यह भी सदन को ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि जब निरन्तर सदन चल रहा हो और कोई बीच में इन्टरवल भी न हो तो कहीं न कहीं तो बीच में जाना ही पड़ेगा।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, एक चीज का और भी ध्यान रखना चाहिए, यह पहले भी व्यवस्था हो चुकी है कि जब बजट के ऊपर साधारण वादविवाद हो रहा हो तो उस समय कैबिनेट के अधिक से अधिक सदस्यों का सदन में रहना अनिवार्य होता है इसलिए कि उस वक्त जो आलोचना होती है वह सभी विभागों के सम्बन्ध में होती है। यह परम्परा भी हो गई है कि एक मेम्बर भी कैबिनेट का यहां रहता है तो यह समझा जाता है कि वह कैबिनेट के प्रतिनिधि के रूप में यहां रहता है। यह तो आपने सही व्यवस्था दी कि पार्लियामेंटरी पद्धति को देखते हुए विरोधी दल के नेता भी रहें जितना सम्भव हो, लेकिन सरकार के मंत्रियों का रहना तो नितान्त आवश्यक है क्योंकि जो आलोचना होती है वह सरकार की होती है, जो सुझाव आते हैं उनको सरकार को कार्यान्वित करना होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना

चाहिए—माननीय वित्त मंत्री जी जायं—लेकिन वह अपने सहयोगियों से कहें कि अधिक से अधिक संख्या में वह यहां उपस्थित रहें ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय चन्द्रजीत यादव ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान दिलाया है । लेकिन जहां यह उचित हो सकता है कि अधिक से अधिक सरकार के मंत्री यहां रहें वहां यह कभी आवश्यक और अनिवार्य नहीं हो सकता, इसलिए कि कबिनेट की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है और जब तक एक भी मंत्री यहां रहता है तब तक उस आवश्यकता की पूर्ति तो हो ही जाती है । फिर भी अधिक से अधिक मंत्री रहें तो अधिक अच्छा है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक निवेदन और करना चाहता था । वह यह है कि इस सदन से मेरी प्रार्थना अवश्य है कि वित्त मंत्री को ऐसा न बैठाये कि जिसमें ब्रह्म हत्या का पातक लगे ।

***श्री कमलासिंह यादव**—अधिष्ठाता महोदय, हर राज्य के लिये यह देखा जाता है कि डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल, जो स्टेट की पालिसी के मुताल्लिक होते हैं, वह हमेशा संविधान देता है उसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट अपनी नीति को और अपनी पालिसी को कार्यान्वित करती है इस पालिसी को स्टेट की सरकार अपने बजट के जरिये से प्रकट करती है । जब मैं इस बजट को देखता हूं तो सब से पहले हमारा ध्यान उस ओर जाता है कि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर अपनी उन्नति का मिला है या नहीं । इस चीज को लेते हुये जब हम इसको देखते हैं और प्रदेश के हर गांव और हर जिले की तरफ निगाह डालते हैं तो हम देखते हैं कि जितना बजट आज सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है वह ज्यादातर जितने बड़े-बड़े शहर और बड़े-बड़े कस्बे हैं या कारपोरेशन हैं, या बड़े-बड़े लोग हैं उनके ऊपर ही यह सब रुपया प्रदेश में खर्च किया जा रहा है । जब गांवों की तरफ निगाह जाती है या पूर्वी जिलों की तरफ निगाह जाती है, जहां पर हालत बहुत खराब है, जहां पर लोग बाढ़ से ग्रसित होते रहते हैं, जहां पर कोई उद्योग-धंधा नहीं है, जहां पर केवल बाढ़ के वक्त में चना मिलता था अब वह भी बन्द हो गया है इसलिये कि वह बाढ़ पूर्वी जिलों से पश्चिमी जिलों की तरफ आ गई है, तो हमको बड़ा खेद होता है ।

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक इस बजट का सवाल है हम लोग देखते हैं कि पूर्वी जिलों में बहुत से ऐसे स्थान हैं, बहुत से ऐसे जिले हैं जिनको कुछ भी हिस्सा इस बजट के अन्दर नहीं मिला है जिससे वह अपनी उन्नति कर सकें या उनका किसी तरह से विकास हो सके । यह मानी हुई बात है कि गरीब और अविकसित देशों की उन्नति हमेशा उद्योग-धंधों पर ही निर्भर रहती है । अगर उन स्थानों में अच्छे उद्योग-धंधे हो जायं तो तेजी से उन स्थानों की उन्नति हो सकती है, क्योंकि औद्योगीकरण से लोगों की आमदनी बढ़ती है । नौकरियां मिलती हैं और क्रय-शक्ति लोगों की बढ़ती है । इस तरीके से हम हर स्थान को इस प्रदेश के उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं । जब हम पूर्वी जिलों की तरफ जाते हैं और उनकी स्थिति को देखते हैं तो हमें यह सब बातें शून्य सी मालूम होती हैं ।

अधिष्ठाता महोदय, यह देखा गया है कि संविधान की जो ४५ वीं धारा है उसमें यह दिया हुआ है कि १४ वर्ष के बच्चों के लिये हम १० वर्ष के अन्दर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लायेंगे, लेकिन आज दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद भी हम देखते हैं कि इस प्रदेश में शिक्षा की क्या हालत है । हम देखते हैं कि यह प्रदेश बहुत पीछे जा रहा है । हमारे उधर के बैठने वाले कई साथियों ने यह बतलाया है कि बहुत से प्राइमरी स्कूल खोले गये और बहुत से हायर सेकेंड्री स्कूल खोले गये, लेकिन यदि गांवों को देखा जाय तो वहां पर प्राइमरी स्कूलों की हालत देखने से यह मालूम होती है कि बहुत प्राइमरी स्कूल खोले तो गये हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि किसी स्कूल के पास छत नहीं है । किसी स्कूल के पास बिल्डिग नहीं है । कहीं पर ऐसी दशा है कि पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं । मुझे अपने जिले में एक स्थान को चुनाव के बाद देखने का मौका मिला तो मैंने वहां पर देखा कि पेड़ भी नहीं है जहां पर बच्चे पढ़ सकें । यह हालत आज बहुत से प्राइमरी स्कूलों की है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

जहां तक अध्यापकों का सवाल है बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर अध्यापक ही नहीं हैं। बहुत सी जगह देखा गया है कि ५००, ६०० लड़के उन स्कूलों में बैठे हैं छप्पर के नीचे और यदि अध्यापक खड़े हो जायं तो उनके सिर छप्पर से लग जाते हैं। यह हालत आज हमारे यहां एजूकेशन डिपार्टमेंट की है। तो ऐसी हालत में जब कि हमारे स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिये पट्टियां तक न हों, हम कैसे अंदाजा लगायें कि यह सरकार अगले १५ सालों में १४ वर्ष तक के बालकों के लिये शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कर देगी। मैं समझता हूं कि आजकल जो सरकार की नीति है उसमें उसके सफल होने की कोई उम्मीद नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान दो क्लासेज की ओर आकृष्ट किया गया था और जब हम उनकी बात करते थे तो मुख्य मंत्री जी जात-पांत की बात करने का आरोप हम पर लगाते थे। मुझे अफसोस होता है यह देख कर। संविधान की धारा ३३८ और ३४० आप पढ़ें। उसमें उन क्लासेज की उन्नति के लिये यह दिया गया है कि इन-इन क्लासेज के लोग गिरे हुये हैं, उनकी आर्थिक दशा खराब है और उनको उन्नत बनाने के लिये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह एक कमीशन बैठायें। एक कमीशन इस काम के लिये बैठाया भी गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहां पर जब हम कहते हैं कि हरिजनों के लिये थोड़ा बहुत किया गया और बैकवर्ड क्लासेज के लिये कुछ नहीं किया गया तो जात-पांत की बात करने का आरोप लगाया जाता है। मैं समझता हूं कि जब इस देश में हर एक को समान अवसर देने की बात मानी गयी है तो क्या वजह है कि यहां हरिजन और बैकवर्ड जैसे क्लासेज रहें। हमारे देश और प्रदेश में तो कोई भी नागरिक ऐसा नहीं रहना चाहिये कि जिसे समान अवसर न मिले और यह तभी हो सकता है कि जब आप बिना क्रीड और कास्ट के बंधन के तय कर दें कि इस आमदनी तक के लोगों के बच्चों को सारे देश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जायगी। जब तक इस तरह की चीज नहीं होती तब तक हम कैसे मानें कि आप हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज की कठिनाइयों को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब अफसरों में हम देखते हैं तो पाते हैं कि अंग्रेजी जमाने से कम उनमें हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज की तादाद है और आज तक हरिजन क्लास इतना पिछड़ा हुआ इसीलिये रहा कि उसके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है। वह अमानुषिक कार्य किया करते थे और आज बैकवर्ड क्लासेज भी उसी हालत में हैं। कहीं कहीं उनका स्टैन्डर्ड थोड़ा ऊंचा है, लेकिन अगर यह वर्ग यूं ही पड़ा रहा और सरकार का ध्यान उस ओर न गया तो नतीजा यह होगा कि एक तरफ हम हरिजन वर्ग मिटाने की कोशिश करते रहेंगे और दूसरी तरफ वह वर्ग पैदा होता जायगा और मैं समझता हूं कि यह देश के लिये बड़ा घातक होगा।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में चकबन्दी विभाग की बड़ी प्रशंसा की है। अधिष्ठाता महोदय, चकबन्दी बड़ी अच्छी चीज है और इससे देश का भला भी होगा। अगर बिखरे हुये खेतों की जगह किसान को एक चक मिल जाता है तो वह उस पर काफी अच्छा काम कर सकता है और उसकी पैदावार पहले से ज्यादा अच्छी हो जाती है। एक स्थान पर सारी खेती होने से आदमी उसकी ज्यादा देखभाल कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो चकबन्दी चल रही है और खासकर गाजीपुर जिले में आप देखें तो आदमियों को शरमिन्दा होना पड़ता है। चकबन्दी के नाम पर किसानों के साथ खिलवाड़ किया गया है। एक तरफ सी०ओ० फैसला करते हैं और दूसरी तरफ अभी फैसला लागू भी नहीं हुआ कि अपील का फैसला भी कर देते हैं। रात में एक-एक बजे मौके पर जाते हैं और पता नहीं क्या चेक करते हैं, और उसके बाद १००/१००, २००/२०० फैसले एक दम कर देते हैं। अगर यह बातें हैं और इस तरह का कानून है तो पता नहीं किसानों की किस्मत का किस तरह से फैसला किया जायेगा, इसको भगवान ही जानता है। अगर किसानों को जिन्दा रखना है तो यह जरूरी है कि चकबन्दी में जो गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने देखा है कि उसूल बनाये गये कि इस तरह से सड़क बनेगी, मगर होता है बिलकुल उसके उलटे। सड़क जहां बनाना है वहां नहीं बनती। जहां पर कछियाने का खेत होता है वहां पर तो सड़क बनाई जाती है और जहां खराब जमीन होती है वहां पर चक-बन्दी करके उसको किसी चक में शामिल कर दिया जाता है। इस तरह की चीजें हुई हैं।

जहां तक औद्योगीकरण का सवाल है, हम देखते हैं कि पूर्वी जिलों में उद्योग नहीं हैं। अगर गन्ने की तरफ भी देखें तो उसका प्रोडेक्शन भी बहुत कम है। गुजरात में जब कि १,५०० मन प्रति एकड़ पैदावार है यहां पर ३१० मन प्रति एकड़ है। गुजरात में ८ महीने तक पैदावार होती है। फैक्टरियों में १ रुपये ६ आने से लेकर १ रुपया १० आने मन तक गन्ना खरीदा जाता है और एक रुपये सेर चीनी बिकती है। इस पर भी मिल मालिक कहते हैं कि किसानों को देने के लिये पैसा नहीं है। अगर यही चीज रही तो मैं कहता हूं कि जितनी गन्ने की मिलें हैं वे सब दक्षिण में चली जायेंगी और हमारा उद्योग नहीं चल पायेगा।

*श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि यह समेट-वाद का बजट है, लेकिन मैं उन्हीं के शब्दों में कहता हूं कि वे इसकी व्याख्या करने को भूल गये हैं। हम तो वास्तव में प्रदेश के सभी साधनों को समेट कर, लोगों को समेट कर, सब को देश के निर्माण में लगाना चाहते हैं। हम किसान की गाढ़ी कमाई का एक-एक पैसा समेट कर निर्माण के कार्य में लगाना चाहते हैं। और उसका सदुपयोग करना चाहते हैं। यह सही है कि यह समेट का बजट है। बजट में तो हम सारे साधनों को समेटेंगे ही। उन्होंने इसको ठीक समझा कि यह समेट का बजट है। किन्तु वे उसकी व्याख्या करने में थोड़ी गलती कर गये। हमारे विरोधी माननीय सदस्य ने कहा कि सारा पैसा शहरों की तरफ चला जा रहा है। मैं समझता हूं, हो सकता है कि कुछ अधिक पैसा शहरों की तरफ जा रहा हो, लेकिन करोड़ों रुपया सिंचाई के साधनों पर खर्च हुआ, यह पैसा किन शहरों में जायगा? हमारा कृषि प्रधान देश है, यह गांव के किसानों के खेतों की तरक्की के लिये, पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में करोड़ों रुपया सिंचाई के साधनों की तरक्की के लिये रखा गया है। गांव सभाओं की, क्षेत्रीय समितियों की स्थापना करके हमने शासन का विकेन्द्रीकरण किया और गांव के साधन जुटाकर गांव के लोगों को अवसर दिया कि गांव स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और जिला स्तर पर स्वयं अपने लिये निर्णय करें और एक साथ चलकर तरक्की करें। यह समाजवाद की तरफ कदम नहीं है तो क्या है? हम समाजवाद की तरफ नहीं जा रहे हैं तो क्या है? जमींदारी प्रथा का खात्मा किया, किसानों को भूमिधर बनाकर उसको जमीन का मालिक बनाया, जमींदारों के हाथ से जमीन लेकर उसका वितरण किया, यह क्या समाजवाद की तरफ नहीं जा रहे हैं? उसके बाद राजे-महाराजे जो यहां पर चुनकर आये हैं, आज उनके हृदय में किसान की बहबूदी और भलाई की बातें किसने पैदा की हैं? यह इस सरकार ने की है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रदेश को उठाना है और समाजवादी पद्धति कायम करनी है तो जनतांत्रिक तरीके से करनी है। उसके लिये प्रदेश के लोगों को तैयार करना पड़ेगा।

मुल्क की आजादी के लिये मुल्क ने कुर्बानी की है। अब निर्माण के अवसर पर यह कहें कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, टैक्स बढ़ रहे हैं, तो इससे बड़ी मायूसी होगी। हमें अपने-अपने क्षेत्र में जाकर प्रदेश के निवासियों को आह्वान करना है। १०,१२ या १५ वर्ष का समय कोई लम्बा समय नहीं है। जब सारे देश को उठाना है तो सारे साधनों को इकट्ठा करके उसको प्रदेश की तरक्की में लगाना है। किसी भी पार्टी के लोग हों, देश की तरक्की हो इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। आप इधर चाहते हैं कि टैक्स न बढ़ायें, आबकारी न बढ़ायें और हमारे घर की नाली से लेकर बड़े-बड़े कल-कारखाने तक बन जायं, सड़क और पुल बनें और बिजली के कारखाने खड़े हो जायं, हमारे सारे उद्योग-धंधे खड़े हो जायं, लेकिन खुद कुछ करने के लिये तैयार नहीं हैं, एक पैसा देने के लिये तैयार नहीं हैं, हम लोगों के साथ चलने के लिये तैयार नहीं हैं, तो यह किस तरह से संभव हो सकता है? आखिर हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य प्रदेश को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

किस तरफ ले जाना चाहते हैं ? अभी दो तीन दिन से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण सुनने का मुझे मौका मिला, लेकिन कोई सुझाव नहीं आया कि किन रास्तों से हम प्रदेश की तरक्की करना चाहते हैं, किस रास्ते से समाजवादी पद्धति को बढ़ाना चाहिये और अगर नहीं बढ़ रही है तो वह रास्ता और व्यवस्था कौन-सी है जिसके द्वारा आप इस प्रदेश की तरक्की करना चाहते हैं ? आपके रचनात्मक सुझाव आयें, कोई भी सही बात हो उसको मानने से कोई सरकार इन्कार नहीं कर सकती ।

अपने भाषण में अभी स्वतंत्र पार्टी के नेता ने इस माननीय सदन में चुनाव की कुछ चर्चा की थी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनकी पार्टी के क्या सिद्धांत हैं, यह सारा प्रदेश और देश भलीभांति जानता है; लेकिन कुछ माननीय सदस्य यहां भी आये हैं और देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंचते हैं, वह पार्टी के सिद्धांतों के बल पर नहीं आये, ऐसा मैं समझता हूं। हमारे क्षेत्र में ही चुनाव के प्रचार में उनके जो तरीके रहे उनपर मुझे आश्चर्य है। यहां पर आप सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर दोषारोपण करते हैं। मैं नहीं कहता कि सारे के सारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हरिश्चन्द्र हैं, बिलकुल सत्य पर कायम हैं, क्योंकि हमारे और आपके बीच में से ही सरकारी कर्मचारी हैं। हमसे और आपसे भी गल्तियां होती हैं, उनसे भी गल्तियां हो सकती हैं। हमारे दृष्टिकोण का फर्क है, हम साधारण सी गल्ती को भी बेईमानी समझने लगते हैं। सही बात यह है कि बेईमानी की बात नहीं, गल्ती हो सकती है, सभी से होती है, वे भी उससे परे नहीं हैं। चुनाव के अवसर पर स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार न करके वह कार्य किया है जिस प्रकार से त्रेतायुग में जब साधू महात्मा यज्ञ हवन, पूजा-पाठ में लगे रहते थे तो कुछ लो विघ्न बाधा के लिये पहुंचते थे। कांग्रेस के नाश के लिये इस पार्टी की तरफ से नारे लगे। हमने जमींदारी प्रथा का नाश किया था, लेकिन जमींदारों का नाश नहीं। हमने साम्राज्यशाही के नाश के नारे लगाये थे। हमारे यहां जब कांग्रेस सभायें होती थीं तो वहां स्वतंत्र पार्टी की तरफ से बेड़नियों का नाच होता था और बैंड बजता था ताकि जनता चुनाव सभाओं में कांग्रेस की बातें न सुन सके। स्वतंत्र पार्टी का हमारे यहां यह चित्र था, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे क्षेत्र में उनकी जमानतें तक जब्त हुईं। इससे एक बड़ा लाभ भी हुआ कि हमारे गरीब किसान, मजदूर और हरिजन, बिना हमारे प्रचार के ही, समझ गये कि यह पार्टी जमींदारी कायम करना चाहती है, अपने पुराने जुल्मों को फिर से कायम करने के लिये नीला झंडा लेकर आई है ।

मैं दूसरी पार्टियों के बारे में कहना चाहता हूं कि उनका केवल एक उसूल था, कांग्रेस पार्टी को हराने के लिये सारी पार्टियां एक हो गईं और अपने सारे उसूलों की हत्या कर दी । चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, जनसंघ हो, सोशलिस्ट पार्टी हो या स्वतंत्र पार्टी रही हो, कई जगह तो उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर कांग्रेस को परास्त करने का प्रयत्न किया। तो जिन पार्टियों का यह उसूल हो कि चुनाव के अवसर पर, जब कि मतदाता पार्टियों के उसूल जानना चाहता है, वह अपने सिद्धांतों को छोड़कर कांग्रेस को परास्त करने की बात करने लगें, उनके सम्बन्ध में क्या कहा जाय ? यद्यपि उनके इस कार्य का यह परिणाम हुआ कि हमारे जिले में सभी जगह से कांग्रेस की विजय हुई। हां, एक सवाल झांसी शहर का अवश्य है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान बुन्देलखंड की ओर दिलाना चाहूंगा। पिछले १०-१५ वर्षों में हम झांसी की जनता को जवाब नहीं दे सके हैं कि वहां पर क्या तरक्की हुई। वहां पर किसी पार्टी के सिद्धांतों की जीत नहीं हुई है। लेकिन बुन्देलखंड एक बहुत ही पिछड़ा हुआ भाग है। पिछले वर्षों में भारत सरकार से ६ करोड़ रुपया पिछड़े इलाकों के उत्थान के लिये आया था जिसमें बहुत रुपया आज भी खर्च नहीं हो पाया है। मैं यह नहीं कहता कि प्रदेश के और हिस्सों को छोड़ दिया जाय, दूसरे क्षेत्रों की भी प्रगति करनी है, लेकिन पिछड़े इलाकों के लिये जो भारत सरकार से रुपया आया है वह बुन्देलखंड, पूर्वी जिलों और पहाड़ी इलाकों पर खर्च किया जाय। पश्चिमी जिलों की उन्नति होनी चाहिये, आप अन्य साधनों से वहां खर्च करें। करों के सम्बन्ध में

भी में कुछ कहना चाहता हूं। सारे देश के अन्दर बिक्री-कर का एकीकरण होना चाहिये। हमारा जिला चारों तरफ मध्यप्रदेश से लगा हुआ है। वहां पर अगर किसी चीज पर एक परसेंट कर है तो हमारे प्रदेश में दो परसेंट है। इसका नतीजा आज यह है कि १०-१०, १२-१२ मील चल कर लोग वहां की मंडियों में जाते हैं जिससे हमारे यहां की मंडियां समाप्त होती जा रही हैं। इसका कारण यह है कि हजार रुपये के माल में वे ३०-४० रुपये तक बिक्री-कर का बचा लेते हैं जिससे वे हमारे यहां की मंडियों में माल न खरीद कर वहां जाकर खरीदते हैं। इसलिये सारे देश के अन्दर बिक्री-कर का एकीकरण होना बहुत जरूरी है।

बुन्देलखंड में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई मेडिकल कालेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कालेज नहीं है, आने-जाने के साधनों की कमी है। इस तरफ सरकार ध्यान दे। वहां पर सिंचाई के साधन आपने बहुत दिये जिसका परिणाम यह है कि प्रदेश को बहुत काफी गल्ला बुन्देलखंड ने दिया है जिससे अन्न की समस्या हल होने में काफ़ी मदद मिली है। मेरा निवेदन यह है कि वहां पर छोटे-छोटे बन्धे बनवाने से काम चल सकता है। बड़े-बड़े बंधे जो आपने बनवाये हैं उनसे काफी लाभ हुआ है, लेकिन जरूरी है कि छोटी-छोटी बन्धियां भी वहां बनवायी जायं।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, बजट के विषय पर तीन दिनों से दूसरी पार्टियों की बातें सुन रहा हूं, लेकिन अभी तक यह निश्चय न कर सका हूं कि इसका कारण क्या है और यह १३ करोड़ का घाटा कहां से पूरा होगा। मेरा सुझाव यह है कि कमिश्नर का पद बीच के दलाल की तरह है, इसलिये उसे तोड़ दिया जाय। जैसा कि एक महाशय ने अभी बतलाया कि इंजीनियर्स बहुत बढ़ गये हैं, टिड्डियां तो बढ़ी ही हैं लेकिन ओवरसियर्स, इंसपेक्टर्स आदि भी काफ़ी बढ़ गये हैं। उनके कमीशन में कमी कर के इस घाटे को पूरा किया जाय।

बुन्देलखंड में झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा चार जिले हैं जहां १५ साल के अन्दर आजतक गवर्नमेन्ट ने कोई कार्य नहीं किया है। वहां की सड़कें बहुत खराब हैं तथा पानी का अभाव है। मैं उम्मीद करता हूं कि सड़कों के विषय में आप अवश्य ध्यान देंगे। जो सड़क अतर्रा की है, जहां श्रीमती इन्दिरा गांधी भी गयी थीं और माननीय मुख्य मंत्री जी गये थे और वायदा कर आये थे कि उसे ठीक करा देंगे। अंग्रेजों के समय अतर्रा से नरैनी तक की सड़क पक्की थी, लेकिन उस समय से आज तक उस की मरम्मत तक नहीं की गयी है जिससे वहां एक दरिया का रूप बन गया है, कोई पैदल नहीं जाता। बांदा जिले में अतर्रा से बबेरू, बबेरू से मर्का, कालिंजर से चित्रकूट और बांदा से पहाड़ी तक की सड़कें ऐसी हैं जिन पर हजारों बैलगाड़ियां गल्ला लेकर रोज निकला करती हैं जिससे बैलों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। बरसात में तो निकलने का रास्ता तक नहीं रहता। इसलिये मैं आशा करता हूं कि बुन्देलखंड क्षेत्र जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है वहां की सड़कों व पुलों के निर्माण पर पूरा ध्यान रखा जायगा। बुन्देलखंड के चार पुलों का निर्माण बहुत जरूरी है जिनमें चिन्सा, कालपी और हमीरपुर के पुल खास हैं। ये पुल अगर बन जायं चाहे उसके लिये टैक्स भी वसूल करना पड़े या कर्जा ही लेना पड़े तो इससे बुन्देलखंड का बड़ा उपकार हो सकता है।

रह गयी शिक्षा। शिक्षा का हमारे बुन्देलखंड में बहुत ही अभाव है। मैं अपने जीवन में तीन कालेज चला चुका हूं, खोल चुका हूं और मैं लड़कों तथा मास्टरों की हालत को जानता हूं। लड़कों को कुछ सीखने की नींव अध्यापकों से ही पड़ती है। जो भी मंत्री जाता है स्कूलों में उपदेश देता है चरित्रवान बनो। लेकिन चरित्र के विषय में आज तक किसी ने खोज नहीं की कि कैसे बने। सर्वप्रथम अध्यापकों के चरित्र को देखना चाहिये। इसके वास्ते सेंसर कमेटी होनी चाहिये जो उनके चरित्र को देखे। अध्यापकों के जरिये ही लड़के बनते हैं। पर इधर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारी सरकार के समय में चरित्र में बड़ा दोष आ गया है। चरित्र निर्माण पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो याद रखिये कुछ समय में ऐसी दशा होगी कि हम बहुत नीचे गिर जायंगे। इसलिये इसके सुधार की बहुत आवश्यकता है।

[श्री मतोलासिंह]

हमारे बांदा जिले की पैदावार देखें। हम सब से पीछे जरूर हैं, लेकिन गेहूं, चना, चावल आदि सब से ज्यादा पूर्वी जिलों को देते हैं। अतर्रा से १० लाख मन चावल हर साल पूर्वी जिलों को देते हैं और गेहूं, चना, जौ, मटर, मसूर आदि हम अन्य जगह भेजते हैं, लेकिन जो गाड़ीवान गल्ला लेकर बाजार में आते हैं उनके लिये सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, कोई सड़क १४ साल के अन्दर नहीं बनी और न उस तरफ़ ध्यान ही दिया गया। मैं आशा करता हूं हमारी सरकार सड़कों और पुलों के विषय में विशेष ध्यान देगी। मैंने सुना है गल्ला बाहर से आता है, जैसे अमरीका, रूस से। लेकिन जितना गल्ला बाहर से आता है उतना गल्ला हम बांदा और हमीरपुर से देते हैं, यह आंकड़ों से सिद्ध है। अतर्रा की चावल की मंडी प्रदेश में सब से बड़ी है, लेकिन वहां सड़कें अच्छी नहीं हैं। अतर्रा में ५ फर्लांग की जगह ऐसी है जहां से सैकड़ों गाड़ियां निकलती हैं और बरसात में वह जगह नदी और नाले की तरह बन जाती है। इसको मुख्य मंत्री जी ने देखा है और आश्वासन दिया है कि बनेगी। पर बजट में कहीं भी बांदा, हमीरपुर और झांसी का जिक्र नहीं है। बांदा और फतेहपुर के बीच में चिल्ला का पुल है जहां से सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, पुल के इस पार गाड़ीवानों को बहुत खर्चा बरदाश्त कर के पार जाना पड़ता है। अगर सरकार उस पर पुल बनवा दे और पुल का टैक्स लगा दे तो १० साल के अन्दर सरकार का पैसा निकल सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार बांदा और हमीरपुर में सड़कों और पुलों की व्यवस्था करे। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, सब से पहले मैं एक भूल का सुधार करना चाहता हूं। अखबारों में मेरा नाम नौरंग सिंह लिख दिया गया था, मेरा नाम नौरंगलाल है, वह एक मोटे ताजे आदमी हैं और मैं दुबला पतला हूं। इस के अलावा वह गैर-सरकारी पक्ष के सदस्य हैं और मैं सरकारी पक्ष का सदस्य हूं। इसलिये आगे भूल न हो इस वास्ते मैंने यह निवेदन कर दिया।

अधिष्ठाता महोदय, सारी दुनिया के देश आज २ भागों में बंटे हुये हैं। एक हिस्सा तो वह है जिसमें एकोनामी इसटेबलिश्ड है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन की एकोनामी चेंजिंग है, इस्टेबलिश्ड एकोनामी नहीं है। आर्थिक दशा जिनकी स्थिर है उन में अमरीका और इंगलैण्ड आदि देश हैं और वहां जो बजट पेश होते हैं वह एक तरह से रोटीन बजट होते हैं और यह हो सकता.....

श्री मतोलासिंह---श्रीमन्, एक बात कहने से मेरी रह गई, मेरे २ मिनट बाकी थे...

श्री अधिष्ठाता---आप क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं? आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मतोलासिंह---श्रीमन्, बांदा जिले में ३ कौमें बसती हैं जो बहुत गरीब हैं.....

श्री अधिष्ठाता---आप अपना स्थान ग्रहण करें, आप का समय समाप्त हो चुका है। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

माननीय सदस्य (नौरंगलाल से) अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री नौरंगलाल---श्रीमन्, मैं यह कह रहा था.....

श्री नाथूराम---श्री मतोलासिंह जी का कहना यह है कि उनके भाषण के बीच में लाल बत्ती नहीं हुई और उनका समय अभी बाकी है.....

श्री अधिष्ठाता---आप नियमों का अध्ययन करें तो आप को इस प्रकार से कष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री नौरंगलाल—माननीय अधिष्ठाता जी, यह जो एक मिनट की गड़बड़ी हुई है इस समय को मेरे समय में न जोड़ा जाय। मैं यह कह रहा था कि दुनिया के जिन देशों में इस्टेबलिश्ड एकानामी है उनमें इंगलैण्ड और अमेरीका जैसे देश हैं वहां पिछले दो-तीन साल का ऐवरेज निकाल लिया जाता है और पिछले एक्चुअल्स के हिसाब से बजट पेश किया जाता है लेकिन भारत जैसे गरीब देशों में वह रोटीन बजट लाने का उसूल कायम नहीं किया जा सकता। इन देशों में तो जरूर ही एक प्रोग्रेसिव बजट बनेगा और जहां ऐसा होगा वहां पर आय में और व्यय में दोनों में करोड़ों का परिवर्तन अवश्यम्भावी है। ऐसा मैंने इसलिये कहा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि क्यों नहीं पिछले खर्च व आय को देखकर बजट बनाया जाता है। हमारे देश में इस तरह का उसूल नहीं बन सकता। यह माननीय वित्त मंत्री जी के लिये बड़ी कठिनाई का समय होता है, उन तमाम बातों को देखकर ऐसा बजट पेश करना पड़ता है कि जिससे सब सहमत हों और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सन्तुष्टि हो। उस को हर मसले पर कठिनाई का सामना करना होता है। बजट के काम की सारी जिम्मेदारी एक आदमी पर रहती है और वह बहुत बड़ी अनपापुलरिटी अपने सिर पर लेता है। ऐसी परम्परा दुनिया के सारे देशों में है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिये मुबारकबाद देता हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। वह यह है कि सदन की यह परम्परा रही है और यही मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में भी है कि जब किसी माननीय सदस्य का यहां भाषण हो रहा हो तो कोई माननीय सदस्य आप का ध्यान आप के आसन के पास पहुंच कर दूसरी तरफ आकृष्ट न करें। यह आवश्यक है कि आप का ध्यान भाषण पर रहे, हो सकता है कि कोई अनपार्लियामेंटरी शब्द किसी सदस्य के मुख से निकल जाय तो आप को उसको रोकना उचित है, वह आप न कर सकेंगे अगर आप का ध्यान दूसरी तरफ आकृष्ट कर लिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने ध्यान दिलाया। भाषण तो निरंतर होते ही रहते हैं, वैसे कभी आवश्यकता भी हो सकती है ध्यान आकृष्ट करने की, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस अधिकार का कम से कम प्रयोग किया जाय। लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ सकती है चाहे जितनी भी वह कम पड़े।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, किसी भी दुनिया के सदन में कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष के पास इस तरह से नहीं जाते, यहीं यह परम्परा पड़ रही है, इस को कृपा कर के आप रोकें।

श्री अधिष्ठाता—मैं आप का आभारी हूं। माननीय सदस्य जहां तक हो सके इस तरह से यहां न आयें, आना उचित भी नहीं है, लेकिन जब परम आवश्यक हो तब तो आना ही पड़ेगा।

श्री नौरंगलाल—मैं कह रहा था–इसीलिये परम्परा है कि माननीय वित्त मंत्री को हर पक्ष के लोग मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें मैं उनको विशेष रूप से मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि उन्होंने इस बात की व्यवस्था रक्खी है कि कर लगाया जायगा। जहां तक कर का सम्बन्ध है शायद ही कोई पक्ष ऐसा होगा जो इस बात से इन्कार करे कि किसी प्रकार का कर नहीं लगना चाहिये। हां, यह हो सकता है कि किस तरह से कर लगाये जायं, कहां-कहां कर लगाये जायं, उनका इंसिडेंस किस पर पड़े इसमें उनका और हमारा विरोध हो सकता है। इसमें उन्होंने खुला हुआ दरवाजा रखा है कि माननीय सदस्य अपने-अपने रचनात्मक सुझाव पेश करें कि कर के क्या वेज ऐंडमीन्स होंगे, वे कर किन पर लगाये जायं, कैसे लगाये जायं। अगर हम सदन के सामने कोई भी कांस्ट्रक्टिव सजेशंस नहीं दे सकते तो आगे चल कर यह कहने का मौका नहीं होगा कि आपने कर हमारी बिना रजामंदी के लगा दिया। मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम सदन के सामने अपने सुझाव पेश कर सकें कि किस तरह के कर लगाये जायं और हो सके तो कर न लगाये जायं।

[श्री नौरंगलाल]

मैं अपने कर सम्बन्धी भाषण को दो हिस्सों में विभाजित करता हूं । पहला हिस्सा यह है कि अगर हो सके तो कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि इन करों की कोई जरूरत ही न पड़े, दूसरा हिस्सा जो कर सम्बन्धी है वह यह है कि कर लगाना अनिवार्य है, तो फिर किस तरह से कर लगाये जायं ।

पहले हिस्से पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक करों का सम्बन्ध है हम बचत की तरफ देखना पड़ेगा । इसलिये पहले हमको यह देखना होगा कि हमारा वेस्ट कितना होता है और अगर हम वेस्ट को बचा सकें तो हमें बहुत कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । उदाहरण के लिये सरकार बहुत-सा रुपया बजट में डेवलपमेन्ट के लिये रखती है, लेकिन आफिसर्स हमारे आखिरी दम तक उस रुपये का इस्तेमाल नहीं करते । जब मार्च का महीना आता है और आखिरी हिस्सा होता है साल का तो यह देखा जाता है, उस वक्त हर आफिसर यह कोशिश करता है कि जो रुपया बच रहा है वह लैप्स नहीं होना चाहिये और उस रुपये को जायज नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाय । इसके लिये एप्लिकेशंस मंगाई जाती हैं तकावी के लिये, कुओं के लिये और इस तरह से जितना रुपया शुरू साल में लिया जाता है लगभग उतना ही रुपया १ महीने में खर्च हो जाता है । मेरा निवेदन यह है कि रुपया जो आखिरी साल में खर्च होता ह यह सब वेस्ट है और सरकार को आंकड़े मंगाना चाहिये कि शुरू साल में कितना रुपया खर्च किया गया और आखिरी महीने में कितना खर्च किया गया । इस तरह से पता चल जायगा कि आखिरी महीने में कितना खर्च होता है, उसको बजट से निकाल देना चाहिये और उतना कर नहीं लगाना चाहिये । जितना रुपया खर्च होता है वास्तव में वही बजट में फिर रखा जाना चाहिये ।

एक और तरीका बचत का है । वह है इकोनामी का । इकोनामी के सम्बन्ध में कई एक सरकार ने कमीशन बिठाये । उनकी रिपोर्ट्स सरकार के सामने हैं। उनका अध्ययन करने से पता चलेगा कि हम चाहें तो अपने प्रान्त में इकोनामी के जरिये काफी रुपया बचा सकते हैं। मेरा एक सजेशन है कि हमारे पास जो आफिसर्स हैं उनमें बहुत से ऐसे आफिसर्स हैं जिनकी हमें आवश्यकता न होने के कारण हटा देना चाहिये । इसके कहने में हमें डर नहीं होना चाहिये । मिसाल के तौर पर ऊपर के लेविल से लिया जाय । कमिश्नर हैं एडीशनल कमिश्नर हैं । सदन से मैं निवेदन करता हूं कि ये कमिश्नर साहबान २,३ घंटे से ज्यादा काम नहीं करते ।

टुअर प्रोग्राम पिकनिक का होता है । तो ऐसी सूरत में एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर में से एक को रखा जाय, बाकी को हटा दिया जाय । इसी तरह हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट होता है, उसके अलावा ए०डी० एम० प्लानिंग, ए० डी० एम० एक्जीक्यूटिव, ए० डी० एम० जुडिशल होते हैं । डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर अलग होता है । मेरे खयाल से एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है । इनको हटा देना चाहिये । इस तरह से हम इकोनामी कर सकते हैं। फिर पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में यह सुझाव है कि इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस में एक ही काफी है । इसको अमल में लाना चाहिये और बहुत सी जगहों में जहां दोनों हैं वहां एक को हटा देना चाहिये । एक और तरीका है । सबसे नीचे के लेबिल पर सरकार ने दो आदमियों को रखा है एक लेखपाल और दूसरा सेक्रेटरी । अब ग्राम समाज और पंचायत का दायरा एक-सा हो गया है । तो क्यों न इनमें से एक को हम अलग कर दें । अगर हम इन तरीकों को अमल में लायें तो करोड़ों रुपये बचा सकते हैं ।

इसी सम्बन्ध में एक तीसरा सुझाव है, वह यह कि हमको यह अवश्य देखना चाहिये और यह सबसे पहली ड्यूटी सरकार की है, कि जो रुपया हम वसूल करते हैं वह कहीं गलत चैनेल्स से तो नहीं निकलता ह । एक-एक पाई का हिसाब हमें जनता को देना है । यदि हम यह देखते हैं कि कहीं रुपया गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तो उसको हमें अवश्य रोकना चाहिये, इससे हमारी बहुत बचत हो सकती है । संभवत : ऐसा होता है कि हम लाखों रुपये मंजूर करते हैं किसी काम के लिये, लेकिन उतने रुपये खर्च होते नहीं हैं और बहुत-सा रुपया घूस और गबन

में बर्बाद हो जाता है। इसके लिये सरकार ने एक ऐंटी करप्शन कमेटी की बुनियाद डाली थी और उसकी बहुत चर्चा भी चली थी और एक प्रांविशल ऐंटी –करप्शन कमटी भी बनी थी जिसके मुख्य मंत्री जी स्वयं सदर थे और हर डिवीजन से एक-एक आदमी लिया गया था। लेकिन उस प्रांविशल और डिस्ट्रिक्ट ऐंटी करप्शन कमेटी की फेट यह है कि प्रांविशल कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं बुलायी गयी, हालांकि दो साल हो गये। तीन-चार महीने पहले मीटिंग बुलाने की बात हुई थी, लेकिन वह भी नहीं हुई। इससे यह इम्प्रेशन पैदा होता है कि हम करप्शन को हटाना नहीं चाहते। जहां तक हो सके हमें इस इम्प्रेशन को दूर करना चाहिये। हमारा यह सुझाव है कि प्रांविशल और डिस्ट्रिक्ट ऐंटी करप्शन कमेटीज़ को ताकत दी जाय।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि सरकार को कर लगाना ही है तो हमेशा इस बात का खयाल रखा जाय कि जो आने वाली जेनरेशन है उसके फायदे के लिये प्रेजेन्ट जेनरेशन को सफर नहीं करना चाहिये। इसलिये जो कर लगाये जायं, वह ऐसे लगाये जायं जिससे प्रेजेन्ट जेनरेशन को लाभ हो सके। फ्यूचर जेनरेशन को अगर फायदा करना है तो लांग टर्म लोन्स लेने चाहिये। नहीं तो कौन जानता है कि मर जाने के बाद क्या होगा, हमारा जन्म होता भी है या नहीं। सरकार को इस तरफ अवश्य ध्यान देना पड़ेगा कि जहां तक करों का सम्बन्ध है वह ऐसे होने चाहिये जिससे प्रेजेन्ट जेनरेशन को फायदा हो, फ्यूचर जेनरेशन के लिये लांग टर्म्स लोन्स ही एक तरीका है जो बड़े-बड़े विशेषज्ञों ने बताया है।

श्रीमन्, हमें यह भी देखना है कि जो हमने वायदे किये हैं वे कदापि टूटने न पायें। मिसाल के तौर पर हमने भूमिधर किसान को यह एश्योरेन्स दिया है कि उसका लगान ४० साल तक नहीं बढेगा। अगर किसी तरह से लगान बढ़ाते हैं तो अपने एश्योरेंसेज के पीछे जाती है। यह बिट्रेयल की बात होती है। इस सूरत में सरकार की प्रेस्टिज नहीं रहेगी, रिट होगी और मुकदमे बाजी होगी और अगर हम हार गये तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि हमको लगान नहीं बढ़ाना चाहिये। अगर बढ़ाते हैं तो अपने एश्योरेंस के पीछे जाना होगा और सरकार के एश्योरेंश इंडिविजुअल के एश्योरेंस से बहुत ऊंचे होते हैं और इज्जत की बात उसमें होती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार ऐसा करेगी और अगर करने जा रही हो तो उसे रोक देना चाहिये।

अब, मैं एक आखिरी बात कहने जा रहा हूं कि परसों नरसों एक बहस हो रही थी, उसमें एक बहिन ने यह कहा था कि एक ईसाई की मौत पुलिस के जरिये हुई। मैं अर्ज करूंगा कि आज की दुनिया में जिसके पीछे कोई पार्टी होती है उसके लिये एजीटेशन होता है, इंक्वायरी होती है लेकिन जिसका कोई नहीं है उसकी सरकार होती है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जिस ईसाई की जान गई उसकी इन्क्वायरी कराई जाय कि उसकी जान कैसे गई क्योंकि यह हमारा और सरकार का कर्त्तव्य है कि जहां हमारे नोटिस में यह बात आये कि कहीं पर जुल्म हुआ है तो उसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद पेश करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस बजट के सम्बन्ध में मुझे विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। बजट के सम्बन्ध में टैक्सों की बात चल रही है लेकिन मैं कहता हूं कि इस बात का प्रश्न ही नहीं आता है। मैं कहता हूं कि एग्रीकल्चर का १० करोड़ रुपया आपके कोआपरेटिव यूनियन्स तथा बड़े किसानों व छोटे किसानों पर पड़ा हुआ है। इसकी उगाही की जा सकती है, उसमें से ५ करोड़ रुपया बड़े व छोटे किसानों पर है जो बीज गोदामों से बीज लेते हैं। अगर सरकार चाहे तो उनसे भी रुपया ले सकती है, इस तरह से दस करोड़ रुपया तो सरकार आसानी से ले सकती है। अब केवल ३ करोड़ रुपये की बात रह जाती है। आबकारी मुहकमे की बात आप देख रहे हैं कि १४ जिलों में प्रोहिबिशन कर दिया है। बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं और जिन १४ जिलों को लिमिट कर दिया है उनसे भी रुपयों की आमदनी क्यों न की जाय। केवल जो थोड़े से लोग शराब पीते हैं वही आबकारी की आमदनी बढ़ायेंगे

[श्री विजयसिंह]

समस्त सूबा नहीं। इसलिये सब पर बराबर बांट दिया जाय। केवल कानपुर जिला ही ऐसा है जो ३ करोड़ रुपये की आय दे सकता है। शराबबन्दी (Prohibition) करें तो सम्पूर्ण सूबे में करें और छोड़ें तो सबको छोड़ दें। इस तरह से १३ करोड़ रुपया घाटे का पूरा कर सकते हैं। यह रुपया जैसा महामान्य राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा है कि विकास कार्यों में लगेगा, आप इस राशि को उस आय में बढ़ा सकेंगे।

किसानों के ऊपर टैक्स लगाने का प्रश्न नहीं आता है। यह जो कहा जाता है कि लगान ड्योढ़ा कर दिया जायगा, बेकार है। आपका बहुत-सा रुपया सेल्स टैक्स का पड़ा हुआ है उसकी उगाही कर सकते हैं। इसके अलावा आपका समाज कल्याण का मुहकमा आपकी विलासिता का साधन है जिसमें युवक मंगल योजना और महिला मंगल योजना सम्मलित है। कुछ पैसा इस विभाग का खर्च कम करके प्राप्त किया जा सकता है। इसलिये मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि बजट में घाटे का प्रश्न नहीं है। अगर है तो इस तरह से रुपया वसूल किया जा सकता है। अगर शासन यह चाहे कि कोई विरोधी अगर बजट का संशोधन पेश करे तो राज्य शासन उसे मानेगा, तो एक कमेटी नियुक्त करे, मैं बजट की आय सम्बन्धी सभी loop-hole बताऊंगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि आपका बजट गुब्बारे की तरह से बढ़ता चला जा रहा है। इस में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह कभी भी फूट सकता है इसको आगे चलकर समय बतायेगा। जो खर्चे हो रहे हैं उसके सम्बन्ध में हमारी आपत्ति यह है कि ९० प्रतिशत रेकरिंग खर्चा बढ़ रहा है। इसमें बजट के ऊपर बराबर बोझा पड़ रहा है। यह कमर्शियल एक्सपेंसेज नहीं हैं, बल्कि unproductive और रेकरिंग एक्सपेंसेज हैं। इस ५०० पेज के बजट में हर जगह मोटरें, साइकिलें, English टाइपराइटर, कमिश्नरों की जीपों तथा नौकरियों की मुस्तकिली पर व्यय भरा पड़ा है। लाइसेंस, कोटा वगैरह के जरिये सरकार लोगों को परेशानी की ओर ले जाती है। लोग परेशान रहते हैं और अफसरों के पीछे दौड़ते हैं और यह राज्य की Static Policy जनता की दुर्दशा कर रही है। इसमें तनाव और उलझन से व्यक्ति राज्यहित की बात नहीं सोच पाता।

थोड़ी सी बात स्वतन्त्र पार्टी की ओर से मैं कह दूं स्वतन्त्रता राज्य में आवश्यक है जिसमें शासन का कम से कम interference हो। यहां पर तो centre ने ही स्टेट के काम में रोक लगाई है। सेंटर ने ४४९ बीज फार्मों के स्थान पर १२४ फार्म ही चलाने का आदेश, तृतीय पंचवर्षीय योजना में दिया है। यह तो Commercial and Productive खर्चा है, इसमें जितना भी अधिक पैसा खर्च हो उतना ठीक है। अब इस राज्य से यह आशा कैसे करें कि यह व्यक्ति स्वातन्त्र्य की नीति अपनायेगा? आपके यहां कृषि सहकारी फार्म्स हैं उनमें देखिये और किसानों की खेती देखिये। आपके यहां तो बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं और तमाम रुपया उन पर खर्च किया जा रहा है, फिर भी आप साधारण किसान के बराबर उपज नहीं कर सकते। उसकी मिसाल मैं दूं कि फैजाबाद में मसौदा सहकारी फार्म है उसे देख लीजिये, ४७ हजार के घाटे पर चल रहा है। लेकिन किसान के पास इतने साधन उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी १० मन प्रति एकड़ से अधिक पैदा कर लेता है। वह आपके उत्पादन से कहीं ज्यादा है, यद्यपि उनके पास साधन बहुत कम हैं।

आप २२ करोड़ रुपया मालगुजारी का लेते हैं और ६ करोड़ के करीब खर्च की कटौती होती है। तो १६ करोड़ के करीब आपको रुपया बचता है। अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस ने भी यह मान लिया था कि भारतवर्ष में जमीन पर लगान बहुत है और मनुस्मृति के अनुसार भूमि कर छोड़ दिया जाय। लेकिन यह अब ऐसा कहा गया है यहां आकर, शासन में आने पर, अपनी पुरानी मांग भूल गये और अब लगान बढ़ाने की बात सोची जा रही है। किसान पर कर का बोझ बढ़ने से वह पहले से ही बहुत परेशान है। सरकार देहात में आमदनी पर रोक लगाई है कि वह ३,५०० रु० (पैंतीस सौ रुपये) से ज्यादा सालाना इंकम नहीं कर सकते। उसकी भूमिस्वामित्व की भी निश्चितता नहीं है, फिर कैसे वह एक बड़ी कैपिटल को अपने

खेतों पर इन्वेस्ट करे और कैसे प्रति एकड़ उपज को बढ़ावे। आपने ४० साल के लिये भूमिधर बनाये थे, लेकिन सीलिंग करके वह भी आप खींचे ले रहे हैं। यह है आपकी भूमिस्वामित्व की निश्चितता। यह पैदावार और उससे आमदनी तो तभी बढ़ सकती है जब वह अपनी पैदावार को वर्ल्ड के कम्पैटीटिव रेट्स पर उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। अभी तो उसके पास गल्ला अपने ही इस्तेमाल से नहीं बचता है वह कैसे एक्सपोर्ट करेगा। अगर एक किसान सौ मन पैदा करने वाला है तो वह ७० मन अपने खाने व बीज के लिये रख लेता है और बाकी ३० मन बेच कर और काम चलाता है। आप किसी भी तरह से थोड़ा सा माल ही इक्सपोर्ट कर पाते हैं और वह भी सब्सीडाइज करके और उसका एफेक्ट यह होता है कि Local मारकेट में प्राइसेज बढ़ती हैं, फिर भी किसान मजदूर पर ही पूरा करने के लिये डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट टैक्सेज बढ़ेंगे।

इस सब का बोझ पड़ता किस पर है? रोजाना की चीजों पर जो टैक्सेज बढ़ते हैं उसकी वजह से चीजों के दाम महंगे होते हैं और फिर नौकरपेशा लोग परेशान होते हैं और रोजाना तनख्वाह वृद्धि की मांग करते रहते हैं। जो बड़ी तनख्वाहें पाने वाले हैं उनको देखिये और किसानों तथा छोटी-छोटी तनख्वाहें पाने वालों को देखिये, आपका सौतेली मां का सा व्यवहार है। बड़ी तनख्वाह पाने वाले सब तरह से आराम में हैं, उनकी बराबर तनख्वाहें बढ़ रही हैं और गरीब छोटी तनख्वाह वाला स्टाफ बड़ा दुखी है। आपके सेक्रेटेरिएट के क्लरिकल स्टाफ तथा छोटी तनख्वाहों वालों को ही देखिये, कितने परेशान हैं। आप उनकी दवा-दारू के लिये एक अस्पताल का भी इन्तजाम न कर सके। जो एक अस्पताल हजरतगंज में है वहां बोतल लेकर जाते हैं पानी लेकर लौटते हैं रिइम्बर्समेंट जो पहले हो जाता था उसका पैसा भी अब नहीं मिलता है तो यह तो उनका हाल है। इस Secretariate में जहां करीब ४ हजार आदमी हैं एक Dispensary आवश्यक है। साढ़े १२ सौ रु० तनख्वाह पाने वाले और जो छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों में १० गुना से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिये। बड़ी तनख्वाहें Selection grades को छोड़कर जैसे Chief Engineer Superintendent and Engineer के अलावा सभी ६०० रुपये से अधिक नहीं हों। इसके बाद किसान की दशा भी सोचनीय है। वह अपनी स्त्री का जेवर बेंचकर खेती करता है और पेट नहीं भर पाता और अगर उस पर टैक्स बढ़ता चला जाता है तो यह उसके हाथ अनुचित व्यवहार होता है।

एक बात यह हो सकती है कि किसान तभी समृद्धिशाली हो सकता है जब उसके लिये बचत का इंतजाम हो सके और जो चीज वह बाहर बेचता है उसका उचित मूल्य उसको प्राप्त हो और यह जभी होगा जब प्राइसेज में पेरिटी का सिद्धान्त कायम हो। प्लानिंग और कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने आज कृषि विभाग का काम अपने हाथ में ले लिया है। कृषि विभाग वाले विशषज्ञ होते हैं और वही उस काम को कर सकते हैं। पहले कृषि विभाग वाले जाते थे तो खुद खेत देखते थे, जो फसल देखते थे रोगिंग होती थी, अब कोआपरेटिव विभाग वाले बीज नहीं बांटते बल्कि गल्ला बांटते हैं। उपज वृद्धि के लिये कृषकों का और राज्य कर्मचारियों का सम्पर्क होना आवश्यक है। राज्य ने बुनियादी बात यानी किसान से सम्पर्क तोड़ दिया है। Co-operative तथा Planning वाले टेक्निकल हैंड्स नहीं हैं। किसान गल्ला पैदा करके सबके लिये भोजन की व्यवस्था करता है। आपको खाने को देता है। जैसे घर में गृहणी भोजन तैयार करके खिलाती है उसी प्रकार किसान देश को भोजन देता है। तो क्या हमारा यह कर्त्तव्य है कि बजाय इसके कि हम उसको सुन्दर आभूषणों से अलंकृत करें, उस पर टैक्स लगा दिया जाय और उसी का बोझा बढ़ाया जाय? नौकरशाही का बोलबाला है, उनको अपने काम में कोई टोकने वाला नहीं है। जहां टेक्निकल आफिसर्स हैं, यह सरकार उनके हाथ में हो रही है और वह अपना स्टाफ बढ़ाते चले जा रहे हैं। टेक्निकल व Scientific लोगों के कहने से मजबूर हो कर शासन को उनकी बात माननी पड़ती है। क छोटी-सी मिसाल है। कैनाल डिपार्टमेंट में आज से १५ वर्ष पूर्व जो कार्य होता था वह

[श्री विजयसिंह]

नहीं होता है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनीयर दौरे पर जाया करते थे, नहरों के हर हिस्से पर पहुंचते थे, जहां पर मोटर नहीं जा सकती थी वहां पर घोड़े से पहुंच जाते थे। महीने में २० दिन दौरा करते थे। जब उन्होंने दौरा बन्द कर दिया तो उनका किसानों से सम्पर्क टूट गया। जो किसानों को शिकायतें रहती हैं कि समय पर पानी नहीं मिल पाया या इसी प्रकार की जो अन्य शिकायतें हैं, उनकी भिज्ञता उनको नहीं हो पाती। वक्त पर पानी न मिलने से प्राडक्टिविटी कम हो जाती है।

दूसरे उनकी कार्यक्षमता देख लीजिये। पहले यह था कि जो आदमी मौके पर रहता था ओवरसियर वह एस्टीमेट बनाता था। असिस्टेंट इंजीनियर उसको देखता था और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको फाइनलाइज कर देता था। आज जिस प्रकार यह राज्य सरकार वृहत रूप धारण कर रही है उसी प्रकार उन्होंने भी वृहतकारी रूप धारण कर लिया है। उन्होंने दो आफिसेज खोल दिये हैं। एक तो सेंट्रल आर्गेनाइजेशन यूनिट है और दूसरी इनवेस्टीगेशन ऐंड प्लानिंग यूनिट है। इसमें तीन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, २५ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ७० असिस्टेंट इंजीनियर हैं और बहुत से ओवरसियर, ड्राफ्टसमैन, सर्वेयर्स, क्लर्कस इसके अलावा हैं। नातजुर्बेकारी से एस्टीमेट्स ठीक नहीं बना पाये और वह एस्टीमेंटस पुराने आदमियों को ही तैयार करना पड़ा। यह उस विभाग में अपव्यय है। एक कार्य को अनुभवहीन लोग जब करते हैं तो Project के एस्टीमेट पर ही प्रभाव पड़ता नहीं, बल्कि बजट में खामी आती है। इसी प्रकार कई मिसालें हैं।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सरकारी फाइलें देख सकें, या सरकारी कर्मचारी अगर गलत काम करते हों तो वहां पहुंच कर अपनी बात कह सकें। मैं आपके द्वारा अपने माननीय मुख्य मन्त्री व माननीय वित्त मन्त्री से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने विजिलेंस ऐंड वाच कमेटी नियुक्त की उसी तरह से यहां भी एक कमेटी नियुक्त की जाय जिसको एग्जीक्यूटिव पावर्स हों। उनको डिपार्टमेंटल इनक्वायरी करने का अधिकार हो। वह कमेटी जा कर मौके पर मुआयना करे और मन्त्री महोदय के सामने अपनी बात पेश करे। और इससे Departmental Enquiry का समय व श्रम बचेगा और अपव्यय भी नहीं हो सकेगा। इसके बाद यह और प्रार्थना करूंगा कि एक कमेटी और बनाई जाय जो Planning आदि पर पुनः विचार करे, ऐसी रूप-रेखा बनाये जो Commercially Pay कर सके। इस प्रकार मैं दो Board या Committee बनाने की प्रार्थना करूंगा।

हमारा जो बजट है, पहले वह डिफिसिट में चलता है लेकिन बाद में सरप्लस में बदल जाता है। इसलिये मैं यह नहीं कह सकता कि इस बजट के आंकड़े कहां तक सत्य हैं। १९५०-५१ के बजट से लेकर आज तक बराबर यह रहा है कि वोटेड एक्सपेंडीचर में ५.४ से लगाकर २.४ तक बराबर सेविंग होती रही है। १९६०-६१ के बजट में २ करोड़ का घाटा दिखाया गया। वह चार करोड़ का सरप्लस हो गया। वही आगे १९६१-६२ के बजट में साढ़े आठ करोड़ का घाटा था उसमें ५ करोड़ का टैक्स लगा दिया गया, फिर Revised आंकड़ों पर साढ़े चार करोड़ का घाटा रिवाइज्ड बजट में आया। सम्भव है कि यह बजट भी सरप्लस में फिर बदल जाय। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो बजट को इस प्रकार से देखता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष का यह बजट है। हमें इसमें यह देखना होगा कि यदि यह बजट उस योजना के लक्ष्यों की पूर्ति की तरफ हमें ले जाता है तो इस बजट का हमें समर्थन करना होगा और इस बजट की सराहना करनी होगी। यदि वह बजट उस तृतीय पंचवर्षीय योजना में दिये हुये लक्ष्यों की ओर हमें नहीं ले जाता, हमें कुछ पीछे फेंकता है तो यह बजट समर्थन के योग्य नहीं होगा। मैं जहां तक इस बजट को पढ़ पाया हूं जो लक्ष्य तृतीय योजना में निर्धारित किये गये हैं यदि और आगे जायं तो

यह देखेंगे कि जो लक्ष्य हमने प्रथम और द्वितीय योजना में निर्धारित किये थे और जिनको तृतीय योजना में हम ले आये हैं, यह बजट उनकी ओर हमें ले जाता है। यदि हम विस्तार से देखें हर एक विभाग को देख सकते हैं, यह बजट हमें उस ओर ले जाता है और हम यह कह सकते हैं कि एक साल के बाद भी वह लक्ष्य हमारा पूरा चाहे न हो, लेकिन हमें यह जरूर मालम होता है हर साल कि हम कुछ आगे बढ़े, एक कदम, दो कदम चार कदम। यह बात माननी पड़ेगी कि हम उस जगह नहीं पहुंच गये कि जहां पहुंच जाना चाहिये था और अगर उस जगह पहुंच जाते तो हमें इतनी परेशानी क्यों होती। यह भी विरोध हो सकता है कि गति धीमी है। कुछ कह सकते हैं कि नहीं गति धीमी नहीं है, कुछ का विचार हो सकता है कि गति धीमी है। लेकिन हमने प्रगति की है और यह बजट हमें उन लक्ष्यों की ओर ले जाता है। अतः मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

इस बजट में जो आंकड़े माननीय वित्त मन्त्री ने दिये हैं उसमें एक विशेष बात यह है कि १ अरब ९१ करोड़ का व्यय और १ अरब ७८ करोड़ की आय, इस तरह से १३ करोड़ ३५ लाख का डेफिसिट दिखलाया है और इसको भी इस प्रकार दिखलाया है कि योजनागत व्यय ३७ करोड़ ७० लाख, उसमें केन्दीय सरकार से मिला २० करोड़ ९० लाख, हमने अपने बजट से दिया ३ करोड़ ४५ लाख और तब जो शेष रहा वही १३ करोड़ ३५ लाख पड़ता है। तो हम यदि देखें तो सन्तुलन भी उन्होंने अच्छी तरह से दिखलाया है कि जितनी आयोजनागत व्यय में हमें आवश्यकता पड़ी उतना ही हमने कुल बजट में डेफिसिट दिखलाया। तो इस तरह से यह बजट एक सन्तुलित बजट है। उस डेफिसिट को पूरा करने के लिये जैसाकि वित्त मन्त्री महोदय ने इंगित किया था यदि हमें कर लगाना पड़ता है, टैक्स लगाने पड़ते हैं जिसका कि बहुत जिक्र इस सदन में हुआ तो वह लगाना कुछ अनुचित न होगा। यद्यपि एक यह प्रथा बन गई है कि सरकार जब कभी कोई टैक्स का प्रस्ताव ले आये तो विरोधी दल उसका विरोध करता है, क्योंकि कर से अच्छी चीज विरोध के लिये और क्या हो सकती है? लेकिन हमें यह सोचना होगा कि योजना के लिये रुपये की आवश्यकता है तो रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा और रुपया इकट्ठा करने का टैक्स एक बड़ा साधन है।

उसमें एक बात का बड़ा प्रचार हुआ। हमारी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि इस माननीय सदन के प्रत्येक सदस्य को हर पांचवें वर्ष किसान के पास जाना पड़ता है वोट मांगने के लिये, चाहे वह इस दल का सदस्य हो चाहे उस दल का। तो जब कभी टैक्स का कोई प्रस्ताव आता है और ऐसा प्रस्ताव आता है कि किसान पर कोई टैक्स लगाया जाय तो हर एक को यह घबड़ाहट होती है कि कैसे होगा और उसका विरोध वह करते हैं, परन्तु मैं श्रीमान की आज्ञा से निवेदन करूंगा कि हमें उस साहस को अपने अन्दर इकट्ठा करना होगा। जो वास्तविकता है वह सामने आयेगी और हमें उससे लड़ने के लिये तैयार होना होगा। यदि किसान को विकास से, यदि किसान को योजना से, लाभ पहुंचता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाना कोई बेजा बात न होगी। वह किसान इस प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा भाग है। उस पर थोड़ा सा टैक्स भी बहुत बड़ा हो जाता है और जो थोड़ा भाग है उस पर बहुत बड़ा टैक्स भी लगावें तो वह भी बहुत थोड़ा रह जाता है।

अब हमें उसके लिये साधन इकट्ठा करने होंगे और उसके लिये तैयार होना होगा। अब यदि परिस्थिति का तकाजा है कि हम टैक्स बढ़ायें तो एक बात हो सकती है और यह सोचा जा सकता है और सोचा जाना चाहिये कि सब किसानों पर नहीं, किन्तु जिन्होंने विकास से लाभ उठाया है, उन पर हो। परन्तु इस अवसर पर मैं इस बजट के विषय में आपके द्वारा माननीय वित्त मन्त्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि वे दूसरी प्रकार से इस बजट के ऊपर दृष्टिपात करें। यह बजट एक सन्तुलित बजट है। इसमें आपने यह दिखा दिया है कि उतना ही आय-व्यय का अन्तर है जितनी योजना के लिये आवश्यकता है। कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से कर्जा भी बढ़ा। तो यह क्यों बढ़ा इसको सोचना होगा। जब हम कर्जे के आंकड़ों को देखते हैं तो ३१ मार्च, १९६१ को हमारे

[श्री जगदीशप्रसाद]

इस बजट में सरकार के ऊपर ४,१८,६२,४६,००० रुपया कर्जा था और ३१ मार्च, सन् १९६२ को ४,६३,९८,९६,००० रुपया हुआ, तो यह अन्तर पिछले दोनों साल का ४५ करोड़ का रहा और इस साल का कर्जा ५,१८,०७,१०० रु० हुआ। इसका अन्तर ५५ करोड़ है। अब इस व्यय को आप दूसरी प्रकार से देखें कि पिछले वर्ष योजनाओं का व्यय २७.४१ करोड़ था और इस साल ३७.७० करोड़ है तो इसमें यह १० करोड़ अधिक बढ़ा। इसी वजह से वह कर्जा भी १० करोड़ बढ़ गया है, क्योंकि इधर योजनाओं में हमारा खर्चा भी १० करोड़ बढ़ा। इसके विषय में अब आपको सोचना होगा कि जब हमने १० करोड़ कर्जा बढ़ाया तो फिर यह डैफिसिट कहां से आया।

अब मैं आपके सामने आय-व्ययक के सम्बन्ध में अपनी बात दूसरी तरह से रखना चाहता हूं। सन् १९४६–४७ में राजस्व प्राप्ति ३२ करोड़ थी, यह नेशनल हेरल्ड ने दिया है, मैंने मिलाया नहीं परन्तु ठीक ही होगी। और आज सन् १९६२–६३ में राजस्व प्राप्ति, उन प्राप्तियों को छोड़कर जो सुपरफ्लुअस हैं जो आपको केन्द्र से मिलेगा, १५७ करोड़ १६ लाख हैं। इन प्राप्तियों के बावजूद भी हमारे यहां बजट में यह डैफिसिट है। योजनाओं के सम्बन्ध में १० करोड़ जो हमको ज्यादा देना पड़ा वह हमने कर्जा लिया। तो किस वजह से इसको डैफिसिट कर दिया। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे एक मौलिकता लिए हुए व्यक्ति हैं। यह कुछ उनका कसूर नहीं है। यह यहां का एक सिस्टम है जिसमें हम सब फंस जाते हैं। मैं समझता हूं यह एक विशस सर्किल बना हुआ है, एक चक्रव्यूह है जिससे हम निकल नहीं पाते हैं। हर साल कुछ न कुछ टैक्स बढ़ता जाता है। वह बढ़ाना पड़ता है। कुछ योजनायें बनती हैं उनके लिये रुपये की जरूरत पड़ती है। उसके लिये स्टाफ का प्रबन्ध करना पड़ता है। फिर उनके लिये काम तलाश करना पड़ता है और जब काम बढ़ता है तो फिर स्टाफ की जरूरत होती है और जब खर्चा बढ़ता है तो फिर टैक्स लगाना पड़ता है। इसी तरह से यह चक्र चलता रहता है। इसी कारण हमारा खर्चा ३२ करोड़ से १५७ करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि हम १०,२०,३०, करोड़ इसमें से निकाल कर किसी दूसरे काम में लगा सकें जिससे यह कह सकें कि हमने कुछ किया। इसी तरह से यह ऐडमिनिस्ट्रेशन चलता रहता है। तमाम विभागों की यह एक परिपाटी-सी हो गयी है कि इनमें स्फुरन होता है, इन्फ्लेशन होता है, वह बढ़ते चले जाते हैं और उनका वेतन भी बढ़ता चला जाता है और उनके अलाउन्स भी बढ़ते चले जाते हैं। उनकी संख्या भी बढ़ती है। हमें इस बात पर सोचना होगा।

मैं मानता हूं वित्त मन्त्री जी इस प्रश्न को आसानी से सुलझा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी आजादी को प्राप्त किये हुए बहुत समय हो गया और इस प्रश्न पर अब सोचने की जरूरत है। इसके लिये आप चाहें एक कमेटी बनायें जो सोचे। चाहे इस प्रश्न को आप प्राक्कलन समिति के सुपुर्द करें कि वह देखे कि इसमें कोई तब्दीली हो सकती है या नहीं और या कोई और उपाय करें। मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें तब्दीली हो सकती है। जब हम इसको समाजवादी बजट कहते हैं तो हमको उसी प्रकार से इसको देखना चाहिए। यदि हम इसको उस दृष्टि से देखेंगे तो इसमें हमको तब्दीली की जगह मिलेगी। मैं आपको उदाहरण के लिये बताऊं कि इस सदन में भी और इस सदन के बाहर भी हमने सुना कि काफी लोगों की यह धारणा है कि हमारे देश में वेतन-क्रम एक हजार से अधिक नहीं होना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि वह अभी सम्भव नहीं है, वह अव्यावहारिक है। उसके करने में कुछ मुश्किल हो सकती है। उतना हम न कर पायें लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं। हम कम से कम यह तो सोच ही सकते हैं कि जिनको एक हजार से ज्यादा वेतन मिलता है उनको और किसी प्रकार से हम धन का लाभ न पहुंचावें। इस बजट में भी हम देखते हैं कि एक योजना जो पिछले वर्ष लागू की और उसके बारे में अब भी कहा गया है। वित्त मन्त्री महोदय ने सेवा निवृत्ति योजना में उदारीकरण किया है और कहा है कि ५,००० रुपये की लिमिट बढ़ा कर वह ६,७५० रुपया कर दी गयी। आप सोचें कि यह ५,००० रुपया साल भर में पेंशन किस को मिलेगी। उसको मिलेगी जिसका

साल में कम से कम १०,००० रुपया वेतन हो। आंकड़े निकालें तो इस से ज्यादा वेतन पाने वाले को ही यह पेंशन मिलेगी और हमने इसकी लिमिट को और बढ़ा दिया है। तो यह लाभ ऊंची तनख्वाह पाने वालों को ही मिलेगा। इसी प्रकार की इसमें और भी कुछ चीजें निकल सकती हैं। यह ठीक है कि हमने छोटी तनख्वाह पाने वालों के वेतन में भी कुछ वृद्धि की है, उनकी सुविधाओं में वृद्धि की है, लेकिन यह ऊपर की वृद्धि हमको रोकनी चाहिए।

एक बात मेरी समझ में नहीं आयी। यह प्राविजन किया गया है कि कमिश्नरों को जीप या स्टेशन वैगन दिये जायं। हम पहले उस जगह पहुंचे थे कि हमने उन अफसरों से सारी गाड़ियां वापस ले ली थीं और आज फिर उस जगह आ गये हैं कि उनको वह गाड़ियां वापस दे दी जायं। जहां तक मेरा अनुभव है कमिश्नर लोग जीप में सफर करेंगे नहीं। मेरे जिले मुरादाबाद में यदि आपदाएं आ जायं, बाढ़ आ जाय, जिसका इसमें जिक्र किया गया है और जो मेरे क्षेत्र में सबसे अधिक आती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बरेली से कमिश्नर साहब कभी भी जीप में वहां नहीं जायेंगे। जीप जिले में हो तो ठीक है और वह हर जिले में हैं। वह उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं।

हम सप्लाई अफसरों के बारे में उस जगह पहुंच चुके थे कि हमने उनको एक प्रकार से समाप्त करना शुरू कर दिया था, लेकिन आज फिर उस जगह आ गये हैं कि उनकी तादाद बढ़ायी गयी और अब उनके वेतन में वृद्धि की जा रही है। श्रीमन्, मैं निवेदन करूं कि पूर्ति विभाग में वास्तव में कुछ कार्य नहीं है। कार्य उनके लिए सप्लाई का पैदा किया जाता है। आज राशन नहीं है, गल्ले पर, कपड़े पर, नमक पर कंट्रोल नहीं है, केवल थोड़ा-सा टीन और सीमेंट आदि पर कंट्रोल है और उस के लिये हम कोई और तरीका सोच सकते हैं, लेकिन हम एक विशश सर्किल में फंस गये हैं और उससे निकल नहीं पाते। (लाल बत्ती होने पर)। श्रीमन्, लाल बत्ती हो गयी है इसलिये बजट के सम्बन्ध में दो एक बातें कह देना चाहता हूं। यदि दो मिनट मिल जायं तो कृपा होगी।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है। बोलिये।

श्री जगदीशप्रसाद—मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश की ला ऐंड आर्डर की हालत बहुत ही खराब है। एक बार हमारे इस समय के वित्त मन्त्री, जो उस समय गृह मन्त्री थे, उन्होंने भी इस बात को तसलीम किया था और मैं बतलाऊं कि आज व्यवस्था और ज्यादा खराब हो गयी है। गांवों की दशा ऐसी है कि वहां लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है और यदि इस दशा में तब्दीली न हुई तो आपका यह सारा विकास कार्य व्यर्थ होगा। मैंने बहुत सोचा है और आपने भी सोचा होगा। पुलिस कमीशन ने जो सजेशन्स दिये हैं, मैं चाहूंगा कि सरकार उन पर विचार करे। मैं समझता हूं कि जैसा उन्होंने सुझाव दिया है, व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी स्थानिक रहनी चाहिए। उन्होंने रक्षा दल का प्रस्ताव रखा है, अब आप किसी प्रकार की बात सोचें और करें, लेकिन जब तक स्थानिक जिम्मेदारी आप नहीं देंगे, जब तक स्थानिक व्यवस्था ला ऐंड आर्डर कायम करने की नहीं होगी तब तक वहां व्यवस्था कायम नहीं रह सकती।

एक मिनट में और लूंगा। मद्य निषेध का भी जिक्र आया है। आज यह कहा जा रहा है कि मद्य निषेध नहीं होगा। यदि हम इस परिणाम पर पहुंच जायंगे कि मद्य निषेध नहीं होगा तो यह देश का दुर्भाग्य होगा। यदि इसे बन्द करना है तो इसे अभी करिये। मेरी तहसील में इस वर्ष शराब का जितना प्रचार बढ़ा है उतना पिछले ५ या १० सालो में भी नहीं बढ़ा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर इसे बन्द करना है तो अभी करिये। मैंने बहुत समय ले लिया, क्षमा करें।

श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज दो रोज की लगातार सर्कस के बाद आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैंने अपने माननीय प्रगाढ़ पंडित माननीय वित्त मन्त्री के भाषण को सुना तथा पक्ष और विपक्ष के भी भाषणों को सुना और उन पर गौर किया। मैं शुरू में ही इतमिनान दिला देना चाहता हूं कि मैं उन

[श्री सत्यदेव]

आदमियों में से नहीं हूं जो विवाद में कोई अड़चन डालना चाहते हैं या खुराफात पसन्द करते हैं। लेकिन बावजूद मेरी शुभ कामनाओं के और अच्छे उद्देश्य के मैंने भरसक यह प्रयत्न किया कि इस बजट में जो गुण प्रकट होते हों उनका जिक्र मैं जगह-जगह करूं, परन्तु मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे बजट में कोई भी ऐसा स्थल दिखलाई नहीं दिया जहां पर पहुंच कर मेरे हृदय को शान्ति मिलती और जनता को कुछ राहत मिलती। कहने के लिये तो शुरू में ही हमारे वित्त मन्त्री जी ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वे उच्चकोटि के हैं और उनको सुनने के बाद यह उत्कंठा होती है कि इस बजट से बहुत कुछ राहत मिलने वाली है।

कहने के लिये तो यह भी कहा जा सकता है कि इन सिद्धांतों के आधार पर हमारे समाज की रचना होने जा रही है, लेकिन अगर उन्हीं सिद्धांतों की कसौटी पर हम इस बजट को कसें तो टोटल फेल्योर नजर आता है और इसमें जरा भी जान नजर नहीं आती। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार में कोई खामी नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने वाले जितने भी आदमी हैं वे सभी तपे तपाये व्यक्ति हैं और उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। उनके पास साधन हैं, शक्ति है, काम करने की अभिलाषा है, सब कुछ है, मगर एक चीज की उनमें कमी है जिसकी वजह से वे फेल हो रहे हैं और वह कमी है आत्मबल की, जिसकी ओर उनकी नजर नहीं जा रही है। अगर उनमें आत्मबल होता तो अपनी गलतियों को स्वीकार करने में उन्हें कोई हिच-किचाहट नहीं होती। हमारे पूज्य नेता जिनकी तस्वीर हमारे सामने है उन्होंने भी सन् ४२ में कहा कि हमने हिमालयन ब्लन्डर किया और अपनी गलती को स्वीकार किया। तो हम क्यों अपनी गलती को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं? इसका कारण यही है कि आपमें केवल आत्मबल की कमी है और उसी का नतीजा आप यह सब देख रहे हैं। हमारे गुप्ता जी में जितने गुण हैं आज उन सब पर पानी फिर गया जब उन्होंने एक-एक को राजी करने के लिये जान की बाजी लगा दी। तपस्या की भावना तो कांग्रेस वालों की बपौती है। फिर क्यों सब को मनाने के लिये यह किया और पदों को बांटा। मुख्य मन्त्री बनें, उसके लिये चाहे कितनों को मनाना पड़े, कितनों को खुश करना पड़े, कितनों को पद देना पड़े। यह सब भावनाएं शुरू से काम कर रही हैं और आज भी देख रहे हैं कि इस समूचे बजट में क्या चीजें हमको मिल रही हैं जिनके आधार पर आश्वासन दिया जाता है कि यह समाजवादी समाज की रचना हम करने जा रहे हैं।

जैसा कि चन्द साथियों ने पहले भी कहा है कि इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज यह है कि कैसे वित्त मन्त्री को साहस हुआ कि सप्लाई अफसर की तनख्वाह बढ़ाने का काम भी उन्होंने ले लिया। यह ऐसा विभाग है जिसके नाम से बदबू आती है, यह तो अली-बाबा चालीस चोर का घर है। चाहे शासक दल का ही सदस्य क्यों न हो, वह इन्कार नहीं कर सकता कि वहां से कितनी बदबू निकल रही है। उस डिपार्टमेंट की याद आपको आ रही है और नंगे-भूखे चपरासी और अर्दली मर रहे हैं, उनके प्रति एक शब्द भी हमदर्दी का नहीं है, एक रुपया उनके लिये खर्च करने की कोई मद आपके बजट में नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि गवर्नमेंट काहे को रोज-रोज चिल्ला रही है और १३ करोड़ ३५ लाख का घाटा दिखला रही है। अगर उसको ईमानदारी से पूरा करना चाहें तो वह ३ महीने के अन्दर पूरा हो जाय। इनके डिपार्टमेंट कई एक ऐसे हैं जो अपनी तनख्वाह पर नहीं रहते। तनख्वाह तो सेकेंडरी चीज है। उनको अगर कमीशन बेसिस पर छूट दे दें कि नाजायज जो आमदनी करते हो उसका आधा गवर्नमेंट को दे दिया करो तो ३–४ महीने में घाटा पूरा हो जायगा, जिसमें से आधा पूरा करने वाला यही डिपार्टमेंट है। अगर मौका मिले, तो कई साहब तो ऐसे हैं जो बगैर तनख्वाह के उस पद को सुशोभित कर सकते हैं, लेकिन गुप्ताजी के दिल में बड़ी बेचैनी है कि सप्लाई अफसर की तनख्वाह नहीं बढ़ायी गयी। मैं आजमगढ़ की बात जानता हूं, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं और पास-पड़ोस की हालत को भी जानता हूं कि भट्ठे के लाइसेंस के सम्बन्ध में एक-एक भट्ठे के पीछे भट्ठा इन्स्पेक्टर जोकि दलाल है सप्लाई अफसर का वह १,००० रुपये लेता है। बहुत से माने हुए आदमी गये हैं और उनका स्वयं का अनुभव है और स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया है।

तो हमें इसमें संदेह नहीं है कि आपकी इच्छा है, इच्छा में कमी नहीं है, क्योंकि आप हमारी बुराई करेंगे भी क्यों? हमारी बुराई आपकी बुराई है। इस प्रान्त में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका दुःख आप को ही होगा। लेकिन आप सही तरीके से अपनी कमजोरी नहीं मानते। आपमें इतना आत्मबल नहीं है कि यह महसूस कर लें, मान लें कि इस सिलसिले में हम फेल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का निवारण नहीं हो रहा है। जितना रुपया आप खर्च करना चाहते हैं उसे हमारे जैसे गरीब किसान देने में लेशमात्र भी हिचक न करें बशर्ते कि हमें यह विश्वास हो जाय कि यह रुपया हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर खर्च होगा, प्रान्त और मुल्क की बहबूदी के लिये खर्च होगा। लेकिन प्रश्न तो यह है कि रुपया तो हम देते हैं और अलीबाबा चालीस चोर का जो घर है वह उसे खाता है, हमारे हिस्से में कुछ पड़ता ही नहीं है। तो इस तरह से रुपया डकैतों के लिये, चोरों के लिये, व्यर्थ के लिये देने के लिये हम तैयार नहीं हैं। शासक दल में जितने भी आदमी मौजूद हैं, कोई भी कलेजे पर हाथ रख कर कहे कि कौन मिनिस्टर ऐसा है जो कम से कम अपने जिले की हालत से वाकिफ नहीं है और यह स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है कि हमारे यहां भ्रष्टाचार सप्लाई डिपार्टमेंट के अन्दर इन्तहा दर्जे का नहीं है। अगर खामख्वाह उस तरफ निगाह नहीं डालनी है और हमारी तिजोरी आपको भरी-पूरी मालूम पड़ती हो तो उसपर जितना चाहें अटैक करें, जितनी लूट-खसोट करना चाहें करें, लेकिन मैं तीर्थ-यात्रा के लिये धन दे सकता हूं, भ्रष्टाचार के लिये धन देने के लिये तैयार नहीं हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इसके बाद जितने व्योरेवार उनके डिपार्टमेंट हैं, जिनके ऊपर वह खर्चा कर रहे हैं, उनके मुताल्लिक निवेदन करना चाहूंगा। एक तरफ तो सड़क के ऊपर रुपया खर्च करने की बात कही जाती है कि इतना रुपया खर्च करने के लिये तय किया गया है और मैं समझता हूं न मालूम कितना रुपया केवल एक्सपेरिमेन्ट पर खर्च हो जाता है, अभी यह तय हुआ कि यह सड़क बने, फिर होता है इसको कनेक्ट किया जाय और फिर उसको कनेक्ट किया जाय। टेस्ट वर्क्स की सड़कों पर रुपया खर्च किया गया है और आम तौर से एक गांव से दूसरे गांव कनेक्ट हो गये हैं, लेकिन उनकी मेन्टीनेन्स की कोई व्यवस्था नहीं की गई। टेस्ट वर्क्स की सड़कों से गांवों में एक आशा का संचार हुआ था, लेकिन आज वह एक परेशानी की बायस हो चुकी हैं। उन पर बड़े-बड़े खड्ड हो चुके हैं, पैदल और साइकिल वाले भी नहीं चल सकते। जहां तक जमीन देने का प्रश्न था किसी प्रकार से लोगों को रजामन्द किया गया कि बिना एक्वीजिशन के जमीन दे दें, उनको समझाया गया कि तुम्हारा रास्ता खुल जायगा, अगर खेती थोड़ी कमजोर भी होगी तो गरीब लोग सड़क होने के कारण एक्का वगैरह रखकर भी अपनी बसर कर सकते हैं। लेकिन आज वह जमीन देना भी व्यर्थ गया। गवर्नमेंट तो यह समझती है कि उस समय एक मर्ज था जिसका हमने इलाज कर दिया, अब वह मर्ज खत्म हो गया है, लेकिन वह यह नहीं समझती कि उसमें सरकार का ही पैसा लगा है, उसकी अगर वह रखरखाव कर ली होती तो आज संचार-साधन का जो प्रयोग करने जा रही है उसमें कम लागत में ज्यादा से ज्यादा सड़कें बन सकतीं और गांव वालों को राहत पहुंच सकती। लेकिन वह चीज नहीं हुई। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि वह टेस्ट वर्क्स की सड़कों के साथ सौतेली मां का व्यवहार न करे। वह आपकी बनायी हुई सड़कें हैं, गांव वालों ने बहुत ही स्नेह से अपनी जमीनें दी थीं। अगर उनपर आप ध्यान देंगे तो इसमें गवर्नमेंट की बचत भी हो जायगी और जनता को लाभ भी पहुंच सकेगा।

शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत शोर मचाया गया कि यह खर्च किया और यह खर्च करने वाले हैं। कोई बुरी चीज नहीं है। आप जरूर चाहेंगे कि बच्चे शिक्षित हो जायं, बुद्धिमान हो जायं। आपका लक्ष्य बुरा नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या कोई मिनिस्टर या कोई माननीय सदस्य ईमानदारी से बता सकता है कि आज शिक्षा का ३०-३५ साल पहले वाला स्टैंडर्ड है? आज इन्टर पास लड़का हिन्दी में चिट्ठी भी नहीं लिख सकता। मेरी उम्र अब ५३ वर्ष की है, मुझ को पढ़ाने वाले अध्यापक मिडिल पास हुआ करते थे जिनसे आज के ग्रेजुएट टक्कर नहीं ले सकते। आज की पढ़ाई तमाशा है। बराबर स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन बिना

[श्री सत्यदेव]

मास्टरों के खुल रहे हैं। मास्टरों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। यह तय हुआ कि ६ से ११ वर्ष के बच्चे पढ़ने के लिये मजबूर किये जायं। पिछड़े वर्ग के लोगों को भी प्रलोभन हुआ, लिहाजा सभी वर्ग के बच्चे पहुंच गये। लेकिन एक-एक अध्यापक पर १००–१०० लड़के। आखिर वह उनको कैसे कन्ट्रोल करे? मैं समझता हूं बिजली की छड़ी भी उनको कन्ट्रोल नहीं कर सकती। कोई एम० ए०, बी० ए० के वे लड़के हैं नहीं कि खाली स्पीच दे दी, बाकी वह लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे। तो आप स्कूल तो बढ़ाते जायं, लेकिन मास्टर न बढ़ावें, यह क्या तमाशा है? इस प्रकार से आप बच्चों की जिन्दगी बरबाद कर रहे हैं....

श्री अधिष्ठाता—आपके समय की अवधि समाप्त।

श्री सत्यदेव—थोड़ा समय और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—एक-आध मिनट और बोल लीजिये।

श्री सत्यदेव—अगर अध्यापक नहीं पढ़ाता तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसलिये मैं तो कहता हूं कि यह शिक्षा वाला बजट बच्चों की बरबादी वाला बजट है। अतः मेरा सुझाव है कि आप स्कूलों को कम कीजिये, अध्यापकों को बढ़ाइये और उनको अधिक वेतन दीजिये।

इसके बाद पुलिस का मुहकमा है। उससे भी हमें कोई चिढ़ नहीं है। यह भी एक ऐसा मुहकमा है जिसके प्रति पब्लिक की श्रद्धा बहुत कम होती जा रही है। क्योंकि जो ईमानदार लोग हैं उनकी वहां गुजर नहीं है, लेकिन जो सब-इंसपेक्टर्स ऐसे हैं जो खाने कमाने वाले हैं, खुशहाल हैं, आगे बढ़ते जा रहे है। क्योंकि वे खुद भी खाते हैं और हाकिमों को भी खिलाते हैं तथा मिनिस्टरों की भी खुशामद कर लेते हैं। इलेक्शन के जमाने में चरण सिंह साहब हमारे क्षेत्र में गये थे। मैं उस समय बीमार था। मुझे यह पता लगा कि वहां जाने के बाद उन्होंने मीटिंग में आकर अगर किसी से हाथ मिलाया तो वह एक हिस्ट्री शीटर था। अगर वे यहां होते तो आज इस बात को कबूल करते। पेनल कोड का कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसके अन्दर उसने सजा न पायी हो और उसका कारण यही था कि वही वहां के कांग्रेसी कैंडीडेट की मदद कर सकता था। इसलिये आप और हम रहें या न रहें, लेकिन मुल्क को रहने दीजये। अगर हमने इस आदर्श को न रखा तो हमारे मुल्क की रक्षा नहीं हो सकती। एक बार खान अब्दुल गफ्फार खां को यह आफर किया गया कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाइये, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो सिपाही होने की क्षमता रखता हूं, कमांडर की क्षमता नहीं रखता। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिये।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, दो दिन से मैं भी बड़े ध्यान से दोनों ओर के माननीय सदस्यों के भाषणों को सुन रहा था। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषणों का खुलासा यही था कि कांग्रेस राज्य में कोई प्रगति नहीं हुई है, १५ वर्षों से कुछ नहीं हुआ, सारी योजनाएं बेकार हुई हैं, सारा जो व्यय हुआ है वह व्यर्थ गया है, पब्लिक का रुपया बेकार ही पानी की तरह बहाया गया है। जब मैंने यह देखने का प्रयास किया कि आखिर कोई प्रगति हुई है या नहीं तो मैं आश्चर्य चकित हो गया। मैंने जिस ओर देखा उसी ओर मैंने प्रगति पायी। शिक्षा की भी प्रगति हुई है, सिंचाई के साधनों में प्रगति हुई है, सड़कों और टयूबवेल में भी तरक्की हुई है। व्यौरे में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि समय अधिक नहीं है। पर इतना अवश्य बता दूं कि पहले से अब में जो भी मोटी-मोटी बात आप देखें—(व्यवधान) मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग इतना भी सन्तोष नहीं रखते कि दूसरे की बात सुनें। मैं यह मानता हूं कि जितनी प्रगति करनी चाहिये उतनी नहीं हुई, यह भी हम मानते हैं कि जितनी हम आशा करते थे प्रदेश को प्रगति की तरफ ले जाने की, उसमें हमें उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन यह कह देना कि हमने कोई प्रगति नहीं की, मैं समझता हूं कि यह बात वास्तविकता से बहुत दूर है।

अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि टैक्स लगाना बहुत अनुचित है। मैं भी मानता हूं कि टैक्स लगाना ठीक नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जब आप विकास कार्य के लिये, सड़कों के निर्माण के लिये और प्रगति के लिये धन की मांग करते हैं, तो धन कहां से आयेगा ? किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि टैक्स न लगाया जाय, लेकिन मैं समझता हूं कि टैक्स लगाने पर या टैक्स देने पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उसके लिये जरूरी यह है कि टैक्स का समुचित व्यय हो। जो धन हम उपार्जन करते हैं, जो धन हम टैक्स पेयर्स से लेते हैं उसका समुचित व्यय हो रहा है या नहीं, यह देखने की बात अवश्य है। जितना भी कार्य हम कर रहे हैं, सब प्रगति की ओर ठोस कदम है, आप देख सकते हैं, एक माननीय सदस्य ने कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती चली जाती है जब कि वहां अध्यापकों की संख्या घटती जा रही है। मैं भी आजमगढ़ जिले से आया हूं। मुझे आश्चर्य हुआ माननीय सदस्य की बात सुनकर जो अभी बोल रहे थे। वे भी जिला अन्तरिम परिषद् के सदस्य रहे हैं और मुझे भी उसके सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त रहा है। मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि जहां पहले केवल ८०० अध्यापक थे वहां अब २७००–२८०० अध्यापक हो गये हैं। लड़कों की संख्या भी बढ़ी है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अध्यापकों की संख्या नहीं बढ़ी है। उसी प्रकार हर तरफ व्यय बढ़ता ही चला जा रहा है।

अध्यापकों के वेतन के संबंध में भी कहा गया। मैं भी इस बात को मानता हूं कि उनके वेतन बढ़ने चाहिए, लेकिन धन कहां से आवेगा जो आप उनके वेतन को बढ़ावेंगे या अधिक अध्यापकों को नियुक्त करेंगे ....

श्री उग्रसेन—जब पचास मंत्री रखे जा सकते हैं, तो उनके लिये धन जहां से आता है वहीं से उनके लिये भी धन आवेगा। आखिर उनके लिये कहां से धन आता है ? (श्री सत्यदेव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बृजबिहारी—प्रश्न यह है कि सारी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करें और टक्स न लगावें तो यह कैसे संभव है ? इसके लिये अवश्यक है कि अन्य देशों के इतिहास को पढ़ लिया जाय जहां जहां कि प्रगति हुई है। जहां-जहां उन्नति की गयी है वहां-वहां टैक्स लगाये गये हैं। आधा पेट खाकर भी हमारी जनता टैक्स देने के लिये तैयार रहती है, जनता खुशी से टैक्स देने को तैयार है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, यह बिलकुल सही है कि जो टैक्स लिया जाय, उसका समुचित व्यय होना चाहिये और उस पर नियंत्रण रखना चाहिये। सभी विभागों के संबंध में आक्षेप किया गया है, मैं मानता हूं कि किसी भी विभाग को लिया जाय वहां भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन यह भी आप को मानना होगा कि हर विभाग में अच्छे आदमी भी होते हैं और बुरे आदमी भी हैं। अगर कुछ लोग बुरे हैं तो उनकी वजह से ही किसी विभाग को स्थायीत्व न दिया जाय या उनके कर्मचारियों की बढ़ोत्तरी न की जाय, मैं समझता हूं यह अनुचित होगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या सदन में किसी माननीय सदस्य के भाषण के बाद कोई मंत्रि-परिषद् का सदस्य या सभा सचिव या कोई भी व्यक्ति उधर का अपने उत्तर में अपनी बात कह सकता है या नहीं, मुझे आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे और अपनी व्यवस्था देंगे।

श्री अधिष्ठाता—मैं आशा करता था कि माननीय सदस्य जानते होंगे कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। माननीय मिश्र जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ कि इस पर भी आपत्ति हुई। वास्तविकता तो यह है कि इधर से जो भी कुछ किया जाय उस पर उनको आपत्ति है। मैं निवेदन कर रहा था इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं थी, अगर किसी विभाग में वाकई में भ्रष्टाचार है तो उस विभाग को ही समाप्त करना कहां तक उचित है। भ्रष्टाचार है तो

[श्री वृजबिहारी]

उसको रोकिये, बिलकुल सही बात है। पुलिस के बारे में बहुत सी बातें कही गईं, बहुत से आक्षेप किये गये लेकिन अगर उसमें भ्रष्टाचार है तो उसको भी यह कहा जायगा कि उसके स्थायित्व को भी खत्म किया जाय या विभाग को ही समाप्त किया जाय। पुलिस विभाग में भी अच्छे, बुरे सब तरह के आदमी हैं । सही बात है कि पुलिस विभाग में कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरा काम करते हैं, अच्छे नहीं हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनकी तरक्की हो जाती हो यह असंभव है लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि अगर पुलिस विभाग में या किसी अन्य विभाग में कोई भ्रष्टाचारी है तो उस विभाग को ही समाप्त कर दिया जाय । यह बात उचित नहीं है ।

मैं निवेदन करूंगा कि आप उस विभाग को अवश्य कायम रखें, उस विभाग में काम करने वालों को प्रोत्साहन दें और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखें और अगर भ्रष्टाचार है तो उसको दूर करें । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर भ्रष्टाचार है तो वह भ्रष्टाचार कौन करता है और कौन कराता है ? सरकार को इसके लिये जिम्मेदार बनाना मेरी राय में उचित नहीं है। यहां भाषण देने के स्थान पर अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में आवाज उठायें तो अच्छा होगा । नैतिक रूप से हम सब जिम्मेदार हैं । अगर वाकई किसी विभाग में भ्रष्टाचार है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी सब की बराबर है, केवल सरकार यहां बैठकर कुछ नहीं कर सकती । भ्रष्टाचार के मुकदमे अदालतों में जाते हैं तो शहादत नहीं मिलती और केसेज कोर्ट से छूट जाते हैं । जो मामले को इनिशियेट करने वाले होते हैं वही शहादत में दूसरी तरफ चले जाते हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी नैतिकता गिरती जाती है, चरित्रबल की कमी होती जाती है । अगर हम विचार करें तो इसकी सारी जिम्मेदारी समाज की है । सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार तो केवल सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चला सकती है लेकिन अगर शहादत न मिले तो नतीजा क्या होता है ? नतीजा उल्टा होता है, और भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि अदालत से भी कुछ नहीं हो सका ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह मानना होगा कि हमारे देश में प्रगति हुई है और हर दिशा में हमने प्रगति की है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम इस पर ठंडे दिल से विचार करें और जो कठिनाइयां हमारे सामने हैं उनको हम हल करें । विरोधी दल की ओर से जितने भाषण हुए उनको मैंने ध्यान से सुना । और उनमें मुझे एक ही बात नजर आई कि माननीय सदस्यों को कोई भी अच्छाई बजट में नजर नहीं आई, हर चीज उनको बुरी ही दिखाई दी । मैं भी इस बात को मानता हूं कि सारे काम जो हमने किये हैं अभी पूरे नहीं हो सके हैं जैसा कि एक माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि पूर्णता तो ईश्वर में ही है, हममें तो कमियां हैं और हमारे कामों में भी त्रुटियां हो सकती हैं । ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिनकी वजह से जितना हम करना चाहते थे वह न कर सके हों । लेकिन यह तो ठीक नहीं है कि कोई भी अच्छा काम हुआ ही नहीं जिसकी तारीफ या प्रशंसा उधर के माननीय सदस्य कर सकें । जो कुछ भी किया है सब ऐसा ही किया है जिसकी निन्दा की जाय, इसलिये मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य गंभीरता पूर्वक विचार करके आलोचना किया करें । जो हम यहां भाषण देते हैं उसका असर जनता पर पड़ता है । एक समय हो सकता है जब आप इधर आकर सरकार बनायें, लेकिन अगर आप इस बात से जनता की हिम्मत पस्त करेंगे, उसका मोरेल गिरायेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है जिसका सामना आपको करना पड़ जाय ।

हां, आप कहिये, हम मानते हैं, हमारे यहां तो कहावत है "निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय" आप हमारी त्रुटियों की तरफ ध्यान दिलाइये, यह आपका कर्तव्य है साथ ही हमारा भी कर्तव्य है कि आपकी बातें सुनें और उनमें अगर सत्यता हो तो सुधार करें हम अपने में । लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि जो अच्छा काम भी हम करते हों उसको भी आप बुरा कहें ।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यह हमारा और आपका दोनों का कर्तव्य है कि जो जनता का चरित्रबल गिर रहा है, यह मानना पड़ेगा कि गिर रहा है । उसको उठाने का प्रयास करें, यहां

से भी और बाहर भी, दोनों जगह हम प्रयत्न कर सकते हैं। केवल आलोचना करके, निन्दा करके समस्या का हल नहीं कर सकते हैं, देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपाका आभारी हूं आपने मुझे इस बहस में भाग लेने का अवसर दिया। श्रीमन्, मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि सदन में इन्होंने बजट पेश किया, और इसलिये बधाई देता हूं कि उन्हीं के द्वारा ऐसा बजट पेश हुआ जिसको हम पुलिस बजट कह सकते हैं, अफसरों का बजट कहें, या पूंजीशाही को मजबूत करने वाला कहें, या गरीबों और मजदूरों पर टैक्स लगाने वाला कहें।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—जनता के हित का बजट है।

श्री नेकराम शर्मा—जनता के हित का बजट हो सकता है माननीय सिंचाई मंत्री की राय में। लेकिन स्वयं सिंचाई मंत्री का वक्तव्य था कि जितने भी नलकूप लगाये उनमें सब रुपया बरबाद गया है। आज मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस सदन की एक कमेटी बनायें जो यह देखे कि जितने ट्यूबवैल लगाये गये वह वेस्टेज हैं या नहीं, और किसकी जिम्मेदारी है। जिसकी जिम्मेदारी पायी जाय उसका इम्पीचमेन्ट किया जाय।

मैं बधाई दे रहा था, लेकिन मैं स्वागत नहीं कर रहा था इस बजट का, और वह इसलिये कि हमने आजादी के बाद एक आब्जेक्टिव तय किया था और वह था समाजवाद की स्थापना और समाजवाद की स्थापना के लिये हमने यह भी तय किया था कि हम समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करेंगे न कि समाजवाद लायेंगे। हम जीवन स्तर ऊंचा करेंगे, रोजगार के अवसर देंगे और हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने कहा था इस प्रदेश में कांग्रेसी राज्य आये हुए या गुप्त साम्राज्य आये हुए, पिछले तीन साल को छोड़कर १५ साल हो गये। श्रीमन्, फाइनेन्शियल कंट्रोल का आधार भूत सिद्धान्त है कि हम रेज करें रेवेन्यू को इक्वीटेबली और खर्च करें इकोनामिकली। इस सरकार ने बड़ा ढोल पीटा था और खास तौर से मुख्य मंत्री जी ने कि हम इकोनामी करेंगे। श्रीमन्, अभी हमारे कांग्रेसी सदस्य माननीय जगदीशप्रसाद जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हमको शासन चलाना है तो टैक्सेज़ लगाना है। हम मानते हैं कि बिना टैक्स लगाये हुए सरकार नहीं चल सकती। लेकिन दूसरे शब्दों में उन्होंने यह कहा कि सारे टैक्सेशन का रुपया कहां जा रहा है। हमारे बजट का ६० फीसदी यानी ८० करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों पर खर्च हो रहा है। ये मेरे फीगर्स नहीं हैं, इस सदन के मंत्री चौधरी चरणसिंह जी के हैं। लेकिन अगर यह टैक्स हम जनता के हित के लिये लगाते, उसके सुख के लिये लगाते तो मैं और इधर के बैठने वाले मेरे सारे साथी आपका साथ देते, लेकिन इस टैक्स को अफसरों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये, उन्हें स्पेशल पे देने के लिये और पुलिस को मजबूत करने के लिये खर्च करेंगे तो हम और हमारे साथी इसका घोर विरोध करेंगे और करते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब इस प्रदेश के शासन की बागडोर संभाली तो ऐसा मालूम पड़ा कि यहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कोई दूसरी सरकार थी और जो डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की सरकार ने किया था उसका बदला लेने के लिये सारे कार्य किये गये। जगह-जगह से कलेक्टरों का ट्रान्सफर किया गया। एक-एक आफिसर का ट्रान्सफर हुआ जिसको वे डाक्टर साहब का अफसर समझते थे। उन्होंने सदन में घोषणा की थी कि हम इकोनामी लायेंगे। ५०, ५५ लाख की इकोनामी की। इकोनामी में जो बड़ी-बड़ी गाड़ियां और मोटरें थीं उनको बेचा गया। किन लोगों को बेचा गया, लखनऊ शहर जानता है। छोटी मोटरें आईं, लेकिन किस तरह से मोटरों का प्रयोग होता है?

श्रीमन्, बड़ी भारी मिनिस्ट्री की स्थापना की गयी, इसलिये की गयी कि अच्छा प्रशासन लाया जा सके या अपनी कुर्सी मजबूत की जा सके। माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि हमने रोजगार दिया है, लेकिन बजट में रोजगार की कोई चर्चा नहीं। लेकिन सारा एम्पलाइमेंट हल हो गया। नौजवान आज मार-मारे फिरते हैं। आज युवकों तथा विद्यार्थियों म क्राइम्स

[श्री नेकराम शर्मा]

के फीगर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक डायरेक्शन और नौकरी उनको नहीं मिलती। अगर मंत्रि-मंडल के बढ़ाने को रोजगार कहें तो यह रोजगार भी अनप्रोडक्टिव है और अनप्रोडक्टिव इसलिये हैं कि एक एक मिनिस्टर पर दो तीन फाइलें आती हैं। बचत इसलिये भी है कि रोज दौरे होते हैं। तीन हजार, चार हजार रुपया एक एक सभा सचिव पर खर्च होता है। आर्डरली उनके साथ दफ्तर व टेलीफोन उनके साथ, आने जाने का किराया और फिर ४५ से गुणा कर लीजिये। लाखों का खर्चा इस तरह से हो जाता है और इस तरह के फिजूल खर्चों के लिये टैक्सेशन करने के वास्ते कोई भी मेम्बर तैयार नहीं होगा। इस वक्त तो ३४ फीसदी वोट ही कांग्रेस सरकार को मिलें हैं जब कि आपने वादा किया था किसानों से कि लगान नहीं बढ़ायेंगे ४० साल तक और अगर आपने लगान बढ़ाया तो ५ साल तक भी गुप्त साम्राज्य नहीं चल सकता, बीच में ही समाप्त हो जायगा, मैं आपको चेतावनी दिये देता हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी देखें कि बजट में प्राविजन है ११ मिनिस्टर, १० डिप्टी मिनिस्टर और ८ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी। तो ये बाकी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी आदि तनख्वाह कहां से पायेंगे? वित्त मंत्री जी बतलायें कि गवर्नर का समचुअरी अलाउन्स ज्यादा खर्च हो गया, उसे किस तरह से ऐडजस्ट किया गया है? इसके लिये भारत सरकार तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम नहीं ऐडजस्ट करेंगे। वह सारा खर्चा, जो गवर्नर के यहां ठहरे उनको स्टेट गेस्ट बनाकर दिखा दिया, कहां से दिया गया। एक-एक पैसा खर्चे का हाउस के सामने आना चाहिये और इस तरह से तिकड़म से खर्च कर देना कहां तक उचित है, इसे माननीय वित्त मंत्री जी ही बतला-येंगे। श्रीमन्, अपर हाउस के लिये हम लोगों ने कोशिश की थी कि यह समाप्त हो जाय तो काफी खर्च बच सकता है। उसके पक्ष और विपक्ष में कारण थे लेकिन अब तो मेरी धारणा बन गयी है कि अपर हाउस जल्दी समाप्त हो क्योंकि यह एक एकोनामी की बात होगी। आज हालत यह है कि कोई जनता द्वारा रिजेक्टेड मिनिस्टर अपर हाउस में स्थान पाता है कौंसिल का एलेक्शन लड़ा देंगे, नामिनेशन कर के वहां से चुनवा देंगे। तो आज अपर हाउस का मिसयूज किया जा रहा है, इसे रोकना चाहिये। आपने देखा कि आज अपर हाउस में दो दो बार कम्युनिस्ट खड़े होते हैं और हारते हैं दिल्ली और लखनऊ के लिये और पूंजीवाद की जीत होती है। बड़ा खतरा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ईमानदारी से समाजवाद की रचना करना चाहते हैं, लेकिन उनके दल में जिस तरह से पूंजीवादी घुस गय हैं उससे बड़ा खतरा है और उसका जीता जागता उदाहरण रिहन्द डैम की बिजली है। कारण यह है कि यह साठ-गांठ है कि जब तक उनकी फैक्टरी न बन जाय तब तक उस डैम से बिजली का उत्पादन न हो। इस बारे में मैंने प्रश्न पूछे तो जवाब तक नहीं देना चाहते और जबाब देते नहीं बना। अगर आज पूंजीपतियों के साथ आपकी साठ-गांठ रही तो कल वे आपको निगल कर खत्म कर देंगे।

मैं कह रहा था कि रेवेन्यू इक्विटेब्ली रेज करना चाहिये। अर्बन एरिया में इन्कम पर कोई भी सीलिंग नहीं है। टैक्सेशन का भार, यह मैं नहीं कहता बल्कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का ऐग्री-कल्चर डिपार्टमेन्ट कहता है कि किसानों पर कर्जा बहुत बढ़ा है और शहरों में पूंजीपति फल-फूल रहे हैं। हजारों लाखों रुपये महीने किराये की आमदनी है। आपने कोई ऐसा कानून बनाया कि अगर किसी के पास एक से ज्यादा मकान हों और वह किराये पर उठा हुआ हो और २० साल हो गये हों तो वह मकान उसका हो जायगा।

श्रीमन्, बजट भाषण में कहीं भी एकोनामी की बात कही गयी? आप जरा सुपरफ्लुअस पोस्ट्स को देखिये। सेक्रेटरी, एडीशनल सेक्रेटरी, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है और १२-१२ साल से आफिसर्स यहीं बैठे हुए हैं। इस हाउस की एस्टीमेटस कमेटी ने कई सिफारिशें की थीं कि मितव्ययिता लाओ, लेकिन इस गवर्नमेन्ट ने उनमें से एक भी नहीं मानी। यह इस हाउस का बड़ा भारी अपमान है। रिपोर्ट में कहा गया था कि सेक्रेटरीज एयर कंडीशन्ड में न चलें। उसने कहा कि हर डिपार्टमेन्ट में फिनैन्शल एक्सपर्ट रख दिया जाय ताकि तमाम खर्चा वह खुद देख सकें और जो महीनों और सालों फिनैन्स डिपार्टमेन्ट में फाइलें पड़ी

रहती हैं वह न हो, उसने यह भी कहा था कि जिस अधिकारी को सचिवालय में पांच साल हो गये हों उसको जिले में भेजो ताकि वह देखें कि जिलों की क्या स्थिति है। सेक्रेटरी लेजिस्लेचर की पोस्ट की भी क्या जरूरत है ?

यही नहीं, श्रीमन्, रिवार्ड देना शुरू किया। "विरोधियों के खिलाफ मेरी मदद करो, मैं तुम्हें ला कमीशन में भेज दूंगा"। पी० एज० को देख लीजिये। डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने ५५ से ५८ साल किया, बड़ा बुरा किया। लेकिन अब क्या हो रहा है? पी० एज० को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। आखिर पी० एज० में क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है? क्यों पी० ए० का टर्म बढ़ाया गया और क्यों पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रिजेक्टेड पी० ए० काम कर रहा है ? छोटे से क्लार्क को गजटेड आफिसर बना दिया। ऐसी-ऐसी बातें आज हो रही हैं। इसलिये जनता में आज सरकार के प्रति विश्वास नहीं रह गया है। अलीगढ़ में अहेन् केस हाई कोर्ट तक गया। लेकिन इस सरकार ने उसे वापस क्यों किया ? इसलिये किया कि उनके आदमी फंसे हुए थे। क्या यह सही नहीं है कि पुलिस विभाग के व्यक्ति ने अपने चुनाव क्षेत्र में फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाई। श्रीमन्, बरेली आपका जिला है, क्या यह सही नहीं है कि जितने केसेज वहां होते हैं उनमें इंटर-फियरेंस नहीं होता है? क्या यह सही नहीं है कि आज लखनऊ में बिना मंत्री जी की सिफारिश के मकान नहीं मिल सकता है ? और क्या यह सही नहीं है कि इलेक्शन में सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग हुआ है। मैंने श्रीमन्, ४ सरकारी कर्मचारियों के नाम बताये थे। उनमें से एक तो कोआपरेटिव का रखाव है, एक कलेक्शन अमीन और नाम मुझे इस समय याद नहीं है। इन लोगों ने गड़बड़ की थी। लेकिन इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके अलावा श्रीमन्, इलेक्शन के जमाने में पोलिंग स्टेशन्स वगैरह की लिस्ट बदली गई। नवलकिशोर जी ने यह कहा कि अगर मलखानसिंह जी जिन्दा रहते तो क्या होता ? मैं आज भी चैलेंज देता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस्तीफा दें और मैं भी इस्तीफा दूं और सिकन्दराराऊ से वे चुनाव लड़ लें। इसके लिये मैं आज भी तैयार हूं। नवल किशोर जी को यही उत्तर काफी है।

श्रीमन्, एक बात और है उसे मैं नहीं कहता हूं लेकिन प्रदेश की जनता कहती है कि हर पोस्ट पर आज विशेष जाति के लोग ही काम कर रहे हैं। चाहे चीफ सेक्रेटरी को लीजिये, चाहे आई० जी० को देखिये और चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को लीजिये। चाहे और डिपार्टमेन्टस को देखिये सब जगह पर विशेष जाति के लोग कार्य कर रहे हैं।

(इस समय ३ बजकर ४१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

वैसे यह ठीक है कि शासन को चलाने के लिये विश्वासी आदमी होने चाहिये। लेकिन यह ठीक नहीं है कि सभी की पोस्टस पर एक विशेष जाति के अफसर हों इससे बड़ा खतरा है। जनता में असन्तोष अगर होगा, मजदूरों में अगर असंतोष होगा और नीचे के कर्मचारियों में असन्तोष होगा तो यह सरकार नहीं चल सकती है। अब श्रीमन्, आटोनौमी की बात करने वालों को देखिये कि मैडिकल कालेज में प्रिंसपल कौन हो इसके लिये लखनऊ विश्वविद्यालय में एक कमेटी बना दी है, जिसमें चांसलर का नामिनी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का नामिनी होगा और वाइस-चांसलर का नामिनी होगा।

आजकल सरकार की ओर से राइटर्स को लिटरेचर के लिखने के ऊपर इनाम दिया जाता है। इसमें करप्शन होता है तो राइटर्स को करप्ट करना, गवर्नमेंट अफिशियल्स को करप्ट करना कहां तक ठीक है ? गवर्नमेंट आफिसर से यह कहना कि तुमको हम ला कमीशन में भेज देंगे। ऐसे यदि जी हुजूर कर्मचारी होंगे तो देश का भला होने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों में बहुत से अच्छे अधिकारी भी हैं। जैसे सनवाल कमिश्नर हैं। जिनके लिये प्रस्ताव पास हुये। श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में आग लगा दी गई तो जिन्होंने आग लगाई उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया गया और ऐसे लोग गिरफ्तार किये गये जिनके पास खाना नहीं है, निर्दोष हैं। जो अच्छे अफसर हैं वे कुछ तो माउंट आबू चले गये, कुछ चले जायंगे और कुछ दिल्ली जाने की सोच रहे हैं। आज विदाउट फियर, फेवर

[श्री नेकराम शर्मा]

और फ्राउन के काम नहीं हो रहा है। श्रीमन्, अगर यही हमारी मैंटेलिटी रही तो जनतंत्र समाप्त हो जायगा और हम और आप, हम और सभी समाप्त हो जायंगे और जिस की ओर मैंने इशारा किया था वह हो कर रहेगा। मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि अब और टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टैक्सेशन सैचूरेशन प्वाइंट पर पहुंच गया है।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री रामचन्द्र विकल का नाम पुकारने पर)

श्री उग्रसेन—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हम लोगों के बोलने के समय के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठिये। बाद में कहियेगा।

श्री उग्रसेन—अधिष्ठाता महोदय ने कहा था कि आप इसके बाद कहियेगा।

श्री अध्यक्ष—आप बाद में ही कहियेगा।

***श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि बजट के सामान्य विवाद पर मुझे आपने अपने विचार व्यक्त करने के लिये समय दिया। साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री जी को भी बजट प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। यह जो घाटे का बजट है जिस पर कुछ आशंकायें हैं, मैं उनके सम्बन्ध में वित्त मंत्री जी से और सरकार से कुछ कहना चाहूंगा। यह सही बात है कि हमारे बजट बनाने वालों पर और योजना बनाने वालों पर बजट का अधिक भाग व्यय हो जाता है और योजनाओं पर यह रुपया बहुत कम पहुंच पाता है। सरकार को गम्भीरतापूर्वक इस प्रश्न पर विचार करना होगा। हमारा यह समाजवादी समाज बनानेवाला बजट सचमुच जिस जनता के लिये होना चाहिये वहां उसकी शक्ल कुछ उलटी नजर आती है और हमारी जनता जो आशा करती थी उसकी वह आशा निराशा में बदल जाती है। मैं सही तौर से समझता हूं कि समाजवादी व्यवस्था में हमारे समाज का जो अंश अधिक श्रम करता हो उसको जो साधन और सम्मान मिलना चाहिये आज देखने में वह नजर नहीं आता। उलटा इसका यह है कि जो श्रम नहीं करता आज उस व्यक्ति के लिये साधन बढ़ाये जा रहे हैं, उसका सम्मान बढ़ाया जा रहा है और यही एक कारण है कि आज हमारे इस प्रदेश की गरीबी और पिछड़ेपन का।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग अभी अमेरिका की बात कर रहे थे कि अमेरिका इतने दिनों में बढ़ा। बड़ा धनाढ्य मुल्क है वह और उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बातें ऐसी अवश्य हैं जो दूसरे देशों में अच्छी हैं वह हमें अपनाना चाहिये। अभी देहली में एक गुड ईयर कम्पनी अमेरिका ने खोली है। उसके अन्दर बड़े से बड़े अफसर और छोटे से छोटे कर्मचारी सब ८ घंटे ड्यूटी देते हैं। मैंने उसको घूमकर देखा। किसी अफसर के लिये बैठने का स्थान नहीं है, खड़े खड़े ८ घंटे ड्यूटी देते हैं, लेकिन यहां हमारे प्रदेश में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज पर खर्च हो रहा है, चाहे ब्लाक की बिल्डिंग्ज हों या सेक्रेटेरियट की बिल्डिंग्ज या डाक बंगले। अंग्रेजी राज्य में किसी दफ्तर में कोई सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन आज कौन-सा दफ्तर है जहां सिगरेट पीने के लिये आराम करने के लिये कमरे न हों। बड़े-बड़े सेक्रेटरीज हों और चाहे मिनिस्टर हों सबको आराम करने के लिये, सोने के लिये बिस्तर, शयनागार। दफ्तर का सारा वक्त चाय और लंच में बीतता है। त्याग की बात कहने से पहले कुछ त्याग का उदाहरण ऊपर से दिया जाता, लेकिन उसकी झलक नजर नहीं आती।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किफायत की बात हमें पिछले दिनों सुनने को मिलीं। एक बात तो बहुत जोरों से चली और हमने भी उसका बहुत ढोल पीटा जनता में जाकर। और यह सही बात है, आदर्श की बात होती है, हमारा काम है कि हम जनता को सूचना दें। लेकिन हमारा यह भी कर्त्तव्य है कि जनता विपदाओं को भी हम सरकार को बतायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छोटी कार और छोटी कोठी का बड़ा नारा रहा, एक वर्ष के करीब। आज हम उसकी उलटी बात देखते हैं। कार छोटी हुई, लेकिन उसकी तादाद बहुत बढ़ गयी। कोठियों की तादाद बढ़ना स्वाभाविक है। वह भी बढ़ गयीं। इसका हम जनता को क्या जवाब दें?

सरकार की तरफ से बड़ा ढोल पीटा गया कि यह सरकार नैनीताल नहीं जाया करेगी। लेकिन हमने बजट में देखा कि लखनऊ में कितने कूलर्स लगाये जायंगे। कूलर्स पर खर्चा हो रहा है और कहा जाता है नैनीताल नहीं जायंगे। जनता की गाढ़ी कमाई से लखनऊ को नैनीताल बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों ने बड़ी प्रेरणा दी कि त्याग की बात होनी चाहिए, फलां बात होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यह विलासिता वाली बातें की जाती हैं।

माननीय माल मंत्री इस समय यहां मौजूद नहीं हैं। जब मैंने माननीय माल मंत्री का भाषण गवर्नर के एड्रेस पर सुना तो मुझे केवल आश्चर्य ही नहीं दुख भी हुआ। वह किसान की साइकिल को नहीं देख सके। उनका कहना था कि किसान अब साइकिल रखने लगा है, इससे पता चलता है कि उसका स्तर ऊंचा हो गया है। माल मंत्री के यह आंकड़े सही नहीं हैं। किसान आज इतना कर्जदार है जितना पहले कभी नहीं था। आज खाद की तकावी, कुएं की तकावी, बीज की तकावी, बैलों की तकावी, कितने ही प्रकार के उस पर कर्जे हैं। किसान अपनी पैदावार का बहुत कम हिस्सा बेच पाता है। ८० फीसदी किसान ऐसा है जो मुश्किल से अपने साल भर के खाने के लिए गल्ला पैदा कर पाता है। केवल २० फीसदी किसान ऐसे हो सकते हैं जो अपनी जरूरत से ज्यादा गल्ले को बाजार मे बेंच पायें। लेकिन मजबूर होकर विभिन्न कोआपरेटिव सोसाइटियों के कर्जे को चुकाने के लिए फसल को बेचना पड़ता है। किसान जब अपनी फसल बेचता है तो भाव सस्ता होता है। दो महीने के बाद उसको खरीदना पड़ता है तब गल्ला महंगा हो जाता है।

अगर किसान को गल्ला खरीदना नहीं पड़ता है तो साढ़े १७ करोड़ रुपये का गल्ला विदेशों से क्यों आ गया?

किसान को कितनी ही प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है—वर्षा, ओला, बाढ़, टिड्डी, मवेशियों की बीमारी, सभी का किसान को सामना करना पड़ता है। उस समय जब किसान की चीजें खरीदी जाती हैं तो व्यापारी सस्ते दामों पर खरीदता है। सरकार भी जो सहायता देती है वह भी किसी मुआविजे में दी जाती है। जो सहायता दी जाती है उसका कुछ हिस्सा कर्मचारियों द्वारा ले लिया जाता है। यह किसान की हालत और उसकी साइकिल बरदाश्त नहीं हुई। यह कौन समाजवादी समाज हो बनेगा? जो किसान मेहनत करता है, गरमी में, सरदी में, ओले में, पाले में, उसकी शक्ल १०, १२ वर्ष में इतनी बदल सकी, तो उसकी बहुत चर्चा हुई। और जो कुछ नहीं करता, २४ घंटे केवल तिकड़म करके हवाई जहाजों में घूमा करते हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं। इसे समाजवादी समाज कहेंगे? इससे समाजवादी समाज नहीं आता है।

मुझे एक पुरानी बात याद आ गयी। एक आदमी ने बड़ी प्रार्थना की ईश्वर से कि हे भगवान मुझे तू एक घोड़ी दे दे। पुराने जमाने में यही एक साधन था कहीं आने जाने का। जिसके पास घोड़ी होती थी, लोग समझते थे कि बड़ा मालदार है। तो वह गरीब आदमी था मेरी ही तरह से, सफर कर रहा था। पीछे से एक बड़े जमींदार घोड़ी पर चढ़े चले आ रहे थे या उस जमाने में पुलिस के कोई बड़े अफसर रहे होंगे। उनकी घोड़ी रास्ते में ब्या गई, उसने बच्चा दिया। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुला कर बहुत डाटा और कहा कि तुम इसे कन्धे पर लेकर चलो। उस आदमी ने कहा, भगवान्, प्रार्थना तो मेरी तुमने सुनी, घोड़ी तो मिली, लेकिन नीचे के बजाय ऊपर को मिल गई। तो इसी तरह से यह समाजवाद आया तो जरूर, लेकिन ऊपर को आ गया, नीचे नहीं आया समाजवाद। इस समाजवाद के नाम पर मैं आपसे सही कहता हूं कि मेहनतकश और गरीब किसान और मजदूर पिस गए और जिस तरह से कि होशियार भंगी होता है गांवों में, हमारे यहां शादी के वक्त बखेर होती है, तो जो गरीब लोग हैं, बच्चे हैं या कमजोर हैं वह तो धूल में लोटकर और भीड़ में पिस कर पैसा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसा उनके पल्ले

[श्री रामचन्द्र विकल]

नहीं पड़ता और जो होशियार भंगी होता है वह चद्दर तानता हैं, बांस लगाता है और पैसे को ऊपर ही ऊपर ले लेता है। तो उसी तरह से यह समाजवाद ऊपर ही ऊपर टंग गया। इसको नीचे लाने की आवश्यकता है। और अध्यक्ष महोदय, इसको नीचे ले जाने की आवश्यकता इसलिए भी है कि देश की हालत, प्रदेश की हालत संकटपूर्ण है। जनता में रहने के बाद में ऐसा समझता हूं कि यदि इस स्थिति को गम्भीरतापूर्वक नहीं सोचा गया तो हम अब केवल उपदेश से ज्यादा आगे काम नहीं चला सकते। मैं अध्यक्ष महोदय, किसी भी माननीय सदस्य से पीछे नहीं रहूंगा देशभक्ति के नाम पर, अगर कहीं नवजवानों की जरूरत हो मरने के लिए, तो मैं शायद किसी से ज्यादा नहीं तो कम भी पेश नहीं कर सकूंगा। लेकिन देशभक्ति का नाम लेकर हम गरीब किसान और मजदूर को दबाते चले जायं हर अपनी बुद्धि के बल पर तो यह ज्यादा अब बरदाश्त नहीं हो सकता। आज किसानों पर टैक्स लगा, आबपाशी बढ़ी, लगान बढ़ने की आशंका लोग कर रहे हैं, हालांकि मैं तो नहीं समझता हूं कि वह बढ़ पायेगा, और मुझे यह भी उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर गम्भीरता से सोचते होंगे।

लेकिन क्या ऐसे आंकड़े माननीय वित्त मंत्री महोदय के पास नहीं हैं—मैं तो जानता हूं—कि जो बड़े-बड़े सरमायेदार हैं उन पर जो गवर्नमेंट का कर्जा है वह वसूल नहीं किया जा रहा है, गन्ना किसानों का रुपया बड़े-बड़े मिलमालिकों से दिलाया नहीं जा रहा है और उन्हीं मिल मालिकों के यहां बड़े-बड़े मंत्री दावतें खाते हैं। एक कलेक्टर ने मुझसे स्वयं कहा कि मैं कैसे जाऊं फलां सेठ के यहां दावत खाने, कल को मुझसे उसके यहां से कर्जा वसूल कराया जायगा और सचमुच चन्द दिनों के बाद मुझे मालूम हुआ कि वह कर्जा जो उसे सख्ती से वसूल हो रहा था वह रोक दिया गया। तो एक तरफ गवर्नमेंट इन बड़े-बड़े आदमियों से पया वसूल न करे और दूसरी तरफ गरीब किसान और मजदूर पर बराबर टैक्स लगाने की बात सोची जाती हो, तो यह चीज ज्यादा दिन तक चल नहीं सकती है। जो बड़े-बड़े सरमायेदार हैं उनको कोल कोटा और इंडस्ट्री के लिए लोन दिया जायगा। कितने कारखाने उसमें चलते हैं, क्या सरकार कभी इसकी जांच करती है? मेरी जानकारी है कि कारखाने कहीं नहीं चलते, वह कोयला ब्लैक में बेचकर उससे वह मालदार बनते हैं और आज किसान की हालत के ऊपर, माननीय माल मंत्री जी एक साइकिल को उसके मालदार होने का पैमाना लगायें तो इससे मुझे दुख हुआ।

मैं प्रार्थना करूंगा माननीय वित्त मंत्री से और दूसरे मंत्रियों से भी कि थोड़ा-सा प्रदेश की जनता में दूसरे रूप से घूमने की कोशिश करें और यह जानकारी करें कि आज जनता की भावना है क्या? सचमुच जो यह कहावत थी कि तप से राज मिलता है और राज से नरक मिलता है, वह सही बात मालूम होती है। राज पाकर जनता के सही कष्ट को अगर हम अनुभव नहीं करते हैं और उलटी सफाई देने के लिए कुछ बुद्धि के तर्क और दलीलों से सच्चाई पर परदा डाला जाता है तो सही बात है कि उससे वह लोग भी दुष्परिणाम को प्राप्त होते हैं और देश भी दुष्परिणाम पर पहुंचता है।

साम्प्रदायिकता के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, प्रदेश की साम्प्रदायिक स्थिति आर्थिक स्थिति और दूसरी हालात जो हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए। मैं उन घटनाओं पर तो समय नहीं लेना चाहता, लेकिन सरकार को गम्भीरता से इस स्थिति के ऊपर सोचने की आवश्यकता है।

एक सवाल और है जो वित्त मंत्री महोदय के सामने कल और परसों भी रखा गया कि हमारे यहां कच्चे आढ़ती काम करते हैं, उनकी मुसीबतों को वित्त मंत्री जी सुनें और समझें। आज वह गवर्नमेंट के कानून से परेशान हैं। पक्का आढ़ती कौन है और कच्चा आढ़ती कौन है यह तय नहीं होता है। मैंने वित्त मंत्री जी से कहा कि यदि उस कानून की परिभाषा से यह बात समझ में नहीं आती कि कच्चा आढ़ती कौन है और पक्का कौन है तो आप उसको बदलिये। हर दिन उन लोगों का यह कहना है कि गवर्नमेंट के कोष में जितना पैसा आता है इस सेल्स टैक्स

से वह देने के लिये तैयार हैं, लेकिन जो सेल्स टैक्स को वसूल करने का तरीका है उसको आप बदलिये। उससे वह बहुत परेशान हैं। सेल्स टैक्स इतनी भारी तादाद में लगा दिया गया है कि वह लोग शहर और कस्बों से अपने बच्चों को लेकर बाहर हो गये हैं। वह सिस्टम तब्दीली चाहता है। वह इस तरह से बनाइये कि जिससे गवर्नमेंट की आय बढ़े और जो उससे लोगों की परेशानी होती है वह परेशानी न हो। आज होता यह है कि उतना पैसा सरकार के खजाने में नहीं आता है जो दूसरों की जेबों में चला जाता है। उस तरीके को यह सरकार बदले।

बजट के सिलसिले में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि १९६०-६१ में जो गवर्नमेंट का बजट बना था वह १३० करोड़ ९० लाख का बना था और फिर इसमें खर्चा हुआ १३३ करोड़ २३ लाख। मगर जो आमदनी हुई उसके फलस्वरूप ४ करोड़ ४ लाख रुपये की बचत हो गई, क्योंकि आमदनी १४८ करोड़ ३५ लाख की हो गई और राजस्व व्यय १४४ करोड़ ३१ लाख हो गया। इस तरह से वह बचत में परिणत हो गया।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

(श्री ऊदल का नाम पुकारने पर)

श्री उग्रसेन—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—मैंने अपना निर्णय आपको बतला दिया था। कृपया बैठें।

श्री उग्रसेन—मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—अब मैं श्री ऊदल जी को बुला चुका हूं। उसके बाद कहें।

श्री उग्रसेन—मेरा व्यवस्था का प्रश्न सिर्फ इतना है कि हम लोग जो विवाद में भाग लेते हैं, विरोधी दल के लोग, उनको किस तरह से समय मिलता है इसको आप कृपया समझ लें। आज हमारी पार्टी का एक आदमी भी नहीं बोल पाया है। जब हमारी संख्या कम थी तब हमको ज्यादा समय मिलता था और सरकारी पार्टी को कम समय मिलता था। अब हमारी संख्या अधिक हो गई है तो हमको कम समय मिलता है और सरकारी पार्टी को अधिक समय मिलता है। तो इस पर आप अपना निर्णय कृपया दें कि किस प्रकार से समय का बंटन किया जाय।

श्री अध्यक्ष—सूरत यह है कि इस विवाद में भाग लेने के लिये आवश्यकता इस बात की थी कि समय का विभाजन करूं। समय का विभाजन पार्टियों की जो संख्या है उसके अनुपात से ही हो सकता है। आज साढ़े ग्यारह बजे से विवाद आरम्भ हुआ। ३३० मिनट हमारे पास थे उसमें मैंने १५० मिनट लगभग आधा कांग्रेस के लिये रखा और बाकी १८० मिनट का समय मैंने अपोजिशन को दिया। ३३० मिनट में १५० मिनट कांग्रेस को और १८० मिनट विरोधी दल को। अब अगर १८० मिनट विरोधी दलों को देता हूं—उसकी संख्या १८० है तो प्रत्येक व्यक्ति पर एक मिनट आता है और सोशलिस्ट नेता श्री उग्रसेन ३० मिनट बोल चुके हैं। इसके अतिरिक्त ३ मिनट और मुझसे उन्होंने लिये। उस पर भी वह शिकायत करते हैं कि समय का विभाजन होता है। यह विभाजन नहीं होता है कि किस आदमी को बोलना है। मैं प्रत्येक पार्टी को उसकी संख्या के अनुपात से समय दूंगा। अब माननीय ऊदल जी अपना भाषण देंगे।

श्री उग्रसेन—कृपया आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं। मैं श्री ऊदल को बोलने के लिये कह चुका हूं।

श्री उग्रसेन—आप मेरी बात सुन लें। आपने चूंकि मेरा नाम लिया है तो मुझे सफाई देने का हक हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—इस तरह से कोई अधिकार नहीं होता है। आप कृपया बैठ जायं। मैंने श्री ऊदल को बोलने के लिये बुला लिया है। अब अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री उग्रसेन—आप दोनों दिन का समय बांट कर सफाई दें।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, आपसे यह भी निवेदन है कि आप को सभी माननीय सदस्यों को अवसर प्रदान करना चाहिये ताकि वे अपनी बात कह सकें। आप एक आदमी को कई बार समय दें और अन्य लोगों को समय न दें, यह आप के लिये ठीक नहीं है। मैं तीन दिन से यह निवेदन कर रहा हूं और पहले भी मैंने निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें। आपको भी समय मिलेगा। अभी तो एक घंटा समय है। आप क्यों परेशान होते हैं ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)— अध्यक्ष महोदय, इस बजट के सम्बन्ध में मैंने दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की बातें सुनीं। सरकारी पक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बजट को समाजवादी बजट बताया और यह भी कहा कि यह समाजवादी समाज की रचना करने वाला बजट है। श्रीमन्, मैंने सोचा कि जरा इस समाजवादी समाज की रचना करने वाले बजट को देखूं और पढ़ूं और कुछ विचार भी करूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री बहुत बड़े पंडित हैं। चाहे उनसे समाजवाद पर भाषण करवा लीजिये और चाहे पूंजीवाद पर या अन्य किसी विषय पर, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से, योग्यता के साथ इस विषय को इस खूबी के साथ समझा देंगे कि एक मामूली इन्सान न तो समाजवाद समझ पायेगा और न पूंजीवाद कि वह है क्या ?

श्रीमन्, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि यह कांग्रेस का समाजवाद कैसा है जिसका ढोल माननीय गोविन्द सहाय जी पीटते रहते हैं, हमारे प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री पीटते रहते हैं और जिसका गुणगान हमारे बिरला जी भी किया करते हैं। एक प्रश्न पैदा होता है कि आखिर यह समाजवाद है क्या ? जहां तक बिरला जी के ताईद करने का सवाल है उसे तो हमने अभी देखा। रिहन्द डैम की जो बिजली पैदा होगी, उस पर हमारे पूर्वी जिलों को बड़ा भरोसा था। सरकार ने ढोल पीट कर बहुत रुपया वसूल किया था कि पूर्वी जिलों को इससे आगे बढ़ाया जायगा और वहां हर गांव में रोशनी के लिये बिजली दी जायगी, लेकिन नतीजा क्या हुआ ? नतीजा यह हुआ कि ४६, ४७ करोड़ रुपया खर्च करने के बाद बिरला जी की अल्मूनियम फैक्टरी को यह बिजली दी जायगी और २.३३ नये पैसे प्रति यूनिट की लागत से जो बिजली पैदा हो रही है उसको दो नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से उनको दिया जा रहा है। मैंने सोचा कि यह समाजवाद तो बड़ा अच्छा है कि जिसकी बिरला जी ताईद करते हैं, लेकिन इसके साथ ही दूसरी तरफ राबर्ट्सगंज के लोगों को, मिर्जापुर के लोगों को वही बिजली सात आने प्रति यूनिट के हिसाब से दी जा रही है और बनारस, मिर्जापुर और इलाहाबाद की मार्टिन कम्पनी को वह ५ नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जा रही है और वे कम्पनियां उस बिजली का जनता से ७ आने प्रति यूनिट के हिसाब से दाम वसूल कर रही हैं। मैंने सोचा कि यह अच्छा समाजवाद है। एक तरफ तो १४६ गांवों से लोगों को निकाला गया, ४६ हजार आदमियों को शरणार्थी बनाया गया जो आज दाने दाने को मोहताज है और दूसरी तरफ बिरला बन्धुओं को खुश करने के लिये, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता की आशाओं पर पानी फेर कर इस सरकार ने यह कदम उठाया कि वहां की सारी बिजली उनको दे दी। उसी से मैंने समझा कि जो हमारे वित्त मंत्री जी समाजवाद के बहुत बड़े पंडित कहे जाते हैं—मैं तो नहीं कहता, मैं तो समझता हूं कि वह समाजवाद को पूंजीवाद और पूंजीवाद को समाजवाद बना कर लोगों को समझा सकते हैं कि वह क्या है। इसी तरह से आप देखें कि बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं सुझाव नहीं दिये जाते। मैं माननीय वित्तमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी पर जिसका ढोल बहुत पहले से पीटा जाता रहा है कितना रुपया खर्च हुआ और उसका क्या इस्टीमेट था। क्या जो उसका इस्टीमेट पहले तैयार किया गया था उसी के अनुसार उसका निर्माण हुआ ? अगर नहीं हुआ तो क्या आपने उसकी

जांच की, आखिर इतनी लागत कैसे बढ़ गयी ? आज प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में होड़-सी मची हुई है । आज जो कारखाने निजी सेक्टर पर हैं या जो पूंजीपतियों के हैं वे मुनाफे पर चल रहे हैं और उनके मजदूरों को कहीं ज्यादा सुविधायें दी जा रही हैं बनिस्बत आपके पब्लिक सेक्टर के कारखानों के । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी बनने से पहले वहां के मैनेजर के लिये ८८ हजार रुपये की लागत का बंगला क्यों तैयार किया गया । अगर सरकार जनता के पैसे को इस तरह से इमारतों और फर्शों पर खर्च करेगी तो उद्योग निश्चय ही महंगा पड़ेगा और देश की जनता को महंगा खरीदना पड़ेगा, क्या इस प्रश्न पर आपने कभी विचार किया ? चुर्क सीमेंट फैक्टरी में लाखों रुपया बचाया जा सकता था । ९ लाख रुपया जो वहां सड़कों पर और लाखों रुपया इमारतों पर खर्च हुआ वह बचाया जा सकता था ।

आप अपनी लखनऊ की फैक्टरी को ही लीजिये । आप अपनी कार्यवाही को देख कर ही पता लगा सकते हैं कि उसका क्या हाल है । आपने बीसों चीजों के उत्पादन करने का विचार किया, जर्मनी से इंजीनियरों को बुलाया, लाखों रुपया उनको दिया, मैं पूछना चाहता हूं कि वह रुपया किसका है ? अगर लखनऊ के कारखाने को सही ढंग से बनाया गया होता, जर्मनी के जो इंजीनियर यहां आये और ६ महीने तक बैठ कर पैसा लिया, अगर यह न होता, तो क्या यह कारखाना मुनाफे पर न चलता ?

मैं बरेली की बाविन फैक्टरी की मिसाल भी देता हूं। सरकार ने लाखों रुपया उस कम्पनी को कर्जे का दिया और कानपुर के बहुत बड़े पूंजीपति, श्री जे० पी० श्रीवास्तव, को दिया । आपने किस तरह से लाखों रुपया कर्जे में दिया क्या इस पर विचार किया ? मैंने देखा कि जो इमारतें फैक्टरी की बनी हुई हैं उसके सही आंकड़े आपको नहीं दिये गये । मेरे पास आंकड़े हैं । कलेक्टर ने जो आंकड़े दिये हैं उसमें और जो वहां के मैनेजर ने दिये हैं उसमें काफी अन्तर है । बात क्या है ? मैनेजर ने जो आंकड़े दिये हैं उसमें लाखों रुपये का घाटा दिखा रखा है । मैं मांग करता हूं कि सरकार बाविन फैक्टरी की इमारतों और जमीनों की जांच करे और उसका जो सही मूल्य हो उस पर उसको बेचे क्योंकि सरकार ने जो लोन कम्पनी को दिया है उससे लाखों रुपये का घाटा सरकार को पड़ा है। इसी तरह से टांडा नहर का हाल देखिये। हालत यह है कि बाहर से जो पम्प मंगाने वाले थे वह अधिकारियों की अयोग्यता की वजह से ठीक समय पर नहीं आ पाये । अगर ठीक समय पर आ जाते तो ९ लाख रुपये की बचत हो सकती थी । फिर आप जनता पर टैक्स लगाने की बात करते हैं । एक तरफ सप्लाई अफसरों की तनख्वाह बढ़ाते हैं, समाजवाद आपको वहां दिखाई देता है जिनकी तनख्वाह ४००–५०० रुपया पहले से है और दूसरी तरफ चपरासी जो ३०–३५ रुपया पाता है, रहने के लिये जिसको मकान नहीं मिलता, मच्छर खा जाता है, मकान के पीछे गन्दी नालियां हैं, वहां आपका ध्यान नहीं जाता । आपको कैश चाहिये । किसके लिये चाहिये कैश ? मैं पूछना चाहता हूं कि कानपुर के मिल-मालिकों के ऊपर बिक्री कर का कितना बकाया है, बिजली का कितना बकाया है, चीनी मिल के मालिकों के ऊपर गन्ने के सेस का कितना बकाया है ? लेकिन आपने तवज्जह नहीं की कि यह पैसा वसूल होना चाहिये । उधर आपकी निगाह नहीं जाती ।

आप कहते हैं कि तरक्की हो रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूरे देश के पैमाने पर शिक्षा अनिवार्य होने जा रही है तो हमारे सूबे में क्या वजह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी हो जाने के बाद भी ८४ प्रतिशत लड़के और ४४ प्रतिशत लड़कियां शिक्षित बनेंगी ? आप देश के सामने बताते हैं कि देश के और सूबों के लोग हमारा अनुकरण करते हैं। यह आपका अनुकरण अगर देश के लोग करेंगे तो सारा देश आपके पीछे चलने की वजह से गर्त में चला जायगा, इसके ऊपर भी सोचिये । कितनी ही लम्बी चौड़ी बात लच्छेदार शब्दों में कहें, लेकिन देश के नक्शे पर जो आपकी तस्वीर है, जो हालत है उसके ऊपर आपको गंभीरता-पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है । विश्वविद्यालयों में, हमारे माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनमें जो पैदावार हो रही है,

[श्री ऊदल]

जो लड़के पढ़कर निकल रहे हैं क्या वह नियोजन की बातों को जानते हैं, समाजवादी विचार-धारा को जानते हैं, उनके अन्दर देश के प्रति जो प्यार होना चाहिये, देश के आह्वान करने पर जो मरने-मिटने की भावना होनी चाहिये क्या वह उनके अन्दर है ? मेरे पास शिक्षा के बारे में बहुत से उसूल हैं कि शिक्षा किस तरह से होनी चाहिये । जहां दुनिया में विज्ञान बढ़ रहा हो, उद्योग बढ़ रहा हो, वहां हम लड़कों को बाबू बनाकर निकालें, मेहनत करना न सिखाएं, खेती करना, हल चलाना न सिखायें तो हम दुनिया के नक्शे पर उभर कर नहीं आ सकते हैं । जब शिक्षा के व्यवहार और श्रम में एकता होगी तभी यह देश दुनिया के नक्शे पर उज्ज्वल हो सकता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा सूबा तरक्की करे, तो शिक्षा के मामले में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है ।

इसी तरह से उद्योग-धंवों के मामले में से आपसे जानना चाहता हूं कि जितने उद्योग-धंधे आज चल रहे हैं, जितना रुपया सरकार ने दिया उनकी क्या हालत है ? मैं मांग करता हूं कि एक कमेटी मुकर्रर होनी चाहिये और वह कमेटी तमाम औद्योगिक पहलुओं पर जांच करे कि क्या संभावना है उन उद्योगों को स्थापित करने के लिये और नीति निर्धारित करे ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, दो मिनट के अलावा भी और दो मिनट दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—देखिये, कितनी शिकायत हो रही है कि मौका नहीं दिया जा सकता ।

श्री ऊदल—श्रीमन्, आपसे कर-बद्ध प्रार्थना है ।

श्रीमन्, मैंने कहा जैसे कि उद्योग के क्षेत्र में आज बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि सुझाव नहीं देते । अभी भूतपूर्व मुख्य मंत्री, बाबू संपूर्णानन्द जी ने एक किताब पेश की थी । मैं कहता हूं कि सरकार के तरफ के माननीय सदस्यों को इसको अवश्य पढ़ना चाहिये, तभी आपको सही नतीजा उससे निकलेगा कि हम हर क्षेत्र में कितने बढ़ रहे हैं । श्रीमन्, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे परिवहन का हो, हर क्षेत्र में हम भारत के नक्शे के पीछे हैं ।

यह हमारी तस्वीर है । मैं कहता हूं कि इसको छिपाकर, आप तरक्की नहीं कर सकते । अगर इसको आप जनता के सामने रखेंगे तो जनता देश और प्रदेश की प्रगति के लिये टैक्स दे सकती है, लेकिन इन चीजों को छिपाने पर आपको टैक्स नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि उद्योग की तरक्की के लिये एक कमेटी मुकर्रर होनी चाहिये । प्रदेश में सेल्स टैक्स की बहुत चोरियां होती हैं, तमाम बही-खाते लिखे जाते हैं, एक सरकार को दिखाने के लिये और दूसरा चोरी करने के लिये घर में रखा जाता है । मैं चाहता हूं कि इसके लिये भी एक कमेटी मुकर्रर होनी चाहिये जो पता लगाये कि कौन-कौन लोग किस तरह के रोजगार चला रहे हैं और उनसे कितना पैसा मिल सकता है ।

कहा जाता है कि कृषि की पैदावार बढ़ गई । मैं कहना चाहता हूं कि यन्त्रीकृत फार्मों में—चाहे वह झांसी का हो या अलीगढ़ का हो—जबसे आप उनको चला रहे हैं लाखों रुपयों का सालाना घाटा हुआ है । इन कार्यों के द्वारा आप कौन-सा आदर्श जनता के सामने रख रहे हैं ? मैं चाहता हूं कि आपके जो फार्म घाटे पर चल रहे हैं उनके लिये इस प्रदेश की जनता पर कृपा कीजिये और उनको बन्द कीजिये । आपका मत्स्य पालन विभाग है, उसको खत्म कर दीजिये । आप सूचना विभाग से लाखों रुपयों की बचत कर सकते हैं । लेकिन आपने इस तरफ कभी तवज्जह नहीं की । आपको चाहिये कि कृषि को संगठित करने के लिये खेती के आधुनिक औजारों को जनता तक पहुंचाने का प्रबन्ध करें और एक कृषि आयोग का गठन कीजिये जो खेती से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करे और जनता को सही रास्ता

दिखाये । मैं आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझ गये होंगे और इन सब बातों पर विचार करेंगे जिससे जनता को राहत मिल सके ।

*श्री सूरजलाल (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका मैं बहुत आभारी हूं कि आपने पहले-पहल इस सदन में मुझे बोलने का मौका दिया । बजट के माने हैं आय-व्यय का लेखा-जोखा । सदन में जो बजट पेश किया गया है वह उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का है, माननीय वित्त मंत्री महोदय का पर्सनल बजट नहीं है । जब सरकार का बजट है और सरकार जनता की है तो जनता को मालूम होना चाहिये कि हम इस १३.३५ करोड़ का जो घाटा दिखलाया गया है उसको किस तरह से पूरा करेंगे । केवल मंत्री महोदय तक यह सीमित नहीं रहना चाहिये, यह सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है । मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस घाटे को टैक्स के द्वारा पूरा न करें, बल्कि फिजूलखर्ची को कम करके और बकाया कर को वसूल करके इस घाटे को पूरा करें । एक कहावत है कि हम उतने पैर फैलावें जितनी कि हमारी चादर हो । अगर पैर खुल जाता है तो सरकार की बदनामी होती है । और अगर पैर फैलाने में चादर फटती है तो जनता को परेशानी होती है । दोनों हालतों में अच्छी बात नहीं है । लिहाजा मंत्री महोदय इस सदन को बताने की कृपा करें कि उनके पैरों में क्या लचक है या क्या जादू है जिससे न चादर फटेगी और न पैर खुलेंगे ? इसके मानी यह नहीं हैं कि आप पैर न फैलायें, लेकिन उसके साथ-साथ चादर को आप इतना मजबूत बनायें कि अगर आप तनातनी करें तो चादर न फटे । इसमें कोई शक नहीं कि देश और प्रदेश तरक्की कर रहा है, लेकिन जिस ओर मंत्री महोदय कहते हैं उस ओर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कुनबापरस्ती, गुटबंदी अधिक बढ़ रही है । लोगों को परेशानी भी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और गरीब और गरीब होता जा रहा है ।

मैं गोंडा जिले के उतरौला क्षेत्र से आया हूं । मैं वहां की तरक्की की एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं । गोंडा जिले की आबादी करीब ३० लाख होगी, लेकिन उस ३० लाख की आबादी पर केवल एक जनाना अस्पताल है और गोंडा जिला अस्पताल में बैंडेज तक नहीं है । १०-१२ दिन पहले की बात है । एक नौजवान हिन्दू आदमी को एक मुसलमान ने दिन दहाड़े सड़क पर मार कर घायल कर दिया । बड़ी मुश्किल से डाक्टर साहब आये और जब पट्टी बांधने का सवाल पैदा हुआ तो देखा कि बैंडेज ही नहीं है । उसके रिश्तेदारों से बाजार से पट्टी मंगवा कर बांधी गयी । यह आपकी तरक्की है । इससे अच्छा तो यह होता कि स्वास्थ्य मंत्री जी इस्तीफा दे देते बजाय इसके कि यह कहते कि स्वास्थ्य की बहुत तरक्की हो रही है ।

गोंडा जिले में एक परसपुर स्थान है । एक अस्पताल वहां भी है वहां के अस्पताल इंचार्ज के बारे में लोगों को ख्याल है कि वह घूस लेता है तथा उसका व्यवहार अच्छा नहीं है । वहां की जनता ने इस सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा जिले के अधिकारियों को काफी दरख्वास्तें दीं, लोग सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिले, उन्होंने उसका वहां से ट्रांसफर किये जाने का विश्वास भी दिलाया, लेकिन आज चार महीने हो गये, उसका ट्रांसफर नहीं हुआ है । फिर भी अगर यह सरकार यह कहे कि इस तरह से घूसखोरी बंद होगी, तो मेरी समझ में नहीं आता ।

आप सड़कों की तरफ अगर देखें तो निहायत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि सड़कों का भी हमारे जिले में कोई खास इन्तजाम नहीं है । उतरौला के अन्दर से तीन सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० की गुजरती हैं, उतरौला से बलरामपुर, उतरौला से गोंडा और उतरौला से मनकापुर । अगर मंत्री महोदय हमारे साथ चलें तो मैं उनको दिखा सकता हूं कि उनकी हालत क्या है । अगर वे जाने से मजबूर हैं तो मैं केवल माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू, जो हमारे प्रधान मंत्री हैं, उनके प्रोग्राम से आपको सिद्ध कर सकता हूं कि वहां की हालत क्या है । माननीय नेहरू जब एलेक्शन के जमाने में बस्ती गये तो वहां से उनको बलरामपुर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सूरजलाल]

जाना था । लेकिन वहां के कर्मचारियों ने यह सोचा कि अगर हम मनकापुर से वाया उतरौला लेकर बलरामपुर जाते हैं तो हमारी कलई खुल जायगी और मुमकिन है कि हम बरखास्त कर दिये जायं । इस वास्ते उनको उतरौला से वाया गोंडा होकर बलरामपुर लाया गया । यही हमारे यहां के सड़कों की हालत है ।

वहां पर डुमरीघाट का एक पुल है जहां आये दिन दुर्घटनायें हुआ करती हैं । वह बहुत ही खराब व खतरनाक हालत में है जिससे वहां कई मृत्यु तक हो चुकी हैं, लेकिन उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है और न उसका कोई ख्याल किया जाता है । यह तो पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों की हालत है ।

इसके अतिरिक्त कई और भी सड़कें हैं जो जिला परिषद् से ताल्लुक रखती हैं । जब तक अंग्रेज थे, कभी-कभी उन सड़कों पर मिट्टी पड़ जाती थी, लेकिन जब से कांग्रेस का राज्य हुआ, वहां मिट्टी को कौन कहे, उसकी तरफ कोई फूटी आंख देखना भी नहीं चाहता। कई एक पुल बनाये गये हैं जो दोनों तरफ पानी से कट गये हैं और उनमें ५–५, ६–६ और १०–१० फीट तक पानी भरा रहता है । ऐसे पुल पर बैलगाड़ियों के चलने की बात कौन कहे, पैदल भी दुश्वार हो रहा है । एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिये सड़क का कोई इन्तजाम नहीं है । न बैलगाड़ियों के जाने का इन्तजाम है और न इन्सान के पैदल जाने का कोई इन्तजाम है ।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत सन् १९६२–६३ के बजट के संबंध में अपना विचार आपके द्वारा आपकी आज्ञा से माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । महोदय, बजट पर विचार करने के लिये हमें कुछ ऐसे मापदंड और मान्य सिद्धान्त को ओर भी निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिये, उन नीतियों की ओर भी निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिये जिनकी तहत में वह बजट प्रस्तुत किया गया हो । और मैं समझता हूं कि यदि इस मापदंड में विचार किया जाय तो इस सदन के समक्ष बहुत-सी ऐसी बातें कही गयीं जो बिल्कुल कार्यकारिणी से सम्बद्ध थीं । विशेषतया बजट की नीति कार्यान्वयन से संबंधित बहुत-सी बातें यहां नहीं कही गयीं ।

श्रीमन्, आज हम एक ऐसे युग से गुजर रहे हैं जिसे नियोजन का युग कहा जाता है । नियोजन की प्रक्रिया के अनुकूल जो योजना स्वीकृत कर ली जाती है उसी योजना के मातहत हमारा बजट तैयार होता है । हमें देखना यह है कि हमारा प्रस्तुत बजट योजना की प्रक्रिया में विकास की एक उपयुक्त कड़ी है या नहीं । यदि हम इस पर विचार करें और गौर करें तो देख सकते हैं कि प्रस्तुत बजट हमारे विकास क्रम में एक आवश्यक कड़ी सिद्ध होता है । पहले वाले बजट से आज के बजट में खर्चे की मदें अधिक हैं । समूचा बजट जो १९१ करोड़ ४ लाख रुपये का है इसमें १५४ करोड़ विकास के कार्यों पर और जन कल्याण के कार्यों पर व्यय किया जाता है । इस बजट का यदि अध्ययन किया जाय तो इसमें बाढ़ से सुरक्षा के लिये मास्टर प्लान और प्राइमरी शिक्षा के प्रसार की ओर संकेत है, जूनियर हाई स्कूल्स से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज तक की शिक्षा की योजना की ओर संकेत है, टेक्निकल और प्राविधिक शिक्षा योजना की ओर संकेत है, जल और विद्युत योजनाओं की ओर संकेत है, सड़क और पुलों के निर्माण की योजना की ओर संकेत है और जिला औद्योगिक आस्थानों म विकास तथा हैवी एलेक्ट्रिक कन्सर्स की ओर संकेत है । तो मैं यह कहूंगा कि क्या यह संकेत ....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के माइक ठीक कर लीजिये, उसे अपनी ओर घुमा लीजिये ।

श्री रामलखन शुक्ल—मैं कह रहा था कि क्या यह सब संकेत जन-कल्याण के कार्यों की ओर नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो क्या इससे भिन्न कोई ऐसी बात हो सकती है जो उधर संकेत करे ? अगर फिर भी कहा जाय कि ऐसा नहीं है तो मैं समझता हूं कि इस बजट के साथ समुचित न्याय नहीं किया जा रहा है ।

इस बजट में कुछ नई मदों की योजना है । उनमें हम देखते हैं कि अनेक अराज्य-पत्रित सरकारी कर्मचारियों को स्थायी करने की व्यवस्था की गई है । नियोजन के युग में और नियोजन के कार्य में संलग्न सरकारी कर्मचारियों के सुनिश्चित भविष्य और पेंशन, प्राविडेन्ड फंड और स्थायित्व की गारंटी यदि नहीं होती तो हमारी सफलता संदिग्ध हो जायगी । इसके लिये बहुत से ऐसे कर्मचारियों के स्थायित्व की व्यवस्था की गई है । यहां पर केवल सप्लाई अफसरों की ही बात नहीं है जिनकी कि बड़े जोर से उधर से चर्चा की गई वरन् अनेक अन्य छोटे-मोटे कर्मचारियों के स्थायित्व की भी व्यवस्था की गई है और इसमें जो व्यय आता है उस सब की व्यवस्था भी अधिकांश मितव्ययता के साथ की गई है । इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और उनका ध्यान आपके द्वारा कुछ और आवश्यक बातों की ओर आकृष्ट करूंगा ।

नियोजन और रचनात्मक कार्यों की प्राथमिक इकाइयों में लगे हुये जो गरीब ग्राम पंचायतों के मंत्री हैं उनकी ओर मंत्री जी ध्यान दें, उनकी बड़ी दयनीय दशा है । १४–१५ साल हो गये, परन्तु आज तक उनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है, अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों के नियम उन पर लागू कर दिये गये हैं, उन पर तमाम तरह की पाबन्दियां बढ़ती जाती हैं, वे भी अपने घर से २५ मील के अन्दर नहीं रह सकते फिर भी उनको न पेंशन की सुविधा है, न प्राविडेंट फंड के वह अधिकारी हैं, न उनके स्थायित्व की ही कोई व्यवस्था है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी को और सरकार को आपके द्वारा यह सुझाव दूंगा कि उनको भी ग्रामसेवकों की ट्रेनिंग देकर उसी स्केल में रखने की चेष्टा की जाय ।

एक बात और मैं एक अध्यापक होने के नाते दोहराना चाहता हूं । मान्यता प्राप्त हाई स्कूल के अध्यापकों और अंग्रेजी जमाने के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में जो विषमता है, जो डिसपेरिटी है, उसको दूर किया जाय । यह इस सरकार के ऊपर एक कलंक का जो टीका है उसको इस सरकार को दूर करना चाहिये । इस ओर मैं वित्त मंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

इसके अतिरिक्त इस बजट में अनेक ऐसी बातें हैं जिनकी चर्चा यहां समयाभाव से नहीं की जा सकती, लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह बजट जनकल्याण-कारी है और हमें प्रगति की ओर ले जाने वाला है । ऐसी अर्थ व्यवस्था में और ऐसे देशों में जो पिछड़े हुये हैं आर्थिक दृष्टि से वहां जनकल्याणकारी बजट बनाने में बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है । गरीब व्यक्ति हो या देश तो क्रम आय के कारण इनवेस्ट नहीं कर सकता और जब वह इनवेस्ट नहीं कर सकता तो फिर उसकी आय भी नहीं बढ़ सकती । ऐसा एक दुष्चक्र या विशस सर्किल सा चलता है जिसमें गरीब देश पड़ जाते हैं, ऐसे चक्र को तोड़ना मुश्किल होता है । इस बजट में १९१ करोड़ ४ लाख के आइटम्स हैं उनके अतिरिक्त जो पूंजीगत व्यय की व्यवस्था की गई है वह उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिये एक निश्चित कदम है और जहां की अर्थ व्यवस्था बिगड़ी हो और कमजोर हो वहां पर ऐसा कदम उठाना अनि-वार्य है । इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा में यह एक ठोस कदम है ।

यह बजट समाजवादी है कि नहीं यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि नियोजन के अनुसार आपके हित के अनुसार यह बजट योजना की एक कड़ी है कि नहीं । परन्तु कोई अगर विचार करना चाहे कि यह बजट समाजवादी है कि नहीं तो मैं कह सकता हूं जहां तक नीतियों,

[श्री रामलखन शुक्ल]

प्रवृत्तियों का सम्बन्ध है, जहां तक आर्थिक विकास की दशा का सम्बन्ध है यह निश्चित रूप से समाजवादी है भले ही इसके कार्यान्वयन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाय जिसकी जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर हो सकती है ।

श्रीमन्, मैंने वित्त मंत्री जी के भाषण को बड़े गौर से सुना परन्तु उससे ज्यादा गौर से नेता विरोधी दल के भाषण को सुना और इस प्रतीक्षा में बैठा था कि वह कोई रचनात्मक सुझाव, रचनात्मक दृष्टिकोण सदन के सामने उपस्थित करेंगे । श्रीमन्, लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधी दल का बड़ा जिम्मेदार स्थान होता है और उसी दृष्टि से मैं कुछ रचनात्मक सुझावों की प्रतीक्षा कर रहा था, पर मुझे निराश होना पड़ा । अगर मैं यह कहूं कि नेता विरोधी दल का समूचा भाषण असंगतियों को युक्तिसंगत बनाने का निष्फल प्रयास था तो अतिशयोक्ति न होगी । उन्हीं के शब्दों में जैसा उन्होंने कहा कि हांडी का एक चावल देखकर पूरे चावलों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, उनके भाषण में कुछ ही असंगतियों तथा विरोधाभासों को देखकर इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि उनके भाषण से कोई रचनात्मक सुझाव नहीं आया ।

विरोधी दल के नेता ने भी राज्यपाल के सम्बोधन के समय भी अपने भाषण में तकावी के सम्बन्ध में बड़ी नाक भौं सिकोड़ी थी । इस भाषण में भी चर्चा की और कहा इससे हम किसान को कर्जे से लादना चाहते हैं । मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी अर्थशास्त्र के पंडित या विद्यार्थी यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि पिछड़े हुए राष्ट्रों, परिवारों तथा व्यक्तियों के लिये उत्पादन के कार्यों में तकावी तथा अन्य कर्जे की व्यवस्था कभी भी अनुपादेय होगी । अगर किसी अर्थ शास्त्र के पंडित ने ऐसी कल्पना की हो तो मैं चाहूंगा कि उनके उद्धरण सदन के सामने पेश किये जायं । तकावी की व्यवस्था का अगर विरोध किया जायगा तो नतीजा यह होगा कि वह किसान जो तकावी की व्यवस्था से अपना उत्पादन बढ़ाता है, यदि उसको तकावी नहीं मिलती है तो वह अंग्रेजों के जमाने की भांति फिर जमींदारों और साहूकारों में चंगुल के फंस जायगा ।

माननीय नेता विरोधी दल ने रूरल क्रेडिट फाइनेंस की बात कही । मैं उसका स्वागत करता हूं । लेकिन यह मैं उनसे जानना चाहता हूं कि तकावी की स्प्रिट और क्रेडिट फाइनेंस की स्प्रिट में क्या अन्तर है ? एक का विरोध और दूसरे का समर्थन, इतना स्पष्ट विरोधाभास है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, हर आदमी बता सकता है कि यह विरोधाभास है, इससे अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान की कमी स्पष्ट प्रदर्शित हुई ।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि डुप्लीकेशन बहुत है, अमलगमेशन होना चाहिये और उदाहरण दिया भारत सेवक समाज का और स्काउट्स और गाइड्स एसोसियेशन का कि इन दोनों का अमलगमेशन होना चाहिये । मेरी समझ में नहीं आया कि इन संस्थाओं से क्या सम्बन्ध है सरकार का क्योंकि यह कोई सरकारी संस्थायें तो हैं नहीं । श्रीमन्, आपके द्वारा नेता विरोधी दल से मैं कहूंगा कि न तो डुप्लीकेशन की बात है, न अमलगमेशन की बात है । अगर आप थोड़ा विचार करें तो कोआर्डिनेशन की बात कही जा सकती है और उसका प्रयास सरकार की ओर से निश्चित रूप से किया जा रहा है । यह कहना कि महकमे कम कर दीजिये, रचनात्मक कामों में लगे हुए अनेक लोगों को .....

(लालबत्ती जलने पर)

श्री अध्यक्ष—अभी दो मिनट और हैं ।

श्री रामलखन शुक्ल—अलग करने के प्रश्न पर विचार करने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि अनेक विभागों की कार्यक्षमता क्या है । इसकी दवा यह है कि आप कोआर्डिनेशन करें ।

मैं माननीय नेता विरोधी दल तथा अनेक माननीय सदस्यों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि समाज में एक भयंकर निराशा का वातावरण हो, समाज में एकांगी आलोचना की पद्धति फैले, दायित्वहीन भाषण करने का अवसर मिले, समाज अपनी जिम्मेदारी

से हटे और शिकवा शिकायत को प्रोत्साहन मिले, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समाज में निर्माण-कार्य हों, नया भारत बने, यदि आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कायापलट हो, तो आपको भी कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुझे दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि समाज के एक वर्ग को सिंगिल आउट करके, इस सदन में बैठने का फायदा उठाया जाता है और यह कहा जाता है कि अधिकारीगण बेईमान हैं, चोर हैं, तो यह नितांत अनुचित है। उनमें भी उतना ही स्वाभिमान है, मारेलिटी है जितना कि विरोधी दल के नेता में या किसे अन्य सदस्य में हैं, इस पर उनको ध्यान देना चाहिये और मैं समझता हूं कि इस बात पर ध्यान दिया जायगा। जो कोई रचनात्मक सुझाव दिया जायगा उसको सरकार को स्वीकार करना चाहिये, लेकिन लोकतंत्र के भविष्य के लिये, लोकतंत्र को अधिनायकवाद के पंजे से, मिलिटरी डिक्टेटर शिप के पंजे से बचाने को लिये जिस निराशावाद की बुनियाद आप खोद रहे हैं उसके लिये भावी पीढ़ी आपको क्षमा नहीं करेगी। चाहे वह निराशा आप किसानों को हमदर्दी के नाम पर पैदा करें, चाहे उन किसानों के दर्द के बल पर पैदा करें जिनके शोषण पर पहले का सामन्तवादी गढ़ बना हुआ था, लेकिन इस निराशावाद से आपको हानि होगी, समाज को हानि होगी और सरकार को भी हानि होगी। इन शब्दों के साथ मैं विशेष तौर पर अनुरोध करूंगा कि मेरे साथी रचनात्मक सुझाव देने की कृपा करें और हाथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री को उनके वैज्ञानिक और समाजवादी बजट को पेश करने के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बजट व उस पर भाषण काशी के पंडित प्रवर वित्त मंत्री श्री कमलापति जी द्वारा रखा व पढ़ा गया उसमें मैंने जो आत्मा देखी वह लक्ष्मीनारायण के पुजारी पूंजीपतियों की आत्मा थी और जो शंकर जी काशी में विद्यमान हैं और जहां विश्वनाथ जी का मन्दिर है, जिन शंकर जी ने विषपान किया हो और जो किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग तथा पीड़ित वर्ग के नेता हों, देवता हों उनका प्रतिबिम्ब हमने उस बजट में नहीं देखा। इसलिये मैं अपने विद्वान पंडित प्रवर माननीय वित्त मंत्री के समक्ष उन्हीं की शासन पद्धति के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि उन लक्ष्मी नारायण की आत्मा को जिनके बारे में आपके ग्रन्थों ने गान गाया है जिन्होंने शंकरभक्ति पतिव्रता स्त्री के पतित्व धर्म को नष्ट करने की कोशिश की हो और इन्द्र के इन्द्रासन को सुरक्षित रखने में उक्त हरकत की हो उन पूंजीपतियों की आत्मा को मैंने इस बजट में दृष्टिगोचर किया। यह आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी तो विश्वनाथ शंकर की काशी के वासी हैं, तब फिर किसान-मजदूर निम्न व मध्यम श्रेणी के शोषित जनों के नायक देवता शंकर महादेव की आत्मा की इस प्रकार इतनी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। क्या यह लक्ष्मीनारायण के कृपापात्र भ्रष्टापूंजीपति के गुप्त नेता का संगति का प्रभाव है? आपको लक्ष्मीनारायण के कुप्रभाव से बचकर अपना बजट बनाना था। बजट शासन का दर्पण होता है। और इस बजट में समाजवाद की नहीं वरन् पूंजीवाद की आत्मा प्रतिबिंबित हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह जानना चाहता हूं कि बजट में आत्मा किस की है? शंकरजी का अवतार आपके ग्रन्थों में नहीं लगता है। आज शासन सूत्र लक्ष्मीनारायण के गन्दे हाथों में है जिससे छुड़ा कर हमें महादेव के हाथों में देना है। महादेव मैंने किसान मजदूर और मध्यम वर्ग को माना जिसके नाम पर आप चुन कर यहां आये हैं और सत्तारूढ़ हुये है और लक्ष्मीनारायण मैंने उनको माना है जिनके पूंजीपतियों के चन्दे की रकम से आप शासनरूढ़ हुये हैं। इसलिये साहित्यिक रूप में जो चीज मैंने रखी है वह आप जैसे विद्वान के समझाने के लिये है।

योजनाओं में जो कुछ खर्च किया जाता है वह पिछड़ेपन को दूर करने के लिये किया जाता है सारी दुनिया में हिन्दुस्तान पिछड़ा है और सारे हिन्दुस्तान में हमारा प्रदेश पिछड़ा है। यहीं पर खेती पर सब से ज्यादा बोझ है। और इस प्रदेश में सब से पिछड़ा हुआ जिला फतेहपुर है जहां ७५.९ फी सदी लोग खेती पर निर्भर हैं। वहां पर कोई अफसर जाने को तैयार नहीं। आपने प्रदेश के तीन पिछड़े हुये प्रदेश रखे हैं। यों जिले में इलाहाबाद को भी रखा है जहां के हमारे

[श्री दीपनारायणसिंह]

प्रधान मंत्री है इलहाबाद और कानपुर जहां बड़े-बड़े पूंजीपति हैं इन दोनों के बीच में हमारा फतेहपुर जिला सैंडविच्ड दबा हुआ है। उस फहहपुर से हम आये हैं । यह वही फतेहपुर है जहां माननीय डाक्टर केसकर पंडित केकसर के नाम से पुकारे जाने पर भी हार गए हैं ।

तीसरी योजना बन चुकी है। १६, ४०९ वर्ग मील फतेहपुर जिले का क्षेत्रफल है और २१९ मील में ही सड़कें हैं जिनमें जी० टी० रोड शामिल है। इससे लगा हुआ बांदा जिला है। वहां का सारा गल्ला हमारे जिले से रायबरेली व प्रतापगढ़ जाता है लेकिन बीच में चिल्ला व डलमऊ में पुलों के न होने से बड़ा नुक्सान हो रहा है। आपके बजट बनाने वाले पंडित थे या मूर्ख थे। जिसमें पुलों व सड़कों की ओर ध्यान नहीं गया। आप फतेहपुर जिले में सड़कें बनाते। इलाहाबाद को आपने बैकवर्ड क्षेत्र बना रखा है। यह कैसे आपकी यह गलत योजना उसी तरीका से पड़ी रहेगी जैसी कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट पड़ी रही है। महापंडित यह आपकी बोली नहीं है। यह बोली किसी और की है जो आपके मुंह से निकाली गयी है। वह आज गुप्त है इसलिये मुझे इतना कहना पड़ा। मैं आपके सामने इसलिये कह रहा हूं कि फतेहपुर जिले को भी आप बैकवर्ड क्षेत्रों में रखिये। बुन्देलखंड के चार जिले ले लिये उत्तराखंड के भी ले लिये गये । हमारे फतेहपुर जिले को इसलिये नहीं लिया गया क्योंकि हाथ उठाने वाले एम० एल० ए० आते थे। मैं आपके दर पर आवाज उठाने गया भी था लेकिन वहां तो हाथ उठाने वाले या पूंजीपति ही पाये। आप समाजवाद की सही व्याख्या नहीं करते इसलिये ये पीली टोपी वाले आपके समाजवाद की धज्जियां उड़ते हैं। पंडित नेहरू का समाजवाद भी निराला है जो दुनिया में ख्रुश्चेव के समाजवाद की बराबरी करना चाहते हैं। मैं इस डेमोक्रेसी को डेमोगागी कहूं या क्या कहूं इसी भ्रष्टाचार के कारण हमारे वोट भी बिक रहे हैं। इसलिये मैं यह नहीं कह सकता कि जो भ्रष्टाचार शासन में है उस भ्रष्टाचार से जो हम में है, अधिक है। यह जो आपको आई० सी० एस० आफिसर्स हैं वे आप से बहुत अच्छे हैं । मैंने अंग्रेजों के जमाने में आगरा कालेज में हड़ताल कराई थी लेकिन, मेरा मैरिट स्कालर्शिप नहीं छीना गया। वे स्पोर्टसमैन व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की कदर करते थे। लेकिन, आपका शासन निकम्मा है, आपके यहां कुनबापरस्ती है, आप दलबंदी को ही प्रोत्साहन देते हैं। आप ऐसे न्यायाधीश को ही रखते हैं, जो गलत जजमेंट दे और आपके आदमियों को छोड़ दे। जो सच्चे और ईमानदार हैं वे आपके यहां नहीं रह सकते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि आपकी योजनायें अगर अच्छी भी होंगी तो भी शासन उनको ठीक तरह से लागू नहीं कर सकेगा .....

श्री अध्यक्ष—माननीय दीपनारायण जी, आप बोल तो अच्छा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अगर धीरे-धीरे बोलें तो रिपोर्टर्स भी लिख लें और हम भी समझ लें।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, थोड़ा-सा समय मुझे और दे दिया जाय। मैं प्रथम बार विधायक होकर सदन में बोलने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं। मैंने पिछड़े क्षेत्र के बारे में कहा है। आप फतेहपुर जिले को देखिये कि वहां पर एक भी उद्योग-धंधा नहीं है। आपने जो आज तक अनुदान बांटे हैं वे ऐसे हैं कि नेता लोग खा गये और न तो कोई मकान ही बना और न कोई नाली बनाई गई। आप यह बिलकुल बंद कर दीजिये। न तो हरिजनों के नाम पर दीजिये और न किसी और के नाम पर दीजिये। आप तय कर लीजिये कि अपने प्रदेश में पक्की सड़कें बनेंगी, कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के लिये आवास का प्रबंध होगा। मैंने ७ फरवरी को कमरे के लिये दरख्वास्त दी थी लेकिन आज तक मेरे आवास का कोई प्रबंध नहीं हुआ। तो आप जनता के लिये क्या कर सकते हैं। यह बजट जनता का होना चाहिये। आप अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को सार्वजनिक हित के लिये लागू कीजिये और पार्टी के लिये आपकी ये योजनायें नहीं होनी चाहिये।

मैं यह चाहूंगा कि बैकवर्ड क्लास को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाय। इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि वजीफे अच्छे विद्यार्थियों को दिये जायं और बी० ए० तक की एजूकेशन फ्री कर

दी जाय। आप ऐसा प्रबंध कीजिये कि ऊंची जमीन का पानी नीचे जमा होकर सड़ांद पैदा न करे और ऊपर सूखा न डाले। इतने दिनों की उठक बैठक के बाद आज आखीर में मुझे समय मिला है और इतने कम समय में मैं आपके सामने क्या रखूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको क्षेत्रगत, जातिगत तथा वर्गगत पिछड़ेपन को दूर करना है। आयन्दा हम और आप सब मिलकर समाज का निर्माण करें। लेकिन आप गलत कदम रख रहे हैं। अगर आपने सही समांजवाद की व्याख्या न की और सही ढंग से काम न किया तो ईरान के जहेदी की तरह भारत में भी कोई आप और हम सबका सफाया करके अपना शासन जमा ही लेगा और उस समय न आप मंत्री रहेंगे और न हम विधायक ही रहेंगे।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे १९६२-६३ के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया . . . .

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल दीजिये। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
१८ अप्रैल, १९६२।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान भवन

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५१ एस० ए०—१९६२—८४५।